रजिस्ट्री सं० डी-111 REGISTERED No. D-228

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 30] नई दिल्ली, शनिवार, जुलाई 28, 1973 (श्रावण 6, 1895)
No. 30] NEW DELHI, SATURDAY, JULY 28, 1973 (SRAVANA 6, 1895)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

नोटिस
(NOTICE)

नीचे लिखे भारत के असाधारण राजपत्र 30 जनवरी 1973 तक प्रकाशित किये गये हैं :—
The undermentioned *Gazettes of India Extraordinary* were published up to the 30th January 1973 :—

अंक Issue	संख्या और तिथि No. and Date	द्वारा जारी किया गया Issued by	विषय Subject

—शून्य—
—Nil—

ऊपर लिखे असाधारण राजपत्रों की प्रतियां नियंत्रक प्रकाशन, सिविल लाइन्स, दिल्ली के नाम मांग-पत्र भेजने पर भेज दी जाएंगी । मांग-पत्र नियंत्रक के पास इन राजपत्रों के जारी होने की तिथि से दस दिन के भीतर पहुंच जाने चाहिएं ।

Copies of the *Gazettes Extraordinary* mentioned above will be supplied on indent to the Controller of Publications, Civil Lines, Delhi. Indents should be submitted so as to reach the Controller within ten days of the date of issue of these Gazettes.

विषय-सूची

	पृष्ठ
भाग I—खंड 1—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों तथा आदेशों और संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं . .	693
भाग I—खंड 2—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि से सम्बन्धित अधिसूचनाएं .	1179
भाग I—खंड 3—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों, आदेशों और संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं .	99
भाग I—खंड 4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि से सम्बन्धित अधिसूचनाएं .	797
भाग II—खंड 1—अधिनियम, अध्यादेश और विनियम . . .	—
भाग II—खंड 2—विधेयक और विधेयकों संबंधी प्रवर समितियों की रिपोर्ट . .	—
भाग II—खंड 3—उपखंड (i)—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और (संघ-राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) केन्द्रीय प्राधिकारों द्वारा जारी किए गए विधि के अन्तर्गत बनाए और जारी किए गए साधारण नियम (जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उप-नियम आदि सम्मिलित हैं) . .	1387
भाग II—खंड 3—उपखंड (ii)—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और (संघ-राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) केन्द्रीय प्राधिकारों द्वारा विधि के अन्तर्गत बनाए और जारी किए गए आदेश और अधिसूचनाएं . .	2423
भाग II—खंड 4—रक्षा मंत्रालय द्वारा अधिसूचित विधिक नियम और आदेश .	211
भाग III—खंड 1—महालेखा परीक्षक, संघ लोक-सेवा आयोग, रेल प्रशासन, उच्च न्यायालयों और भारत सरकार के अधीन तथा संलग्न कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं .	1873
भाग III—खंड 2—एकस्व कार्यालय, कलकत्ता द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं और नोटिस	381
भाग III—खंड 3—मुख्य आयुक्तों द्वारा या उनके प्राधिकार से जारी की गई अधिसूचनाएं	—
भाग III—खंड 4—विधिक निकायों द्वारा जारी की गई विविध अधिसूचनाएं जिनमें अधिसूचनाएं, आदेश, विज्ञापन और नोटिस शामिल हैं . . .	1603
भाग IV—गैर-सरकारी व्यक्तियों और गैर-सरकारी संस्थाओं के विज्ञापन तथा नोटिसें .	133
पूरक संख्या 30—	
21 जुलाई, 1973 को समाप्त होने वाले सप्ताह की महामारी संबंधी साप्ताहिक रिपोर्ट .	939
30 जून, 1973 को समाप्त होने वाले सप्ताह के दौरान भारत में 30,000 तथा उससे अधिक आबादी के शहरों में जन्म तथा बड़ी बीमारियों से हुई मृत्यु-सम्बन्धी आंकड़े .	957

CONTENTS

	PAGE
PART I—SECTION 1.—Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	693
PART I—SECTION 2.—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	1179
PART I—SECTION 3.—Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministry of Defence	99
PART I—SECTION 4.—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Officers issued by the Ministry of Defence.	797
PART II—SECTION 1.—Acts, Ordinances and Regulations	—
PART II—SECTION 2.—Bills and Reports of Select Committees on Bills	—
PART II—SECTION 3.—SUB.SEC. (i)—General Statutory Rules (including orders, bye-laws etc. of general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by Central Authorities (Other than the Administrations of Union Territories ..	1387
PART II—SECTION 3.—SUB.-SEC. (ii)—Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories) ..	2423
PART II—SECTION 4.—Statutory Rules and Orders notified by the Ministry of Defence ..	211
PART III—SECTION 1.—Notifications issued by the Auditor General, Union Public Service Commission, Railway Administration, High Courts and the Attached and Subordinate Offices of the Government of India ..	1873
PART III—SECTION 2.—Notifications and Notices issued by the Patent Offices, Calcutta ..	381
PART III—SECTION 3.—Notifications issued by or under the authority of Chief Commissioners	—
PART III—SECTION 4.—Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies	1603
PART IV—Advertisements and Notices by Private Individuals and Private Bodies ..	133
SUPPLEMENT No. 30	
Weekly Epidemiological Reports for week ending 21st July, 1973	939
Births and Deaths from Principal diseases in towns with a population of 30,000 and over in India during week ending 30th June, 1973	957

भाग I—खण्ड 1

PART I—SECTION 1

(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों तथा आदेशों और संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं

[Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

मन्त्रिमंडल सचिवालय

कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग

नई दिल्ली, दिनांक 28 जून 1973

नियम

सं० 10/13/73-के० से०-II—नवम्बर, 1973 में सचिवालय प्रशिक्षण तथा प्रबन्ध संस्थान द्वारा केन्द्रीय सचिवालय लिपिक सेवा के उच्च श्रेणी ग्रेड के लिए चयन सूची में सम्मिलित करने के लिए एक सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा के लिए नियम सर्वसाधारण की सूचना के लिए प्रकाशित किए जाते हैं।

2. चयन सूची में सम्मिलित किए जाने वाले व्यक्तियों की संख्या संस्थान द्वारा जारी किए गए नोटिस में बता दी जाएगी। अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के उम्मीदवारों के लिए रिक्त स्थानों के सम्बन्ध में आरक्षण सरकार द्वारा निर्धारित ढंग से किए जाएंगे।

अनुसूचित जातियों/अनुसूचित आदिम जातियों का अर्थ है बम्बई पुनर्गठन अधिनियम, 1960, पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966 अनुसूचित जाति और अनुसूचित आदिम जाति आदेश (संशोधन) अधिनियम, 1956, संविधान (जम्मू व काश्मीर) अनुसूचित जाति आदेश, 1956, संविधान (अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह) अनुसूचित आदिम जाति आदेश, 1959, संविधान (दादरा और नागर हवेली) अनुसूचित जाति आदेश, 1962, संविधान (दादरा और नागर हवेली) अनुसूचित आदिम जाति आदेश, 1962, संविधान (पांडिचेरी) अनुसूचित जाति आदेश, 1964, संविधान (अनुसूचित आदिम जाति) (उत्तर प्रदेश) आदेश, 1967, संविधान (गोवा दमन व दीव) अनुसूचित आदिम जाति आदेश, 1968, तथा संविधान (गोवा दमन व दीव) अनुसूचित आदिम जाति आदेश, 1968 और संविधान (नागालैण्ड) अनुसूचित आदिम जाति आदेश, 1970 के साथ पठित अनुसूचित जाति/अनुसूचित आदिम जाति सूचियां (संशोधन) आदेश, 1956 में उल्लिखित कोई भी जाति या आदिम जाति।

3. सचिवालय प्रशिक्षण तथा प्रबन्ध संस्थान द्वारा इस परीक्षा का संचालन इन नियमों के परिशिष्ट में विहित विधि से किया जाएगा।

किस तारीख को और किन-किन स्थानों पर परीक्षा ली जाएगी, इसका निर्धारण संस्थान करेगा :

4. केन्द्रीय सचिवालय लिपिक सेवा के अवर श्रेणी ग्रेड का ऐसा कोई स्थायी अथवा नियमित रूप से नियुक्त अस्थायी अधिकारी, जो 1 जनवरी 1973 को निम्नलिखित शर्तें पूरी करता हो, इस परीक्षा में बैठ सकेगा :—

(1) **सेवा की अवधि** :—केन्द्रीय सचिवालय लिपिक सेवा के अवर श्रेणी ग्रेड में उसकी न्यूनतम पांच वर्ष की लगातार सेवा होनी चाहिए।

परन्तु ऐसा उम्मीदवार, जो 1 जनवरी 1973 को केन्द्रीय सचिवालय लिपिक सेवा के अवर श्रेणी ग्रेड में 5 वर्ष की लगातार सेवा न कर चुका हो लेकिन 1 जुलाई 1973 को इस सेवा के अवर श्रेणी ग्रेड में जिसकी लगातार सेवा 5 वर्ष की हो गई हो विशेष मामले के तौर पर परीक्षा में बैठ सकेगा। यह छूट केवल 1973 में ली जाने वाली परीक्षा के लिए मिलेगी।

टिप्पणी 1 :—स्वीकृत तथा लगातार सेवा की 5 वर्ष की सीमा उस अवस्था में भी लागू होगी यदि किसी उम्मीदवार की कुल विचारणीय सेवा अंशतः केन्द्रीय सचिवालय लिपिक सेवा में अवर श्रेणी लिपिक के रूप में और अंशतः उच्च श्रेणी लिपिक के रूप में की गई हो।

टिप्पणी 2 :—केन्द्रीय सचिवालय लिपिक सेवा का कोई स्थायी अथवा नियमित रूप से नियुक्त अस्थायी अवर श्रेणी लिपिक, जिसने 26 अक्तूबर 1962 को जारी की गई आपातकाल की उद्घोषणा के प्रवर्तनकाल में अर्थात् 26 अक्तूबर, 1962 से 9 जनवरी 1968 तक सशस्त्र सेना में सेवा की हो, सशस्त्र सेना से प्रत्यावर्तन पर सशस्त्र सेवा में अपनी सेवा की अवधि (प्रशिक्षण की अवधि मिलाकर, यदि कोई हो) निर्धारित न्यूनतम सेवा में गिन सकेगा।

टिप्पणी 3 :—ऐसे अवर श्रेणी लिपिक जो सक्षम प्राधिकारी की अनुमति से निःसंवर्गीय पदों पर प्रतिनियुक्त हो, उन्हें अन्यथा पात्र होने पर इस परीक्षा में भाग लेने का पात्र समझा जाएगा। तथा

यह बात उन अवर श्रेणी लिपिकों पर लागू नहीं होती जो "स्थानान्तरित" रूप में निःसंवर्गीय पदों पर या अन्य सेवा में नियुक्त किए गए हों और केन्द्रीय सचिवालय लिपिक सेवा के विभिन्न श्रेणी ग्रेड में ग्रहण अधिकार (लियिन) न रखते हों।

(2) **आयु:**—(क) 1-1-1973 को उसकी आयु 45 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए अर्थात् उसका जन्म 2 जनवरी 1928 से पूर्व नहीं हुआ हो ;

(ख) ऊपर निर्धारित आयु सीमा में केन्द्रीय सचिवालय लिपिक सेवा के स्थायी अथवा नियमित रूप से नियुक्त अवर श्रेणी लिपिक के मामले में जिसने 26 अक्तूबर 1962 को जारी की गई आपात-काल की उद्घोषणा के प्रवर्तनकाल में अर्थात् 26 अक्तूबर 1962 से 9 जनवरी 1968 तक सशस्त्र सेवा की हो और वहां से प्रत्यावर्तित हो गया हो, सशस्त्र सेना में अपनी सेवा (प्रशिक्षण अवधि समेत यदि कोई हो) की अवधि तक छूट दी जाएगी।

(ग) ऊपर निर्धारित आयु सीमा में निम्नलिखित मामलों में और अधिक छूट दी जाएगी :—

(i) यदि उम्मीदवार अनुसूचित जाति या अनुसूचित आदिम जाति से संबंधित हो तो अधिक से अधिक 5 वर्ष तक,

(ii) यदि उम्मीदवार बंगला देश (भूतपूर्व पूर्वी पाकिस्तान) से आया हुआ वास्तविक विस्थापित व्यक्ति हो और 1 जनवरी 1964 या उसके बाद परन्तु 25 मार्च 1971 से पहले प्रव्रजन करके भारत में आया हो तो अधिक से अधिक तीन वर्ष तक,

(iii) यदि उम्मीदवार अनुसूचित जाति या अनुसूचित आदिम जाति से संबंधित हो तथा बंगला देश (भूतपूर्व पूर्वी पाकिस्तान) से आया हुआ वास्तविक विस्थापित व्यक्ति भी हो और 1 जनवरी 1964 या उसके बाद परन्तु 25 मार्च 1971 से पहले प्रव्रजन कर भारत आया हो तो अधिक से अधिक आठ वर्ष तक,

(iv) यदि उम्मीदवार संघ राज्य क्षेत्र पांडिचेरी का निवासी हो और किसी स्तर पर उसकी शिक्षा फ्रेंच भाषा के माध्यम से हुई हो तो अधिक से अधिक पांच वर्ष तक,

(v) यदि उम्मीदवार श्रीलंका से आया हुआ वास्तविक देश प्रत्यावर्तित भारतीय मूल का व्यक्ति हो और अक्तूबर 1964 के भारत श्रीलंका समझौते के अधीन पहली नवम्बर, 1964 को या उसके बाद श्रीलंका से भारत में प्रव्रजित हुआ हो तो अधिक से अधिक तीन वर्ष तक,

(vi) यदि उम्मीदवार अनुसूचित जाति या अनुसूचित आदिम जाति से संबंधित हो तथा श्रीलंका से आया हुआ वास्तविक देश-प्रत्यावर्तित भारतीय मूल का व्यक्ति हो और अक्तूबर 1964 को भारत श्रीलंका समझौते के अधीन पहली नवम्बर 1964 को या उसके बाद श्रीलंका से भारत में प्रव्रजित हुआ हो तो अधिक से अधिक आठ वर्ष तक,

(vii) यदि उम्मीदवार भारतीय मूल का हो और केन्या, उगांडा और संयुक्त गणराज्य तंजानिया (भूतपूर्व टांगानिका और जंजीबार) से प्रव्रजित हुआ हो तो अधिक से अधिक तीन वर्ष तक,

(viii) यदि उम्मीदवार वर्मा से आया हुआ वास्तविक देश-प्रत्यावर्तित भारतीय मूल का व्यक्ति हो और 1 जून 1963 को या उसके बाद भारत में प्रव्रजित हुआ हो तो अधिक से अधिक तीन वर्ष तक,

(ix) यदि उम्मीदवार अनुसूचित जाति या अनुसूचित आदिम जाति से संबंधित हो और वर्मा से आया हुआ वास्तविक देश-प्रत्यावर्जित भारतीय मूल का व्यक्ति भी हो और 1 जून 1963 को या उसके बाद भारत में प्रव्रजित हुआ हो तो अधिक से अधिक आठ वर्ष तक,

(x) किसी दूसरे देश से संघर्ष के दौरान अथवा किसी उपद्रवग्रस्त क्षेत्र में सैनिक कार्यवाहियों के समय अशक्त हुए तथा उसका परिणाम-स्वरूप नौकरी से नियुक्त रक्षा-सेवा कार्मिकों के लिए अधिक से अधिक तीन वर्ष तक, और

(xi) किसी दूसरे देश से संघर्ष के समय अथवा किसी उपद्रवग्रस्त क्षेत्र में सैनिक कार्यवाहियों के समय अशक्त हुए तथा उसके परिणामस्वरूप नौकरी से नियुक्त सेवा कार्मिकों के लिए, जो अनुसूचित जातियों अथवा अनुसूचित आदिम जातियों से संबंधित हो अधिक से अधिक आठ वर्ष तक।

ऊपर बताई गई स्थितियों के अतिरिक्त निर्धारित आयु सीमा में किसी भी अवस्था में छूट नहीं दी जाएगी।

(3) **टाइप परीक्षा** :—यदि किसी उम्मीदवार को अवर श्रेणी ग्रेड में स्थायीकरण के उद्देश्य से संघ लोक सेवा आयोग/सचिवालय प्रशिक्षण स्कूल/सचिवालय प्रशिक्षण तथा प्रबन्ध संस्थान की मासिक/तिमाही टाइप की परीक्षा उत्तीर्ण करने में छूट न मिली हो तो इस परीक्षा की अधिसूचना की तारीख को या इससे पहले यह टाइप की परीक्षा उत्तीर्ण कर लेनी चाहिए।

5. परीक्षा में बैठने के लिए उम्मीदवार की पात्रता या अपात्रता के बारे में इस संस्थान का निर्णय अन्तिम होगा।

6. किसी उम्मीदवार को परीक्षा में तब तक नहीं बैठने दिया जाएगा जब तक उसके पास संस्थान का प्रवेश-पत्र (सर्टिफिकेट आफ एडमिशन) न हो।

7. यदि कोई उम्मीदवार संस्थान द्वारा इस बात के लिए घोषित किया जाए या कर दिया गया हो कि उसने किसी दूसरे व्यक्ति से अपनी परीक्षा दिलवाई है या जाली प्रमाण पत्र आदि प्रस्तुत किए हैं या ऐसे प्रमाण पत्र प्रस्तुत किए हैं जिनमें हेरा-फेरी की गई है या गलत या झूट वक्तव्य दिए हैं या कोई महत्वपूर्ण तथ्य छिपाया गया है या परीक्षा में प्रवेश-प्राप्त करने के लिए किसी और अनियमित या अनुपयुक्त तरीके से काम लिया है या परीक्षा भवन में अनुचित तरीकों से काम लिया है या काम में लाने की कोशिश की है या परीक्षा भवन में कोई अनुचित आचरण किया है तो उस पर आपराधिक अभियोग (क्रिमिनल प्राजीक्यूशन) चलाया जा सकता है और साथ ही :—

(क) उम्मीदवारों के चुनाव के लिए संस्थान से हमेशा के लिए या किसी विशेष अवधि के लिए, अपने द्वारा ली जाने वाली परीक्षा या साक्षात्कार (इन्टरव्यू) में शामिल होने से रोक सकता है।

(ख) उसके विरुद्ध उपर्युक्त नियमों के अन्तर्गत अनुशासनात्मक कार्यवाही की जा सकती है।

8. यदि कोई उम्मीदवार किसी प्रकार से अपनी उम्मीदवारी के लिए समर्थन प्राप्त करने की कोई कोशिश करेगा तो संस्थान द्वारा उसका आचरण ऐसा समझा जाएगा जिसमें उसे परीक्षा में बैठने के लिए अयोग्य करार दिया जाएगा।

9. उम्मीदवारों को संस्थान की विज्ञप्ति के पैरा 5(1) में निर्धारित शुल्क (फी) देना होगा।

10. संस्थान परीक्षा के बाद हरेक उम्मीदवार को अन्तिम रूप से दिए गए कुल अंकों के आधार पर उनको योग्यता के क्रम से उनके नामों की सूची बनाएगा और उसी क्रम से उतने ही उम्मीदवारों के नाम अपेक्षित संख्या तक उच्च श्रेणी ग्रेड की प्रवर सूची में शामिल करने की सिफारिश करेगा जो संस्थान के निर्णय के अनुसार परीक्षा द्वारा योग्य माने गये हों।

परन्तु यदि किसी अनुसूचित जाति/अनुसूचित आदिम जाति के उम्मीदवार सामान्य स्तर के आधार पर अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के लिए आरक्षित रिक्त स्थानों तक नहीं भरे जा सके, तो आरक्षित कोटा में कमी को पूरा करने के लिए स्तर में छूट देकर परीक्षा में योग्यता क्रम में उनके रैंक का ध्यान किए बिना, यदि वे योग्य हुए तो संस्थान द्वारा सिफारिश किए जा सकेंगे।

टिप्पणी :—उम्मीदवारों को अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए कि यह प्रतियोगिता परीक्षा है न कि अर्हक परीक्षा (क्वालिफाइंग एक्जेमिनेशन) इस परीक्षा के परिणाम के आधार पर उच्च श्रेणी ग्रेड की प्रवर सूची में कितने उम्मीदवारों के नाम शामिल किये जायें, इसका निर्णय करने के लिए सरकार पूरी तरह सक्षम है। इसलिए कोई भी उम्मीदवार अधिकार के तौर पर इस बात का कोई दावा नहीं कर सकेगा कि उसके द्वारा परीक्षा में दिए गए उत्तरों के आधार पर उसका नाम प्रवर-सूची में शामिल किया ही जाए।

11. हर एक उम्मीदवार को परीक्षा फल की सूचना किस रूप में तथा किस प्रकार दी जाय। इसका निर्णय संस्थान अपने विवेकानुसार करेगा और संस्थान परिणामों के बारे में उनके कोई पत्र-व्यवहार नहीं करेगा।

12. परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाने मात्र से ही चुनाव का अधिकार तब तक नहीं मिलता जब तक कि सरकार आवश्यक जांच के बाद संतुष्ट न हो जाए कि उम्मीदवार चुनाव के लिए हर प्रकार से पात्र और उपयुक्त है।

13. जो उम्मीदवार परीक्षा में बैठने के लिए आवेदन-पत्र देने के बाद या परीक्षा में बैठ जाने के बाद केन्द्रीय सचिवालय लिपिक सेवा के अपने पद से त्याग पत्र दे देगा अथवा अन्य किसी प्रकार से उस सेवा को छोड़ देगा या उससे अपना सम्बन्ध विच्छेद कर लेगा या जिसकी सेवा उसके विभाग द्वारा समाप्त कर दी गई हो या किसी निःसंवर्गीय पद या दूसरी सेवा में "स्थानान्तरण" द्वारा नियुक्त किया जा चुका हो और निम्न श्रेणी ग्रेड में ग्रहणाधिकार न रखता हो, वह इस परीक्षा के परिणाम के आधार पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा।

तथापि यह उस अवर श्रेणी लिपिक पर लागू नहीं होता जो, सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से किसी निःसंवर्गीय पद पर प्रतिनियुक्ति के रूप में नियुक्त किया जा चुका हो।

एम० के० वासुदेवन,
अवर सचिव

परिशिष्ट

परीक्षा निम्नलिखित योजना के अनुसार होगी :—

भाग 1. नीचे परिच्छेद 2 में बताए गए विषयों की कुल 300 अंकों की लिखित परीक्षा।

भाग 2. संस्थान द्वारा अपने विवेकानुसार ऐसे उम्मीदवारों के सेवावृतों (रेकार्ड आफ सर्विस) का मूल्यांकन जिनके बारे में वह फैसला करेगा, और इसके लिए अधिकतम अंक 100 होंगे ।

2. भाग-1 में बताई गई लिखित परीक्षा के विषय, प्रत्येक प्रश्न-पत्र के लिए अधिकतम अंक तथा दिया जाने वाला समय इस प्रकार होगा :—

विषय		अधिकतम अंक	दिया गया समय
(i) निबन्ध तथा सार लेखन			
(क) निबन्ध	50	100	2 घंटे
(ख) सार लेखन	50		
(ii) आलेखन व टिप्पण तथा कार्यालिय पद्धति		100	2 घंटे
(iii) सामान्य ज्ञान		100	2 घंटे

3. परीक्षा का पाठ्य विवरण संलग्न अनुसूची में दिये अनुसार होगा ।

4. उम्मीदवारों को प्रश्न-पत्र के उत्तर अंग्रेजी या हिन्दी (देवनागरी) में लिखने का विकल्प करने की अनुमति दी जाती है परन्तु शर्त है कि सभी प्रश्न-पत्रों अर्थात् (i) निबन्ध तथा सारलेखन, अथवा (ii) टिप्पणी लेखन मसौदा लेखन और कार्यालिय पद्धति, अथवा (iii) सामान्य ज्ञान में से किसी एक प्रश्न-पत्र का उत्तर सभी सम्मीदवारों को अंग्रेजी में अवश्य लिखना है ।

टिप्पणी 1. यह विकल्प पूरे प्रश्न-पत्र के लिए होगा न कि एक ही प्रश्न-पत्र में अलग-अलग प्रश्नों के लिए ।

टिप्पणी 2. जो उम्मीदवार उपरोक्त प्रश्न-पत्रों के उत्तर अंग्रेजी अथवा हिन्दी (देवनागरी) में लिखना चाहते हैं उन्हें यह बात आवेदन-पत्र के कालम 6 में स्पष्ट रूप से लिख देनी चाहिए अन्यथा यह समझा जाएगा कि वे प्रश्न-पत्रों के उत्तर अंग्रेजी में लिखेंगे ।

टिप्पणी 3. एक बार रखा गया विकल्प अंतिम माना जायेगा और आवेदन-पत्र के कालम 8 में परिवर्तन करने से सम्बन्धित कोई अनुरोध स्वीकार नहीं किया जायेगा ।

टिप्पणी 4. प्रश्न-पत्र हिन्दी तथा अंग्रेजी दोनों में दिए जाएंगे ।

5. उम्मीदवार को सभी उत्तर अपने हाथ से लिखने होंगे। किसी भी हालत में उन्हें उत्तर लिखने के लिए अन्य व्यक्ति की सहायता लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

6. संस्थान अपने विवेक से परीक्षा के किसी एक या सभी विषयों के अर्हक अंक (क्वालीफाइंग नम्बर) निर्धारित कर सकता है ।

7. केवल कोरे सतही ज्ञान के लिए अंक नहीं दिये जायेंगे ।

8. खराब लिखावट के कारण लिखित विषयों के अधिकतम अंकों के 5 प्रतिशत तक अंक काट लिए जायेंगे ।

9. परीक्षा के सभी विषयों में इस बात पर विशेष ध्यान रखा जायगा कि भावाभिव्यक्ति कम से कम शब्दों, क्रम-बद्ध तथा प्रभाव पूर्ण ढंग से और ठीक-ठीक की गई है ।

अनुसूची

परीक्षा का पाठ्यक्र-विवरण

(1) निबन्ध तथा सार लेखन :

(क) निबन्ध विहित कई विषयों में से एक पर निबन्ध लिखना होगा ।

(ख) सार लेखन-सक्षम/सार लिखने के लिए सामान्यतः अनुच्छेद किये जाएंगे ।

(2) टिप्पण व आलेखन तथा कार्यालिय पद्धति : इस प्रश्न-पत्र का प्रयोजन सचिवालय तथा सम्बद्ध कार्यालियों में कार्यालिय पद्धति के बारे में उम्मीदवारों का ज्ञान और सामान्यतः टिप्पण व आलेखन के लिखने तथा समझने में उम्मीदवारों की योग्यता जांचनक है । उम्मीदवारों को चाहिए कि इसके लिए ये कार्यालिय पद्धति की नियम-पुस्तक (मैन्वल आफ आफिस प्रोसीजर) तथा रूल्स आफ प्रोसीजर एण्ड कण्डक्ट बिजिनेस इन लोक सभा एण्ड राज्य सभा पढ़े ।

(3) सामान्य ज्ञान : सामान्य ज्ञान के प्रश्न-पत्र का उद्देश्य अन्य बातों के साथ-साथ प्रत्याशी का भारतीय भूगोल तथा देश के प्रशासन सम्बन्धी ज्ञान तथा राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय, दोनों की वर्तमान घटनाओं के प्रति बुद्धिमतापूर्ण जागरूकता जिसकी किसी शिक्षित मनुष्य से अपेक्षा की जा सकती है, की परीक्षा लेना है ।

प्रत्याशियों के अन्तरों से उनके किन्हीं पाठ्य-पुस्तकों, प्रतिवेदनों इत्यादि के विस्तृत ज्ञान की नहीं, अपितु उनके प्रश्नों को बुद्धिमत्तापूर्ण तौर पर समझने की क्षमता प्रदर्शित हो ।

नियम

सं० एफ० 32/11/73-स्था० (ब०)—निम्नलिखित सेवाओं के ग्रेड में आरक्षित रिक्तियों को भरने के प्रयोजन से ऐसे निर्मुक्त आपातकालीन आयुक्त अधिकारियों और अल्पकालीन सेवा आयुक्त अधिकारियों के, जिन्हें 1 नवम्बर, 1962 को या उसके बाद किन्तु 10 जनवरी, 1968 से पूर्व सशस्त्र सेनाओं में कमीशन मिला अथवा

जो परवर्ती तारीख से पहले किसी कमीशर्म-पूर्व प्रशिक्षण में सम्मिलित हुए परन्तु जिन्हें इस तारीख को अथवा उसके बाद कमीशन प्राप्त हुआ था, चयन के लिए 1974 में संघ लोक सेवा आयोग द्वारा ली जाने वाली प्रतियोगिता परीक्षा के नियम सार्वजनिक जानकारी के लिए निर्मुक्त आपातकालीन आयुक्त अधिकारी तथा अल्पकालीन सेवा आयुक्त अधिकारी (रिक्तियों का आरक्षण) नियम, 1971 के नियम 5 में दिए गए उपबन्धों के अनुसरण में प्रकाशित किए जाते हैं। उपरोक्त उपबन्ध 29 जनवरी, 1974 के बाद लागू नहीं रहेंगे यदि उनकी अवधि सरकार द्वारा बढ़ा नहीं दी जाती।

(i) भारतीय अर्थ सेवा, और

(ii) भारतीय सांख्यिकीय सेवा।

2. इस परीक्षा के परिणाम के आधार पर भर्ती की जाने वाली रिक्तियों की संख्या का उल्लेख आयोग के द्वारा निकाली गई सूचना में किया जाएगा।

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के उम्मीदवारों के लिए आरक्षण भारत सरकार द्वारा निश्चित संख्या के अनुसार किया जाएगा।

अनुसूचित जातियों/आदिम जातियों से अभिप्राय निम्नांकित में उल्लिखित जातियों/आदिम जातियों में से किसी एक से है :— संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश 1950, संविधान (अनुसूचित जातियां) (भाग ग राज्य) आदेश, 1951, संविधान (अनुसूचित आदिम जातियां) आदेश 1950 और संविधान (अनुसूचित आदिम जातियां) (भाग ग राज्य) आदेश, 1951, जैसा कि बम्बई पुनर्गठन अधिनियम, 1960 और पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966 के साथ पठित अनुसूचित जातियों व अनुसूचित आदिम जातियां की सूचियां (संशोधन) आदेश, 1956 द्वारा, संशोधित है। संविधान (जम्मू और काश्मीर) अनुसूचित जातियां आदेश, 1956, संविधान (अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह) अनुसूचित आदिम जातियां आदेश, 1959, संविधान (दादर और नागर हवेली) अनुसूचित जातियां, आदेश, 1962, संविधान (दादर और नागर हवेली) अनुसूचित आदिम जाति आदेश, 1962 और संविधान (पांडिचेरी) अनुसूचित जातियां आदेश, 1964, संविधान (अनुसूचित आदिम आतियां) (उत्तर प्रदेश) आदेश, 1967। संविधान (गोवा, दमन और दीव) अनुसूचित जातियां आदेश, 1968, संविधान (गोवा, दमन और दीव) अनुसूचित आदिम जातियां आवेश, 1968 और संविधान (नागालैंड) अनुसूचित आदिम जातियां आदेश, 1970।

3. संघ लोक सेवा आयोग यह परीक्षा नियमों क परिशिष्ट II में विहित रीति से लेगा।

परीक्षा की तारीख और स्थान आयोग द्वारा नियत किए जाएंगे।

4. इन नियमों के उपबन्धों के अधीन निम्नलिखित श्रेणियों के वे आपातकालीन आयुक्त या अल्पकालीन सेवा आयुक्त अधिकारी इस परीक्षा में बैठने के पात्र होंगे जिन्हें 1 नवम्बर, 1962 को या उसके बाद किन्तु 10 जनवरी, 1968 से पूर्व सशस्त्र सेनाओं में कमीशन प्राप्त हुआ अथवा जो परवर्ती तारीख से पहले किसी कमीशन-पूर्व प्रशिक्षण में सम्मिलित हुए परन्तु जिन्हें इस तारीख को अथवा उसके बाद कमीशन प्राप्त हुआ :—

(i) वे अधिकारी जो इस अधिसूचना की तारीख से पूर्व 1973 में निर्मुक्त हो चुके हैं अथवा इसके बाद 1974 के अन्त तक निर्मुक्त होने हैं।

(ii) नियम 9 के उपबन्धों की सीमा तक तथा उनके अनुसार इस नियम में उल्लिखित अधिकारी।

नोट 1 :—इन नियमों के प्रयोज के हेतु "निर्मुक्त" का अर्थ है :—

(i) निर्मुक्त होने के निर्धारित वर्ष के अनुसार "निर्मुक्त"।

(ii) सैनिक सेवा द्वारा उत्पन्न विकलांगता के कारण विकलांगता की घोषणा, सेवा की अवधि के पश्चात् निर्मुक्त, न कि प्रशिक्षण के दौरान या प्रशिक्षण समाप्त होने पर, या वास्तविक सेवा में लिए जाने से पूर्व ऐसे प्रशिक्षण की अवधि को नियमित करने के लिए दिए गए अल्पकालीन सेवा कमीशन के दौरान या उसकी समाप्ति पर नियुक्त, और कदाचार, अदक्षता या अपने अनुरोध पर निर्मुक्त अफसरों के मामले इसके अधीन नहीं जाएंगे।

नोट 2 :—"निर्मुक्त होने का निर्धारित वर्ष" अभिव्यक्ति का अर्थ है :—

(i) जहां तक आपातकालीन आयुक्त अधिकारियों से इसका सम्बन्ध है, वह वर्ष जिसमें भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय द्वारा अनुमोदित निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार उन्हें निर्मुक्त होना है, और

(ii) जहां तक अल्पकालीन आयुक्त अधिकारियों का संबंध है, उनके लिए वह वर्ष माना जाएगा जिसमें अल्पकालीन आयुक्त अधिकारियों के रूप में सामान्य सेवा काल की समाप्ति होनी है।

नोट 3 :—यदि किसी व्यक्ति को अपना आवेदन पत्र प्रस्तुत करने के बाद सशस्त्र सेना में स्थायी कमीशन मिल जाता है, अथवा वह सशस्त्र सेना से इस्तीफा दे देता है या वह उससे कदाचार या अदक्षता या अपने निजी अनुरोध के कारण निर्मुक्त कर दिया जाता है तो व्यक्ति की पात्रता रद्द कर दी जायेगी।

नोट 4 :—जो इंजीनियर या डाक्टर केन्द्रीय सरकार में या राज्य सरकारों में या सरकार के स्वामित्व में चलने वाले औद्योगिक उद्यमों में कार्य करते हैं और जिनको अनिवार्य दायता योजना के अंतर्गत सशस्त्र सेना में कम-से-कम निर्धारित अवधि के लिए सेवा करनी पड़ती है और जिनको संगत नियमों के अंतर्गत इस प्रकार की सेवा की अवधि में अल्पकालीन सेवा कमीशन प्रदान किया जाता है, वे इस परीक्षा में प्रवेश के लिए पात्र नहीं होंगे।

नोट 5 :—जो अधिकारी सशस्त्र सेना के स्वैच्छिक आरक्षी सेवा (वालंटियर रिजर्व फोर्सेज) के सम्बद्ध होंगे और जो अस्थायी सेवा के लिए नियुक्त किए गए होंगे, वे इस परीक्षा में प्रवेश के लिए पात्र नहीं होंगे।

5. उम्मीदवार को या तो :—

(क) भारत का नागरिक होना चाहिए, या

(ख) सिक्किम की प्रजा, या

(ग) नेपाल की प्रजा, या

(घ) भूटान की प्रजा, या

(ङ) ऐसा तिब्बती शरणार्थी जो भारत में स्थायी रूप से रहने की इच्छा से 1 जनवरी, 1962 से पहले भारत आ गया हो, या

(च) मूल रूप से भारतीय व्यक्ति हो, जो भारत में स्थायी रूप से रहने की इच्छा से पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका (पहले सीलोन नाम से विख्यात) और पूर्वी अफ्रीका के कीनिया, उगांडा तथा संयुक्त गणराज्य टेंजानिया (भूतपूर्व टांगानिका और जंजीबार) देशों से आया हो।

परन्तु ऊपर की (ग), (घ) और (ङ) और (च) कोटियों के अंतर्गत आने वाले उम्मीदवार के पास भारत सरकार द्वारा दिया गया पात्रता (एलिजिबिलिटी) प्रमाण पत्र होना चाहिए।

परीक्षा में उस उम्मीदवार को भी बैठने दिया जा सकता है जिसके लिए पात्रता प्रमाण पत्र आवश्यक हों और उसे सरकार द्वारा प्रमाण पत्र दिए जाने की शर्त के साथ, अनंतिम रूप से नियुक्त भी किया जा सकता है।

6. (क) उम्मीदवार के लिए यह आवश्यक है कि उसकी आयु 26 वर्ष से अधिक उस वर्ष की 1 जनवरी को न हो जिसमें वह सशस्त्र सेना में कमीशन-पूर्व प्रशिक्षण में सम्मिलित हुआ हो, या (जहां केवल कमीशन परवर्ती प्रशिक्षण हो) उसने कमीशन प्राप्त किया हो।

(ख) ऊपर निर्धारित ऊपरी आयु में निम्नलिखित स्थितियों में और छूट दी जा सकती है :—

(1) यदि उम्मीदवार किसी अनुसूचित जाति या अनुसूचित आदिम जाति का हो तो अधिक से अधिक पांच वर्ष;

(2) यदि उम्मीदवार भूतपूर्व पूर्वी पाकिस्तान से 1 जनवरी, 1964 को या उसके बाद परन्तु 25 मार्च, 1971 से पहले भारत में आया हुआ वास्तविक विस्थापित व्यक्ति हो तो अधिक से अधिक तीन वर्ष,

(3) यदि उम्मीदवार अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित आदिम जाति का हो और वह 1 जनवरी, 1964 को या उसके बाद परन्तु 25 मार्च, 1971 से पहले भूतपूर्व पूर्वी पाकिस्तान से आया वास्तविक विस्थापित व्यक्ति हो तो अधिक से अधिक आठ वर्ष,

(4) यदि उम्मीदवार अक्तूबर, 1964 से भारत-श्रीलंका करार के अधीन 1 नवम्बर, 1964 को या उसके बाद, श्रीलंका (पहले सीलोन के नाम से विख्यात) से वास्तव में प्रत्यावर्तित होकर भारत में आया हुआ मूलरूप से भारतीय व्यक्ति हो, तो अधिक से अधिक तीन वर्ष;

(5) यदि उम्मीदवार अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित आदिम जाति का हो और साथ ही अक्तूबर, 1964 से भारत-श्रीलंका करार के अधीन, 1 नवम्बर, 1964 को या उसके बाद श्रीलंका (पहले सीलोन के नाम से विख्यात) से वास्तविक रूप से प्रत्यावर्तित भारत में आया हुआ मूलरूप से भारतीय व्यक्ति भी हो, तो अधिक से अधिक आठ वर्ष,

(6) यदि उम्मीदवार गोआ, दमन और दीव के संघ राज्य क्षेत्र का निवासी हो, तो अधिक से अधिक तीन वर्ष,

(7) यदि उम्मीदवार कीनिया, उगांडा, तथा संयुक्त गणराज्य टेंजानिया (भूतपूर्व टांगानिका तथा जंजीबार) से आया हुआ मूल रूप से भारतीय व्यक्ति हो, तो अधिक से अधिक तीन वर्ष,

(8) यदि उम्मीदवार 1 जून, 1973 या उसके बाद बर्मा से वास्तव में प्रत्यावर्तित होकर भारत में आया हुआ मूल रूप से भारतीय व्यक्ति हो, तो अधिक से अधिक तीन वर्ष, और

(9) यदि उम्मीदवार अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित आदिम जाति का हो और साथ ही 1 जून, 1963 को या उसके बाद, बर्मा से प्रत्यावर्तित होकर भारत में आया हुआ मूल रूप से भारतीय व्यक्ति हो, तो अधिक से अधिक आठ वर्ष।

(10) रक्षा सेवाओं के उन कर्मचारियों के मामले में अधिकतम तीन वर्ष तक जो किसी विदेशी शत्रु देश के साथ संघर्षों में अथवा अशांतिग्रस्त क्षेत्र में फौजी कार्यवाही के दौरान विकलांग हुए तथा उसके परिणामस्वरूप निर्मुक्त हुए, तथा

(11) रक्षा सेवाओं के उन कर्मचारियों के मामले में अधिकतम आठ वर्ष तक जो किसी विदेशी शत्रु देश के साथ संघर्षों अथवा अशांतिग्रस्त क्षेत्र में फौजी कार्यवाही के दौरान विकलांग हुए तथा उसके परिणामस्वरूप निर्मुक्त हुए और अनुसूचित जातियों या अनुसूचित आदिम जातियों के हैं।

(12) यदि उम्मीदवार सशस्त्र सेना में कमीशन-पूर्व प्रशिक्षण में सम्मिलित हुआ हो अथवा 1963 में कमीशन प्राप्त किया हो (जहां केवल कमीशन परवर्ती प्रशिक्षण था) और पाकिस्तान से वास्तविक विस्थापित व्यक्ति हो तो उसके लिए अधिकतम तीन वर्ष तक,

(13) यदि उम्मीदवार सशस्त्र सेना में कमीशन-पूर्व प्रशिक्षण में सम्मिलित हुआ हो अथवा 1963 में कमीशन

प्राप्त किया हो (वहां केवल कमीशन परवर्ती प्रशिक्षण था) और अनुसूचित जाति या अनुसूचित आदिम जाति का हो और पाकिस्तान से वास्तविक विस्थापित व्यक्ति भी हो, तो उसके लिए अधिकतम आठ वर्ष तक;

(14) यदि उम्मीदवार सशस्त्र सेना में कमीशन पूर्व प्रशिक्षण में सम्मिलित हुआ हो अथवा उसने 1963-1964 या 1965 में कमीशन प्राप्त किया हो (जहां केवल कमीशन परवर्ती प्रशिक्षण था) या अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह का निवासी हो तो उसके लिए अधिकतम चार वर्ष तक;

(15) यदि उम्मीदवार सशस्त्र सेना में कमीशन पूर्व प्रशिक्षण में सम्मिलित हुआ हो अथवा उसने 1963 या 1964 या 1965 में कमीशन (जहां केवल कमीशन परवर्ती प्रशिक्षण था) प्राप्त किया हो और वह भारतीय नागरिक है और श्रीलंका (पहले सीलोन के नाम से विख्यात) से प्रत्यावर्तित हो तो उसके लिए अधिकतम तीन वर्ष तक;

(16) यदि उम्मीदवार संघ राज्य क्षेत्र पांडिचेरी का निवासी हो तथा उसके कभी फ्रेंच भाषा के माध्यम से शिक्षा प्राप्त की हो तो अधिक से अधिक तीन वर्ष।

उपर्युक्त परिस्थितियों को छोड़कर निर्धारित आयु सीमा में किसी भी स्थिति में छूट नहीं दी जायेगी।

7. किसी उम्मीदवार को दो से अधिक बार प्रतियोगिता परीक्षा में भाग लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी। यह प्रतिबन्ध 1971 में हुई परीक्षा से प्रभावी है।

8. किसी भी उम्मीदवार को उसके पहले तथा दूसरे अवसर के रूप में क्रमशः उसके निर्मुक्त होने के वर्ष और उसके निर्मुक्त होने के वर्ष के बाद के वर्ष में परीक्षा देनी चाहिए।

9. नियम 8 में दी गई किसी भी बात के बावजूद :—

(i) ऐसा कोई उम्मीदवार, जिसे 1973 की परीक्षा के आवेदन पत्रों की प्राप्ति के लिए विहित अंतिम तिथि के पश्चात् 1973 के दौरान मिलिट्री सेवा के कारण हुई विकलांगता अथवा विकलांगता के गंभीर रूप धारण करने के कारण, अमान्य ठहराया गया हो, 1974 में होने वाली परीक्षा अपने पहले अवसर के रूप में दे सकता है।

(ii) वर्ष 1972 में ली जाने वाली परीक्षा के लिए आवेदन पत्र देने के लिए विहित अंतिम तारीख के बाद वर्ष 1972 के दौरान सैनिक सेवा के कारण हुई विकलांगता या विकलांगता के गंभीर रूप धारण करने के फल-स्वरूप समान्य घोषित किये गये उम्मीदवार 1974 में होने वाली परीक्षा अपने दूसरे अवसर के रूप में दे सकता है।

(iii) ऐसा उम्मीदवार जिसे 1972 में निर्मुक्त होना था और जिसे 1972 में हुई परीक्षा देने की स्वीकृति दी गई थी, अपने दूसरे अवसर के रूप में 1974 में होने वाली परीक्षा दे सकता है बशर्ते कि उसे मिलिट्री सेवा की अत्यावश्यकता के कारण 1972 में हुई परीक्षा में बैठने की अनुमति न दी गई हो।

(iv) ऐसा कोई उम्मीदवार, जिसे 1971 की परीक्षा के आवेदन पत्रों की प्राप्ति के लिए विहित अंतिम तारीख के पश्चात् 1971 में मिलिट्री सेवा के कारण हुई विकलांगता अथवा विकलांगता के गंभीर रूप धारण करने के कारण 1972 में हुई परीक्षा देने की स्वीकृति दी गई थी, परन्तु उसने वह परीक्षा नहीं दी अपने दूसरे अवसर के रूप में 1974 में होने वाली परीक्षा दे सकता है बशर्ते कि वह 20 सितम्बर, 1971 को या उससे पहले निर्मुक्त न हुआ हो।

(v) कोई भी आपातकालीन आयुक्त/अल्पकालीन सेवा आयुक्त अधिकारी, जो सशस्त्र सेनाओं में कमीशन पूर्व प्रशिक्षण में 10-1-1968 से पहले सम्मिलित हुआ हो परन्तु उसे 10-1-1968 को या उसके बाद कमीशन प्राप्त हुआ हो, निम्नलिखित शर्तों के अधीन 1974 में होने वाली परीक्षा दे सकता है :—

(क) अपने दूसरे अवसर के रूप में, यदि वह 1972 के दौरान निर्मुक्त हुआ हो;

(ख) अपने दूसरे अवसर के रूप में, यदि वह 1971 की परीक्षा के लिए आवेदन-पत्रों की प्राप्ति की अंतिम तिथि के पश्चात् 1971 के दौरान मिलिट्री सेवा के कारण हुई विकलांगता अथवा विकलांगता के गंभीर रूप धारण करने के कारण आमान्य ठहराया गया हो।

टिप्पणी 1—उपरोक्त (i) में दिए गए उपबन्ध उन उम्मीदवारों पर लागू नहीं होंगे जिन्हें 1973 में निर्मुक्त होना है।

टिप्पणी 2—उपरोक्त (iv) तथा (v) (ख) में दिए गये उपबन्ध उन उम्मीदवारों पर लागू नहीं होंगे जिन्हें 1971 में निर्मुक्त होना था।

टिप्पणी 3—उपरोक्त (ii) में दिया गया उपबन्ध उन उम्मीदवारों पर लागू नहीं होगा जिन्हें 1972 में निर्मुक्त होना था।

ध्यान दें:—ऐसे उम्मीदवार जो इस नियम के उपबन्धों के अनुसार 1975 में अपने दूसरे अवसर का उपयोग करने के पात्र हैं वे उसका उपयोग कर सकते हैं अगर इन नियमों के नियम 1 में निर्दिष्ट नियमों के उपबन्धों की अवधि सरकार द्वारा 28 जनवरी, 1974 से आगे बढ़ा दी जाती है।

10. (क) भारतीय अर्थ सेवा के लिए उम्मीदवार के पास परिशिष्ट-1 में उल्लिखित किसी विश्वविद्यालय की अर्थ शास्त्र या सांख्यिकी विषय सहित उपाधि होनी चाहिए।

(ख) भारतीय सांख्यिकी सेवा के लिए उम्मीदवार के पास परिशिष्ट-1 में उल्लिखित किसी विश्वविद्यालय की सांख्यिकीय या गणित या अर्थ शास्त्र विषय सहित उपाधि होनी चाहिए, अथवा उसके पास परिशिष्ट-1 क में उल्लिखित अर्हताओं में से कोई एक अर्हता होनी चाहिए ।

टिप्पणी (I)—यदि कोई उम्मीदवार किसी ऐसी परीक्षा में बैठा हो जिसे उत्तीर्ण कर लेने पर वह इस परीक्षा में बैठ सकता है किन्तु अभी उसे परीक्षा परिणाम की सूचना न मिली हो तो ऐसी स्थिति में वह उस परीक्षा में बैठने के लिए आवेदन कर सकता है । जो उम्मीदवार इस प्रकार की अर्हता परीक्षा (क्वालीफाइंग एक्जामिनेशन) में बैठना चाहता हो, वह भी आवेदन कर सकता है बशर्ते कि वह अर्हता परीक्षा इस परीक्षा के आरम्भ होने से पहले समाप्त हो जाये, ऐसे उम्मीदवारों को यदि अन्य शर्तें पूरी करते हों तो इस परीक्षा में बैठने दिया जायेगा । परन्तु परीक्षा में बैठने की अनुमति अनंतिम मानी जाएगी और यदि वे अर्हता परीक्षा में उत्तीर्ण होने का प्रमाण जल्दी से जल्दी और हर हालत में इस परीक्षा के प्रारम्भ होने की तारीख से अधिक से अधिक 2 महीने के भीतर प्रस्तुत नहीं करते तो यह अनुमति रद्द की जा सकती है ।

टिप्पणी (II)—विशेष परिस्थितियों में, संघ लोक सेवा आयोग ऐसे किसी उम्मीदवार को भी परीक्षा में प्रवेश का पात्र मान सकता है जिसके पास उपर्युक्त अर्हताओं में से कोई भी अर्हता न हो बशर्ते कि उस उम्मीदवार ने अन्य संस्थाओं द्वारा संचालित कोई ऐसी परीक्षा पास की हो जिसके उत्तर को देखते हुए उसको परीक्षा में प्रवेश देना उचित समझें ।

टिप्पणी (III)—यदि कोई उम्मीदवार अन्यथा परीक्षा में प्रवेश का पात्र हो किन्तु उसने ऐसी विदेशी विश्वविद्यालय से उपाधि ली हो जो परिशिष्ट-1 में सम्मिलित न हो तो वह भी आयोग को आवेदन कर सकता है और आयोग यदि उचित समझे तो उसे परीक्षा में प्रवेश दे सकता है ।

11. सशस्त्र सेना में सेवा करने वाले उम्मीदवार इस परीक्षा के लिए अपना आवेदन पत्र अपनी यूनिट के कमान अधिकारी को प्रस्तुत करेगा जो इसे संघ लोक सेवा आयोग को भेजेगा । यदि उम्मीदवार स्वयं ही अपनी यूनिट का कमान अधिकारी है तो उसे आवेदन पत्र अपने अगले उच्च अधिकारी को प्रस्तुत करना चाहिए ।

सब अन्य सरकारी सेवा के उम्मीदवारों को, चाहे वे स्थायी अथवा अस्थायी पद पर हों या अनियत अथवा दिहाड़ी पर रखे कर्मचारियों को छोड़कर, कार्य प्रभारित कर्मचारी के रूप में नियुक्त हों, परीक्षा में प्रवेश के लिए विभागाध्यक्ष की पूर्व अनुमति अवश्य लेनी चाहिए ।

12. परीक्षा में बैठने के लिए उम्मीदवार की पात्रता या अपात्रता के बारे में आयोग का निर्णय अंतिम होगा ।

13. किसी उम्मीदवार को परीक्षा में तब तक नहीं बैठने दिया जायेगा, जब तक कि उसके पास आयोग का प्रवेश प्रमाण पत्र (सार्टिफिकेट आफ एडमिशन) नहीं होगा ।

14. यदि कोई उम्मीदवार किसी भी प्रकार से अपनी उम्मीदवारी के लिए पैरवी करने की कोई कोशिश करेगा तो उसे परीक्षा में बैठने के लिए अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा ।

15. यदि किसी उम्मीदवार को आयोग ने किसी दूसरे व्यक्ति की परीक्षा दिलवाने अथवा जाली या फेर-बदल किये हुए प्रमाण पत्र पेश करने अथवा गलत या झूठा तथ्य प्रस्तुत करने अथवा किसी तथ्य को छिपाने या परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए कोई अन्य अनियमित या अनुचित उपाय अपनाने या अपनाने की चेष्टा करने अथवा परीक्षा भवन में किसी तरह का अनुचित आचरण करने के फलस्वरूप अपराधी घोषित किया गया है तो उसके विरुद्ध दाण्डिक अभियोजन के अतिरिक्त निम्नलिखित कार्यवाही की जा सकती है :—

(क) सदा के लिए अथवा किसी विशेष अवधि के लिए परीक्षा से वारित किया जाना :

(i) आयोग द्वारा उम्मीदवारों के लिए आयोजित किसी परीक्षा में सम्मिलित होने अथवा किसी साक्षात्कार में उपस्थित होने से; और

(ii) केन्द्रीय सरकार द्वारा सरकार के अन्तर्गत नौकरियों के लिए ।

(ख) यदि वह पहले से ही सरकार की सेवा में हो तो उचित नियमों के अधीन अनुशासनिक कार्यवाही की जा सकती है ।

16. जो उम्मीदवार लिखित परीक्षा में उतने न्यूनतम अर्हता अंक (क्वालीफाइंग मार्क्स प्राप्त कर लेगा जितने आयोग अपने निर्णय से निश्चित करे, तो उसे आयोग मौखिक परीक्षा) के लिए बुलाएगा ।

17. परीक्षा के बाद, आयोग उम्मीदवारों के द्वारा अंतिम रूप से प्राप्त कुल अंकों के आधार पर योग्यताक्रम से उनकी सूची बनाएगा और उसी क्रम से उन उम्मीदवारों में से जितने लोगों को आयोग परीक्षा के आधार पर योग्य समझेगा, उनकी नियुक्ति करने के लिए सिफारिश की जाएगी ।

लेकिन शर्त यह है कि यदि सामान्य स्तर के आधार पर अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के लिए आरक्षित पद नहीं भरे जा सकते हैं तो आरक्षित कोटे को पूरा करने के लिए स्तर में छूट देकर अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के उम्मीदवारों को नियुक्त करने के लिए, सेवा के लिए योग्य होने पर, परीक्षा की योग्यता सूची में उनके रैंक को ध्यान में रखे बिना ही आयोग द्वारा सिफारिश की जा सकती है ।

18. (क) यदि परीक्षा के परिणाम, पर योग्य उम्मीदवारों की पर्याप्त संख्या निर्मुक्त आपात आयुक्त अफसरों/अल्पकालीन सेवा आयुक्त अफसरों द्वारा भरे जाने वाले आरक्षित रिक्त स्थानों के लिए प्राप्य नहीं हैं तो बिना भरे हुए रिक्त स्थानों को सरकार द्वारा इस विषय में निर्धारित ढंग से भरा जाएगा ।

(ख) यदि अर्हता प्राप्त उम्मीदवारों की संख्या, निर्मुक्त आपातकालीन आयुक्त अधिकारियों/अल्पकालीन सेवा आयुक्त अधिकारियों के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या से अधिक हो तो उनमें से जिन्हें नियुक्त नहीं किया जाए उनके नाम आने वाले वर्ष (वर्षों) में आरक्षित रिक्त स्थानों के कोटा में नियुक्ति के लिए प्रतीक्षक सूची (वेटिंग लिस्ट) पर रख दिए जायेंगे बशर्ते कि भारत सरकार द्वारा 28-1-1974 के बाद भी निर्मुक्त आपातकालीन आयुक्त अल्पकालीन सेवा आयुक्त अधिकारियों के लिए ये आरक्षण जारी रखे जायें।

19. प्रत्येक उम्मीदवार को परीक्षाफल की सूचना किस रूप में और किस प्रकार दी जाय, इसका निर्णय आयोग स्वयं करेगा। आयोग परीक्षाफल के बारे में किसी भी उम्मीदवार से पत्राचार नहीं करेगा।

20. दोनों सेवाओं के लिए प्रतियोगिता में भाग लेने वाले उम्मीदवारों के मामले में उम्मीदवार द्वारा अपना आवेदन देते समय अभिव्यक्त की गयी तरजीह पर अपेक्षित ध्यान दिया जाएगा।

21. परीक्षा में पास हो जाने से नियुक्ति का अधिकार तब तक नहीं मिलता जब तक कि सरकार आवश्यक जांच के बाद संतुष्ट न हो जाए कि उम्मीदवार इसमें नियुक्ति के लिए हर प्रकार से योग्य है।

22. उम्मीदवार को मानसिक और शारीरिक दृष्टि से स्वस्थ होना चाहिए, और उसमें कोई ऐसा शारीरिक दोष नहीं होना चाहिए जिससे वह संबंधित सेवा के अधिकारी के रूप में अपने कर्त्तव्यों को कुशलतापूर्वक न निभा सके। यदि सरकार या सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित शारीरिक परीक्षा के बीच किसी उम्मीदवार के बारे में यह ज्ञात हो कि वह इन आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर सकता है तो उसकी नियुक्ति नहीं की जाएगी। आयोग द्वारा मौखिक परीक्षा के लिए बुलाए गए उम्मीदवार की शारीरिक परीक्षा करवाई जा सकती है।

नोट :—बाद में निराश न होना पड़े इसलिए उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे परीक्षा में प्रवेश के लिए आवेदन पत्र भेजने से पहले सिविल सर्जन के स्तर के सरकारी चिकित्सा अधिकारी से अपनी जांच करवा लें। नियुक्ति से पहले उम्मीदवारों को किस प्रकार की डाक्टरी जांच होगी और इसके लिए स्वास्थ्य का स्तर किस प्रकार का होना चाहिए, इसके ब्यौरे इन नियमों के परिशिष्ट 4 में दिए गए हैं। रक्षा सेवाओं के भूतपूर्व विकलांग सैनिकों को सेवाओं की आवश्यकताओं के अनुरूप डाक्टरी जांच के स्तर में छूट दी जायेगी।

23. ऐसा कोई पुरुष/स्त्री,

(क) जिसने ऐसी महिला/ऐसे पुरुष से विवाह करने का करार किया हो, अथवा विवाह कर लिया हो जिसका पति/जिसकी पत्नी जीवित हो, अथवा

(ख) जिसने जीवित पत्नी/पति के होते हुए किसी अन्य व्यक्ति के साथ विवाह करने का करार किया हो अथवा विवाह कर लिया हो।

वह उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा/होगी। परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार इस बात से संतुष्ट हो कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति पर अथवा जिस से विवाह किया गया हो उस पर लागू होने वाले वैयक्तिक कानून के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के अन्य कारण हैं तो ऐसे व्यक्ति को इस कानून से छूट दे सकती है।

24. इस परीक्षा के द्वारा जिसे सेवा के लिए भर्ती की जा रही है उसका संक्षिप्त ब्यौरा परिशिष्ट III में दिया गया है।

बी० एल० मथुरिया, अवर सचिव

परिशिष्ट 1

भारत सरकार द्वारा अनुमोदित विश्वविद्यालयों की सूची

(नियम 10 के अनुसार)

भारतीय विश्वविद्यालय

कोई भी ऐसा विश्वविद्यालय जो भारत के केन्द्रीय या राज्य विधान मण्डल के अधिनियम से निगमित किया गया हो अथवा अन्य शिक्षा संस्थाएं जिन्हें संसद के अधिनियम द्वारा स्थापित किया गया है अथवा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 3 के अंतर्गत विश्वविद्यालय मान लिया जाने की घोषणा की जा चुकी है।

बर्मा के विश्वविद्यालय

रंगून विश्वविद्यालय
मांडले विश्वविद्यालय

इंगलैण्ड और वैल्स के विश्वविद्यालय

बर्मिंघम, ब्रिस्टल, कैम्ब्रिज, डरबन, लीड्स, लीवरपूल, लंदन, मैन्चेस्टर, ओक्सफोर्ड, रिडिंग, शैफिल्ड तथा वेल्स के विश्वविद्यालय।

स्काटलैण्ड के विश्वविद्यालय

एबरडीन, एडिनबरा, ग्लाएगो, और सेंट एन्ड्रूज विश्वविद्यालय

आयरलैण्ड के विश्वविद्यालय

डबलिन विश्वविद्यालय (ट्रिनीटी कालेज)
आयरलैण्ड नेशनल विश्वविद्यालय
क्वीन्स विश्वविद्यालय बेलफास्ट

पाकिस्तान विश्वविद्यालय

पंजाब विश्वविद्यालय
सिंध विश्वविद्यालय

बंगलादेश के विश्वविद्यालय

ढाका विश्वविद्यालय
राजशाही विश्वविद्यालय

नेपाल के विश्वविद्यालय

त्रिभुवन विश्वविद्यालय, काठमांडू

परिशिष्ट-1क

केवल भारतीय सांख्यिकीय सेवा की परीक्षा में बैठने के लिये मान्यता प्राप्त अर्हताओं की सूची [देखिए नियम(10)(ख)] ।

(i) भारतीय सांख्यिकीय संस्थान कलकत्ता का सांख्यिाविद–डिप्लोमा (स्टैटिस्टीशियन डिप्लोमा) और

(ii) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद्, नई दिल्ली के भारतीय कृषि अनुसंधान सांख्यिकीय संस्थान का व्यावसायिक संख्याविद् प्रमाण पत्र (प्रोफेसनल स्टेटिसटिशियन सर्टिफिकेट) ।

परिशिष्ट 2

खण्ड 1

परीक्षा की रूपरेखा :—

प्रतियोगिता परीक्षा में निम्नलिखित सम्मिलित होंगे :—

(क) अधिकतम 700 अंकों की, निम्नलिखित खण्ड के उपखण्ड क्रमश: (क) तथा (ख) में दिखाये गये विषयों में लिखित परीक्षा ।

(ख) जो उम्मीदवार आयोग द्वारा मौखिक परीक्षा के लिए बुलाये जायें, उनके लिए अधिकतम 450 अंकों की मौखिक परीक्षा, जिसमें से 50 अंक सशस्त्र सेना में की गई सेवा की सेवा पंजी के मूल्यांकन के लिए होंगे ।

खण्ड 2

परीक्षा के विषय

		अधिकतम अंक
(क)	भारतीय अर्थ सेवा	
1	सामान्य अंग्रेजी . . .	150
2	सामान्य ज्ञान . . .	150
3	अर्थशास्त्र-1 . . .	200
4	अर्थशास्त्र-2 . . .	200
(ख)	भारतीय सांख्यिकीय सेवा	अधिकतम अंक
1	सामान्य अंग्रेजी . . .	150
2	सामान्य ज्ञान . . .	150
3	सांख्यिकीय 1 . . .	200
*4	सांख्यिकीय 2 . . .	200

*इस विषय में निम्नलिखित पांच शाखाओं में से प्रत्येक के अलग-अलग पत्र होंगे, जिनमें उम्मीदवार को केवल दो चुनने होंगे, प्रत्येक प्रश्न पत्र के 100 अंक होंगे :—

1. औद्योगिक सांख्यिकीय (सांख्यिकीय गुह नियंत्रण सहित)
2. आर्थिक सांख्यिकी
3. शैक्षिक सांख्यिकी (मनोमिति सहित)
4. जनन (जेनेटीकल) सांख्यिकी तथा डेमोग्राफी और जन्म मरण सांख्यिकी ।

नोट :—इस खण्ड में उल्लिखित विषयों का स्तर और पाठ्य-क्रम इस परिशिष्ट की अनुसूची के भाग क में दिया गया है ।

खण्ड 3

1. सभी प्रश्न पत्रों के उत्तर अंग्रेजी में ही लिखने होंगे ।

2. सांख्यिकी-II को छोड़कर उपयुक्त खण्ड-II में दिये गये प्रत्येक विषय के प्रश्न पत्र के लिए 3 घण्टे का समय दिया जायेगा । सांख्यिकी-II में इस परिशिष्ट की अनुसूची के भाग (क) की मद 6 पर इस विषय के नीचे दिये गये नोट के अनुसार डेढ़-डेढ़ घण्टे के पांच प्रश्न पत्र होंगे ।

3. उम्मीदवारों को प्रश्नों का उत्तर अपने हाथ से लिखना होगा । उन्हें किसी भी हालत में उसकी ओर से उत्तर लिखने के लिये किसी अन्य व्यक्ति की सहायता लेने की अनुमति नहीं दी जायेगी ।

4. आयोग अपने निर्णय से परीक्षा के किसी एक या सभी विषयों के अर्हक अंक (क्वालीफाइंग मार्कस) निर्धारित कर सकता है ।

5. भारतीय अर्थ सेवा के लिये केवल उन्हीं उम्मीदवारों के निम्नलिखित विषयों, अर्थात सामान्य अंग्रेजी तथा सामान्य ज्ञान के प्रश्न पत्रों को जांचा और अंकित किया जायेगा जो लिखित परीक्षा के अर्थशास्त्र-I और अर्थशास्त्र–II विषयों में एक निश्चित न्यूनतम स्तर प्राप्त करेंगे, जैसा कि आयोग द्वारा अपने निर्णय से निर्धारित किया जायेगा ।

भारतीय सांख्यिकीय सेवा के लिये केवल उन्हीं उम्मीदवारों के निम्नलिखित विषयों, अर्थात् सामान्य अंग्रेजी तथा सामान्य ज्ञान के प्रश्न पत्रों को जांचा और अंकित किया जायेगा जो लिखित परीक्षा के सांख्यिकीय-I और सांख्यिकीय-II विषयों में एक निश्चित न्यूनतम स्तर प्राप्त करेंगे जैसा कि आयोग द्वारा अपने निर्णय से निर्धारित किया जायेगा ।

6. यदि किसी उम्मीदवार की लिखावट आसानी से पढ़ने लायक नहीं होगी तो उसे अन्यथा मिलने वाले कुछ नम्बरों में से कुछ नम्बर काट लिये जायेंगे ।

7. केवल सतही ज्ञान के लिये नम्बर नहीं दिये जायेंगे ।

8. परीक्षा के सभी विषयों में इस बात का विशेष ध्यान रखा जायेगा कि अभिव्यक्ति कम से कम शब्दों में क्रमबद्ध तथा प्रभावपूर्ण ढंग और ठीक-ठीक की गई हो ।

9. उम्मीदवारों से तोल और माप की मीट्रिक प्रणाली की जानकारी की आशा की जाती है । प्रश्नों के उत्तर जहां कहीं ऐसा आवश्यक हो, तोल और माप की मीट्रिक प्रणाली का ही उपयोग किया जायेगा ।

अनुसूची

(भाग-क)

अंग्रेजी भाषा तथा सामान्य ज्ञान के प्रश्न पत्रों का स्तर वही होगा जिसकी भारतीय विश्वविद्यालय के स्नातक से अपेक्षा की जा सकती है ।

अन्य विषयों के प्रश्न पत्र किसी भारतीय विश्वविद्यालय के सम्बद्ध व्यवस्थाओं के अंतर्गत "मास्टर" डिग्री परीक्षा स्तर के होंगे। उम्मीदवारों से तथ्यों द्वारा सिद्धांत की व्याख्या करने और सिद्धांतों द्वारा समस्याओं का विश्लेषण करने की अपेक्षा की जाएगी उनसे अर्थशास्त्र सांख्यिकी के क्षेत्र (क्षेत्रों) में भारतीय समस्याओं से संबंधित विशेष रूप से निपुणता की अपेक्षा की जाएगी।

1. **सामान्य अंग्रेजी**

उम्मीदवारों को अंग्रेजी भाषा में एक निबंध लिखना होगा। अन्य प्रश्न उम्मीदवारों को अंग्रेजी संबंधी योग्यता एवं अंग्रेजी शब्दों के सामान्य प्रयोग की जांच करने के लिए रखे जायेंगे। साधारणतया सारांश अथवा सारलेखन के लिए गद्यांश रखे जायेंगे।

2. **सामान्य ज्ञान**

इस प्रश्न पत्र के दो भाग होंगे :—

पहले भाग में उम्मीदवार से ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे, जिनमें सामयिक घटनाओं का और दिन प्रतिदिन देखी और अनुभव की जाने वाली बातों के वैज्ञानिक पक्ष का ऐसा ज्ञान सम्मिलित है जिसकी किसी ऐसे शिक्षित व्यक्ति से अपेक्षा की जा सकती है जिसने वैज्ञानिक विषयों का विशेष अध्ययन न किया हो। इस प्रश्न पत्र में भारतीय इतिहास और भूगोल के ऐसे प्रश्न भी होंगे जिनका उत्तर उम्मीदवारों को विशेष अध्ययन के बिना ही आना चाहिए।

दूसरे भाग में ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे जिनके द्वारा उम्मीदवारों की तथ्यों और आंकड़ों का प्रयोग करने तथा उनसे तर्कसंगत निष्कर्ष निकालने जटिलताओं की प्रत्यक्ष जाने लेने की योग्यता एवं महत्वपूर्ण और कम महत्वपूर्ण के बीच अंतर करने की योग्यता की जांच की जा सके।

3. **अर्थशास्त्र** i

क्षेत्र तथा रीति विधान
संतुलन विश्लेषण

उपभोक्ता की मांग का सिद्धांत। तटस्थावक्र रेखाओं का विश्लेषण, अधिमान, संबंधी विचारधाराएं, उपभोक्ता की बचत, उत्पत्ति के सिद्धान्त, उत्पत्ति के कारक, उत्पत्ति फलन, उत्पत्ति के नियम, फर्म तथा उद्योग के अंतर्गत साम्य।

विभिन्न प्रकार के बाजार संगठनों में मूल्य निर्धारण। समाजवादी अर्थव्यवस्था में मूल्य निर्धारण। मिश्रित अर्थव्यवस्था में मूल्य निर्धारण।

लोकापयोगी सेवाएं :—लोकापयोगिताओं की आर्थिक विशेषताएं लोकोपयोगिताओं में मूल्य निर्धारण, लोकापयोगिताओं का नियतन।

वितरण का सिद्धांत। उत्पत्ति कारणों का मूल्य निर्धारण, लगान, मजदूरी, ब्याज तथा लाभ के सिद्धांत। समविष्ठ वितरण सिद्धांत। राष्ट्रीय आय में मजदूरी का भाग। लाभ और आर्थिक प्राप्ति। आय वितरण में असमानताएं।

रोजगार और उत्पादन का सिद्धान्त—क्लासिकल तथा नव क्लासिकल विचारधाराएं। कीन्स का रोजगार सिद्धांत। कीन्स के बाद के सिद्धांत।

आर्थिक उतार चढ़ाव। व्यापार चक्रों के सिद्धांत। व्यापार चक्रों को नियंत्रित करने के लिये वित्तीय तथा मौद्रिक नीतियां। कल्याणकारी अर्थशास्त्र—कल्याणकारी अर्थशास्त्र का क्षेत्र, क्लासिकल तथा नव क्लासिकल विचाराधाराएं, नवीन कल्याणकारी अर्थशास्त्र तथा क्षतिपूर्ति के सिद्धांत, अनुकूलन दशाएं, नीति संबंधी बाधाएं।

4—**अर्थशास्त्र** ii

आर्थिक विकास की संकल्पना तथा उसका मापन। सामाजिक लेखे : राष्ट्रीय आय के लेखे। निधि प्रवाह का लेखा, निविष्ट निपज का लेखा।

सामाजिक विचारधाराएं तथा आर्थिक विकास
विकासन्मुखी अर्थ-व्यवस्थाओं की विशेषताएं तथा समस्याएं।
जनसंख्या की वृद्धि तथा आर्थिक विकास।
आर्थिक विकास के सिद्धांत। विकास के प्रतिमान।

आयोजन—संकल्पना तथा विधियां। समाजवादी तथा पूंजीवादी आर्थिक संगठन के आयोजन। मिश्रित अर्थव्यवस्था में आयोजन। ठोस पर्सपेक्टिव आयोजन। क्षेत्रीय आयोजन। विनियोग के सिद्धांत तथा पद्धतियों का चयन लागत लाभ विश्लेषण योजना माडल।

भारत में आयोजन। आयोजन का प्रारंभ। पंचवर्षीय योजनाएं। उद्देश्य तथा पद्धतियां। संस्थापनों की गतिशीलता प्रशासन तथा जनसहयोग। मौद्रिक और वित्तीय नीतियों का योगदान, मुख्य नीति, नियंत्रण तथा बाजार विन्यास। व्यापार नीति तथा भुगतान संतुलन। सार्वजनिक उद्यमों का योगदान।

5—**सांख्यिकी** i

विभिन्न प्रकार के सांख्यिकीय सन्निकटन, परिमित अंतर, मानक अंतर्वेशन-सूत्र तथा परिशुद्धताएं, प्रतिलोभ अंतर्वेशन। अवकलन और समाकलन की सांख्यिकीय विधियां।

समांविता की परिभाषा—क्लासिकल मत, कार्य सिद्धमत। प्रतिचयन अवकाश। पूर्ण एवं मिश्रित समांविता का सिद्धांत। प्रतिबंधी संभाविता। स्वतन्त्र घटनाएं। बाई का सूत्र। यादृच्छिक चर, संभाविता अंटन। गणितीय प्रत्याशा। पूर्णजनक फलन तथा लक्षण फलन, लोमीकरण प्रमेय, टैबीकेज की असमता। प्रतिबंधित बंटन। बृहत संख्याओं के नियम तथा केन्द्रीय सीमित प्रमेय।

मानक बंटन : द्विपद, प्वासों, प्रसामान्य, आयताकार, पातीय लोम द्विपद, अतिगुणांत्तर, कोशी, लाप्लास, बीटा, तथा आमा बंटना द्विचर तथा बहुचर प्रसामान्य बंटन।

बृहत और लघु प्रतिचायन सिद्धान्त :—अनंत स्पर्शीय प्रतिचयन बंटन तथा बृहत प्रतिचयन परीक्षण। मानक प्रतिचयन जैसे टी, एक्स 2, एफ $(T \times 2, F)$ तथा उन पर आधारित सार्थकता परीक्षण। साहचर्य तथा आसंग सारणियों का विश्लेषण।

यह संबन्ध गुणांक तथा उसका बंटन, फिशर का 'जेड' स्थांतरण गुणांक।

समाश्रयण :—आसंजन रेखा बहुपद, आंशिक समाश्रयण तथा आंशिक सह-संबंध गुणांक नल मामलों में उनका बंटन । अंतवर्गीय सह संबंध । वक्र आसंजन तथा लम्ब कोणीय बहुपद ।

प्रसरण विश्लेषण । एक घातीय प्रावलक्लन का सिद्धांत । अन्तक्रिया प्रभाग सहित दिक वर्गीकरण । सहप्रसरण विश्लेषण । प्रयोग अभिकल्पना के मूल सिद्धांत । सामान्य अभिकल्पनाओं का अभिन्यास तथा विश्लेषण जैसे यादृच्छिकीकृत खंड तथा लेटिन चित्र । बहु उपादीनीय प्रयोग तथा संकरण लुप्त क्षेत्र प्रविधियां ।

प्रतिचयन विधियां :—प्रतिस्थापन युक्त तथा प्रतिस्थापन रहित सरल यादृच्छ प्रतिचयन । समाश्रयण तथा अनुपात प्राक्लन । सामूहिक प्रतिचयन, बहुक्रम प्रतिचयन तथा व्यवस्थित प्रतिचयन । अप्रतिचयन त्रुटियां ।

प्रावक्कलन :—मूल संकल्पनाएं । एक अच्छे प्रावक्कलन की विशेषताएं बिन्दु प्रावक्कलन तथा अंतराल प्रावक्कलन । अधिकतम संभाविता प्रावक्कलन तथा उनके गुणधर्म ।

परिकल्पनाओं परीक्षण । सांख्यिकीय परिकल्पनाएं :—सरल तथा संयुक्त परिकल्पना । सांख्यिकीय परीक्षण की संकल्पना । त्रुटियों के दो प्रकार । घात फलन । संभावित अनुपात परीक्षण । विश्वास अंतराल प्रावक्कलन । अनुकूलतम विश्वास परिबंध ।

असमष्टीय परीक्षण जैसे—संकेत परीक्षण, माध्यिका परीक्षण तथा चाल परीक्षण । सरल विकल्पना के विपरीत सरल परिकल्पना परीक्षण के लिये बाल्डका अनुक्रमिक संभाविकता अनुपात परीक्षण 'ओसी' तथा ए०एस०एन० फलन तथा उनके सन्निकटन ।

6—**सांख्यिकी-II**

नोट—इस विषय में निम्नलिखित पांच शाखाओं में से प्रत्येक पर भिन्न भिन्न प्रश्न पत्र होंगे, अर्थात् (i) औद्योगिक सांख्यिकी (सांख्यिकीय गुण नियंत्रण सहित) (ii) आर्थिक सांख्यिकी (iii) शैक्षिक सांख्यिकी (मनोमिति सहित) (iv) जनन सांख्यिकी तथा (v) जनविद्या और जन्म मरण सांख्यिकी ।

उम्मीदवारों को उपर्युक्त किन्हीं दो का चुनाव करना होगा, जिसको उन्हें अपने प्रार्थना पत्र में बताना होगा । एक बार प्रश्न पत्र चुनने के बाद परिवर्तन की अनुमति प्रदान नहीं की जायेगी ।

(i) **सांख्यिकीय प्रकार नियंत्रण सहित औद्योगिक आंकड़े**

उद्योग के अंतर्गत प्रकार नियंत्रण का संद्धातिक आधार । सहन-सीमाएं । विभिन्न प्रकार के नियंत्रण चार्ट 'एक्स' 'आर' चार्ट, 'पी' और 'सी' चार्ट, वर्ग नियंत्रण चार्ट ।

स्वीकार प्रतिचयन । एक पक्षीय, द्विपक्षीय, बहुपक्षीय तथा अनुक्रमिक प्रतिचयन योजना । "बी सी" तथा "ए०एस०एन०" फलन । गुणों (Attributes) पथा चरों (Veriables) द्वारा प्रतिचयन । डोज रोमिग तथा अन्य सारणियां ।

औद्योगिक सम्परीक्षण डिजाइन । उद्योगों में समाश्रयण विधियों का प्रयोग तथा प्रसरण विधियों का विश्लेषण ।

उद्योग में एकयातीय कार्यक्रम सहित सांख्यिकीय अनुसंधान विधियों का प्रयोग ।

(ii) **अर्थ-सांख्यिकी**

मूल्य और परिमाण के सूचकांक । सूचकांकों के विभिन्न प्रकार, जैसे—थोक मूल्यों के सूचकांक तथा जीवन निर्वाह से सूचकांक । सूचकांकों का सिद्धांत ।

आय-वितरण । पैरेटो वक्र तथा अन्य वक्र । एक केन्द्रीय वक्र तथा उनके प्रयोग ।

राष्ट्रीय आय । राष्ट्रीय आय के विभिन्न क्षेत्र । राष्ट्रीय आय के प्रावक्लन की विधियां । अंतर्क्षेत्रीय आगम । क्षेत्रीय आय प्रवक्लन वर्ग समस्याएं । अन्तर्ग उद्योग सारिणी । निविष्ट-निष्ट विश्लेषण तथा एकजातीय कार्यक्रम का प्रयोग ।

आर्थिक काल-श्रेणियों का विश्लेषण तथा निर्वचन । आर्थिक काल श्रेणियों के चार संघटक । गुणात्मक तथा संयोज्यात्मक माडल । वक्र आसंजन तथा चल माध्य विधि उपनति निर्धारण । स्थित तथा चल सामयिक सूचकांकों का निर्धारण । एक्स संबंध । आवर्तिता वर्कविश्लेषण । युदृच्छिका का परीक्षण ।

उपभोग और मांग का सिद्धांत, मांग के कार्य, मांग की तोल, काल श्रेणी तथा पारिवारिक बजट आंकड़ों द्वारा मांग का सांख्यिकीय विश्लेषण ।

(iii) **शिक्षा सांख्यिकी मनोमिति सहित**

परीक्षण मदों का मापन । विशेष, प्रमाप विशंक, सामान्य विशंक "टी" तथा "सी" माप, स्टेनीन मान, शततमक माप ।

मानसिक परीक्षण, परीक्षणों की विश्वसनीयता और सुसंगीत । विश्वसनीयता की संगणना की विभिन्न विधियां । विश्वसनीयता का सूचक । सुसंगति निर्धारण की प्रक्रियाएं । परीक्षण बैटरी के मान्यकरण । चाल बनाम घात परीक्षण ।

उपादन विश्लेषण । मद विश्लेषण । अभिरुचि परीक्षणों में सह-संबंध विधियों का उपयोग ।

स्मरण तथा विस्मरण का माप, स्मरण माडल । अभिवृत्ति तथा मत का माप । समूह गत व्यवहार के माप ।

(iv) **जनन आंकड़े** :

आनुवंशिकता का भौतिक आधार । मैंयल के नियम । लिंकेज । पृथक्करण का विश्लेषण । लिंकेज की पहिचान तथा प्राक्लन ।

बहुजनन आनुवंशिकी । दृश्यरूप विचलन के संघटक । अनुवंशिकता का प्रावक्लन, चयन । चयन का आधार । प्रजनन परीक्षण । चरित्र समिश्रण के लिए चयन ।

जनसंख्याजनन । जनन बारंबारता । अंतःप्रजनन । यादृच्छिक उमागम । लिंकेज का विसाम्य ।

मानव जनन के तत्व । रक्त वर्गों का अध्ययन । रोग विशेषताएं तथा विपथन ।

(V) **जनांकिकी तथा जन्म-मरण संबंधी आंकड़े** :

जीवन सारिणी, उसका निर्माण तथा गुण । मेकेहम तथा भोगपत्वं वक्र मृत्यु संख्या की वार्षिक तथा केन्द्रीय दरों की मुस्यति । राष्ट्रीय जीवन सारिणियां । यू० एन० आदर्श जीवन सारणियां । संक्षिप्त जीवन सारणियां/स्थिर जन संख्या/स्थावर जनसंख्या ।

अशोधित प्रजनन दरें, विशिष्ट प्रजनन दरें, कुल और शुद्ध जन्म दरें, परिवार का आकार, अशोधित मृत्यु दरें, बाल मृत्यु दरें । सकारण मृत्यु संख्या, प्रमाणीकृत दरें ।

आंतरिक तथा अंतर्राष्ट्रीय प्रत्यावर्तन, विशुद्ध प्रत्यावर्तन, पिछली तथा उन्नत अतिजीवित अनुपात सिद्धांत ।

जानंकिकीय संक्रमण, जनसंख्या निर्धारण के सामाजिक तथा आर्थिक निर्धारण ।

जनसंख्या प्रक्षेप । गणितीय तथा संपठक विधियां वृद्धिपात वक्र आसंजन ।

भाग ग

मौखिक परीक्षा—उम्मीदवारों की मौखिक परीक्षा एक बोर्ड द्वारा ली जायेगी जिसके समक्ष सशस्त्र सेना में उम्मीदवारों की सेवा अवधि सहित उनकी सेवा अवधि का रिकार्ड होगा । मौखिक परीक्षा का उद्देश्य सक्षम और निष्पक्ष परीक्षकों के एक बोर्ड द्वारा उस सेवा अथवा सेवाओं के लिए उम्मीदवार की उपयुक्तता जांचना है जिस के लिए उसने आवेदन पत्र दिया हो । साक्षात्कार का उद्देश्य उम्मीदवार की सामन्य और विशिष्ट योग्यता और क्षमता की जांच करने के लिए लिखित परीक्षा के अनुपूरक रूप में है । उम्मीदवारों से सामान्य रुचि के मामलों और सशस्त्र सेना में उनके अनुभव में संबंधित प्रश्न भी पूछे जायेंगे ।

मौखिक परीक्षा की तकनीक नितान्त रूप से सीधे सवाल जवाब की नहीं है अपितु स्वाभाविक रूप से एक उद्देश्य वार्तालाप की है, जिसका उद्देश्य समस्याओं के समक्षने में उम्मीदवार की क्षमता और बौद्धिक उत्सुकता तथ्य ग्रहण करने में उसकी क्षमता, विचार सन्तुलन, सूझ-बूझ सामाजिक स्थितियों को समझने की योग्यता, सचरित्रता और नेतृत्व जैसे गुणों का पता लगाया जाना है ।

परिशिष्ट 3

इस परीक्षा के द्वारा जिन सेवाओं में भर्ती की जा रही है, उनका संक्षिप्त ब्यौरा :—

1—जो उम्मीदवार दोनों में से किसी भी सेवा के लिये सफल होंगे, उनको नियुक्ति उस सेवा के ग्रेड में परख पर की जायेगी जिसकी अवधि दो वर्ष होगी, और इस अवधि को बढ़ाया भी जा सका है । सफल उम्मीदवारों की परख की अवधि में भारत सरकार के निर्णयानुसार निर्धारित प्रशिक्षण पाठ्यक्रम और अनुदेश तथा परीक्षा पास करनी होगी ।

2—यदि सरकार की राय में किसी परिवीक्षाधीन अधिकारी का कार्य या आचरण संतोषजनक न हो या उसे देखते हुए उसके कार्यकुशल होने की संभावन न हो, तो सरकार उसे तत्काल सेवा मुक्त कर सकती है ।

3—परख अवधि या उसकी बढ़ाई हुई अवधि की समाप्ति पर यदि सरकार की राय में उम्मीदवार स्थायी नियुक्ति के लिए योग्य नहीं है, तो सरकार उसे सेवा मुक्त कर सकती है ।

4—यदि सरकार की राय में उम्मीदवार ने संतोषजनक रूप में अपनी परख अवधि समाप्त कर ली है, और यदि वह स्थायी नियुक्ति के लिये उपयुक्त समझा जाये तो उसे स्थायी पदों में मौलिक रिक्तियां उपलब्ध होने पर पक्का कर दिया जायेगा ।

5—भारतीय अर्थ सेवा और भारतीय सांख्यिकीय सेवा के निर्धारित वेतन मान निम्नलिखत हैं :—

ग्रेड—I निदेशक (डायरेक्टर) रु० 1300-60-1600-100-1800 ।

ग्रेड—II संयुक्त निदेशक (ज्वाइंट डायरेक्टर) रु० 1100-50-1400 ।

ग्रेड—III उपनिदेशक (डिप्टी डायरेक्टर) रु० 700-40-1100-50-/2-1250 ।

ग्रेड—IV सहायक निदेशक (असिस्टेंट डायरेक्टर) रु० 400-400-450-30-600-35-670-द० रो० -35-950 ।

6—सेवा के उच्च पदों में पदोन्नति, प्रत्येक ग्रेड में पदोन्नति के लिये निर्धारित कोटे के अनुसार उम्मीदवारों की प्रवरणता को ध्यान में रखते हुए, योग्यता के आधार पर की जायगी । ये कोटा ग्रेड-III के लिये 75 प्रतिशत, ग्रेड II के लिये 50 प्रतिशत और ग्रेड-I के लिये 75 प्रतिशत है ।

भारतीय अर्थ सेवा/भारतीय सांख्यिकीय सेवा के अधिकारी को केन्द्रीय सरकार के अन्तर्गत भारत में कहीं भी या भारत के बाहर कार्य करने के लिये नियुक्त किया जा सकता है, अथवा उनको निश्चित अवधि के लिये प्रति नियुक्ति पर भेजा जा सकता है ।

7—दोनों सेवाओं के अधिकारियों की छुट्टी पेंशन और सेवा की शर्तें उसी प्रकार होंगी जो भारत सरकार के मूल नियम (फंडामेंटल रूल्स) और सिविल सेवा विनियम (सिविल सर्विस रेगुलेशन) में दी गई है और जिनमें सरकार द्वारा समय-समय पर संशोधन हो सकता है ।

8—समय-समय पर संशोधत सामान्य भविष्य निधि (केन्द्रीय सेवाएं) नियमावली (जनरल प्राविडेंट फंड—सेन्ट्रल सर्विसेज रूल्स) के अन्तर्गत इस निधि में अभिदान कर सकेंगे ।

परिशिष्ट IV

उम्मीदवारों की शारीरिक परीक्षा के बारे विनियम

ये विनियम उम्मीदवारों की सुविधा के लिये दिये जा रहे हैं ताकि वे इस बात का पता लगा सकें कि उनका शारीरिक

स्वास्थ्य अपेक्षित स्तर का है या नहीं। ये विनियम मैडिकल परीक्षकों के मार्गदर्शन के लिये भी हैं और वो उम्मीदवार इन विनियमों में निर्धारित की गई न्यूनतम आवश्यकताओं को पूरा नहीं करता, उसको मैडीकल परीक्षक स्वास्थ्य घोषित नहीं कर सकते। किन्तु जब मैडिकल बोर्ड की यह राय हो कि उम्मीदवार इन विनियमों में निर्धारित स्तर के अनुसार स्वस्थ नहीं है, तो भी मैडिकल बोर्ड की यह अनुमति है कि वह भारत सरकार को विशेषकर लिखे हुए कारणों द्वारा सिफारिश कर सकता है कि उसको सरकार की हानि बिना नौकरी में लिया जा सकता है।

2. परन्तु यह साफ-साफ समझ लेना चाहिए कि भारत सरकार अपने निर्णय से मैडिकल बोर्ड की रिपोर्ट पर विचार करने के बाद किसी भी उम्मीदवार को स्वीकार या अस्वीकार करने का पूर्ण अधिकार रखती है।

1. नियुक्ति के योग्य ठहराये जाने के लिये यह जरूरी है कि उम्मीदवार का मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य ठीक हो और उम्मीदवार में कोई ऐसा शारीरिक दोष न हो जिसे नियुक्ति के बाद दक्षतापूर्वक काम करने में बाधा पड़ने की संभावना हो।

2. भारतीय (एग्लो-इंडियन समेत) जाति के उम्मीदवारों की आयु कद और छाती के घेर से परस्पर संबंध के बारे में मैडिकल बोर्ड के ऊपर ही यह बात छोड़ दी गई है कि वह उम्मीदवारों की परीक्षा में मार्गदर्शन के रूप में जो भी परस्पर संबंध के आंकड़े सब से अधिक उपयुक्त समझे, व्यवहार में लाए, यदि वजन, कद और छाती के घेर में विषमता हो तो जांच के लिये उम्मीदवार को अस्पताल में रखना चाहिए और छाती का एक्सरे लेना चाहिए। ऐसा करने के बाद ही बोर्ड उम्मीदवार को योग्य अथवा अयोग्य घोषित करेगा।

3. उम्मीदवार का कद निम्नलिखित विधि से नापा जायेगा: वह अपने जूते उतार देगा और उसे माप दण्ड (स्टैडर्ड) से इस प्रकार सटा कर खड़ा किया जायेगा कि उसके पांव आपस में जुड़े रहें और उसका वजन सिवाए एड़ियों के, पांवों की उंगलियों या किसी और हिस्से पर न पड़े। यह बिना अकड़ सीधा खड़ा होगा और उसकी एड़ियां, पिंडलियां, नितंब और कंधे माप दण्ड के साथ लगे होंगे। उसकी ठोड़ी नीची रखी जायेगी ताकि सिर का स्तर (वर्टेक्स आफ दि हैडलेवल) हारिजेंटल बार (आड़ी छड़) के नीचे आ जाये। कद सेंटिमीटर और आधे सेंटिमीटरों में नापा जाएगा।

4. उम्मीदवार की छाती नापने का तरीका इस प्रकार है: उसे इस भांति सीधा खड़ा किया जायेगा कि उसके पांव जुड़े हों और उसकी भुजाएं सिर से ऊपर उठी हों। फीते को छाती के गिर्द इस तरह लगाया जायेगा कि पीछे की ओर इसका ऊपरी किनारा अंसफलक (शोल्डर ब्लेड) के निम्न कोणों (इंफीरियर एंगल्स) से लगा रहे और यह फीते को छाती के गिर्द में ले जाने पर उसी आड़ समतल (हारिजेंटल प्लेन) में रहे। फिर भुजाओं को नीचे किया जायेगा और इन्हें शरीर के साथ ढीला लटका रहने दिया जायेगा। किन्तु इस बात का ध्यान रखा जायेगा कि कंधे ऊपर या पीछे की ओर न किये जाएं कि फीता न हिले। अब उम्मीदवार को कई बार गहरा सांस लेने के लिए कहा जायेगा और छाती का अधिक से अधिक फैलाव गौर से नोट किया जायेगा और कम से कम और अधिक से अधिक फैलाव सेंटीमीटरों में रिकार्ड किया जायेगा, 84-89, 86-93 आदि। नाप को रिकार्ड करते समय एक सेंटीमीटर कम के भिन्न (फ्रेक्शन) को नोट नहीं करना चाहिए।

नोट:—अंतिम निर्णय लेने से पहले उम्मीदवार की ऊंचाई और छाती दो बार नापी जाएगी।

5. उम्मीदवार का वजन भी लिया जायेगा और उसका वजन किलोग्रामों में रिकार्ड किया जायेगा। आधे किलोग्राम से कम के फ्रेक्शन को नोट नहीं करना चाहिए।

6. (क) उम्मीदवार की नजर की जांच निम्नलिखित नियमों के अनुसार की जायेगी। प्रत्येक का परिणाम रिकार्ड किया जायेगा।

(ख) चश्मे के बिना नजर (नेकेड आई विजन) की कोई न्यूनतम सीमा (मिनिमयम लिमिट) नहीं होगी, किन्तु प्रत्येक केस में मैडिकल बोर्ड या अन्य मैडिकल प्राधिकारी द्वारा उसे रिकार्ड किया जायेगा क्योंकि इससे आंख की हालत के बारे में मूल सूचना (बैसिक इन्फार्मेशन) मिल जायेगी।

(ग) चश्मे के साथ और चश्मे के बिना दूर और नजदीक की नजर निम्नलिखित मानक निर्धारित किया जाता है:—

दूर की नजर		नजदीक की नजर	
अच्छी आंख/खराब आंख (संशोधित दृष्टि)		अच्छी आंख/खराब आंख (संशोधित दृष्टि)	
6/9	6/9		
अथवा			
6/9	6/12	जे I	जे II

(घ) निकट दृष्टि के प्रत्येक मामले में, फंडस परीक्षा की जानी चाहिए और उसके परिणाम रिकार्ड किए जाने चाहिएं। व्यधिकृत दशा मौजूद होने पर जो कि बढ़ सकती है और उम्मीदवार की दक्षता पर प्रभाव डाल सकती है, उसे अयोग्य घोषित किया जाय।

(ङ) **दृष्टि क्षेत्र**—सम्मुखन विधि (कन्ट्रेशन मैथड) द्वारा दृष्टि क्षेत्र की जांच की जाएगी, जब ऐसी जांच का नतीजा असंतोषजनक या संदिग्ध हो तब दृष्टि क्षेत्र को परिमापी (पैरिमीटर) पर निर्धारित किया जाना चाहिए।

(च) **रतोधी**—(नाइट ब्लांइडनेस) साधारणतया रतोधी दो प्रकार की होती है (1) विटामिन 'ए' की कमी होने के कारण और रौटीना के व्यवहारिक रोग के कारण रेटीनीटिस पिगमेन्टोसा होता है। जिसका सामान्य कारण ऊपर बताई गई (1) की स्थिति में फंडस में प्रसामान्य होता है, साधारणतया छोटी आयु वाले व्यक्तियों में और कम खुराक पाने वाले

व्यक्तियों में दिखाई देता है और अधिक मात्रा में विटामिन 'ए' के खाने से ठीक हो जाता है. ऊपर बताई गई (2) की स्थिति में फंडस की खराबी होती है और अधिकांश मामलों में केवल फंडस की परीक्षा से ही स्थिति का पता चल जाता है। इस श्रेणी का रोगी प्रौढ़ होता है। और खुराक की कमी से पीड़ित नहीं होता है। सरकार में ऊंची नौकरियों के लिए प्रयत्न करने वाले व्यक्ति इस वर्ग में आते हैं।

उपर्युक्त (1) और (2) दोनों के लिए अंधेरा अनुकूल परीक्षा से स्थिति का पता चल जाएगा। उपर्युक्त (2) के लिए विशेष तथा जब फंडस खराब नहीं हो इलेक्ट्रो-रेटीनोग्राफी किए जाने की आवश्यकता होती है। इन दोनों जांचों में अंधेरा अनुकूलन और रेटीनोग्राफी में समय अधिक लगता है और विशेष प्रबन्ध और सामान्न की आवश्यकता होती है और इसलिए साधारण वैलकल्पक जांच के लिए ये दोनों संभव नहीं। तकनीकी बातों को ध्यान में रखते हुए मंत्रालय/विभाग को चाहिए कि वे बताएं कि रतौंधी के लिए इन जांचों का करना अनिवार्य है या नहीं, यह इस बात पर निर्भर होगा कि पद से संबंध काम की आवश्यकता क्या है और जिन व्यक्तियों को सरकारी नौकरी दी जाने वाली है उनकी ड्यूटी किस तरह की होगी।

(छ) दृष्टि की पकड़ से भिन्न आंख की अवस्थाएं (आक्यूलर कंडीशंस)—

(i) आंख की उस बीमारी को या बढ़ती हुई वर्तन त्रुटि (प्रोग्रेसिव रिफ्रेक्टेव ऐरर), को, जिसके परिणामस्वरूप दृष्टि की पकड़ के कम होने की संभावना हो, अयोग्यता का कारण समझना चाहिए।

(ii) भैंगापन (स्क्विंट) तकनीकी सेवाओं में जहां द्विनेत्री (बाईनोकुलर) दृष्टि का होना अनिवार्य हो, दृष्टि की पकड़ निर्धारित स्तर की होने पर भी भैंगापन को अयोग्यता का कारण समझना चाहिए। दृष्टि की पकड़ निर्धारित स्तर की होने पर भैंगापन को अन्य सेवाओं के लिए अयोग्यता का कारण नहीं समझना चाहिए।

(iii) एक आंख वाले व्यक्ति—यदि किसी व्यक्ति की एक आंख हो अथवा एक आंख की दृष्टि सामान्य हो और दूसरी आंख की दृष्टि एम्बील्योपिक अथवा अर्द्ध सामान्य हो तो आमतौर पर सका प्रभाव यह होता है कि गहराई को देखने के लिए स्टीरियोस्कोपिक दृष्टि उसकी कमजोर होती है। अनेक सिविल पदों के लिए इसकी आवश्यकता नहीं होती, मैडिकल बोर्ड से ऐसे व्यक्तियों की सिफारिश कर सकते हैं यदि उनकी सामान्य आंख में—

(i) ऐनक के साथ या एनेक के बिना दूर की दृष्टि 6/6 अधर समीप की दृष्टि जे०-1, हो, परन्तु शर्त यह है कि किसी भी मैरीडियन में गलती दूर की दृष्टि के लिए 4 डायोप्टीयर से अधिक न हो।

(ii) उसकी दृष्टि का क्षेत्र पूरा हो।

(iii) रंगों की सामान्य पहचान हो, जहां भी इसकी आवश्यकता हो, परन्तु शर्त यह है कि कोई इस बात से संतुष्ट हो कि उम्मीदवार संबंधित पद के सभी कार्य करने में समर्थ हो :

(ज) कोन्टेक्ट लैंस (Contact-Lenses) उम्मीदवार की स्वास्थ्य परीक्षा के समय कोन्टेक्ट लेंस के प्रयोग की आज्ञा नहीं होगी। आंख की जांच करते समय यह आवश्यक कि दूर की नजर के लिए टाइप किए हुए अक्षर 15 पादवर्ती (फूट केन्डलस) से प्रकाशित हो।

7. रक्त दाब (ब्लड प्रेशर)

ब्लड प्रेशर के संबंध में बोर्ड अपने निर्णय से काम लेगा। नार्मल उच्चतम सिस्टोलिक प्रेशर के आकलन की काम चलाऊ विधि नीचे दी जाती है।

(i) 15 से 25 वर्ष के व्यक्तियों को औसत ब्लड प्रेशर लगभग 100+आयु होता है।

(ii) 25 वर्ष से ऊपर की आयु वाले व्यक्तियों में ब्लड प्रेशर के आकलन का सामान्य नियम यह है कि 110 में आधी आयु सम्मिलित करें। यह तरीका बिल्कुल संतोषजनक दिखाई पड़ता है।

ध्यान दीजिए—सामान्य नियम के रूप में 140 से सिस्टालिक प्रेशर को और 90 के ऊपर के डायस्टालिक प्रेशर को संदिग्ध समझ लेना चाहिए, और उम्मीदवार को योग्य या अयोग्य होने के संबंध में अपनी अंतिम राय देने से पहले बोर्ड को चाहिए कि वह उम्मीदवार को अस्पताल में रखें। अस्पताल में रखने की रिपोर्ट से यह पता लगना चाहिए कि घबराहट।/एक्साइटमेंट आदि के कारण ब्लड प्रेशर थोड़े समय रहने वाला है या उसका कारण कोई कायिक (आर्गेनिक) बीमारी है। ऐसे सभी केसों में हृदय की एक्सरे और विद्युत हुए लेखी (इलेक्ट्रो कार्डियो ग्राफिक) परीक्षाएं और रक्त यूरिया निकास (क्लीयरेंस) की जांच भी नैमीरूप से की जानी चाहिए। फिर भी उम्मीदवार के योग्य होने पर या न होने के बारे में अंतिम फैसला केवल मैडिकल बोर्ड ही करेगा।

ब्लड प्रेशर (रक्त दाब) लेने का तरीका

नियमतः पारेवाली दाबमापी (मर्करी मैनोमीटर) किस्म का आला (इन्स्ट्रूमेंट) इस्तेमाल करना चाहिए। किसी किस्म के व्यायाम या घबराहट के बाद पन्द्रह मिनट तक रक्त दाब नहीं लेना चाहिए रोगी बैठा या लेटा हो बशर्ते कि वह विशेषकर उसकी भुजा पर से कंधे तक कपड़े उतार देने चाहिए। कफ से पूरी तरह हवा निकालकर बीच की रबड़ को भुजा के अन्दर की ओर रख कर इसके निचले किनारे को कोहनी के मोड़ से एक या दो इंच ऊपर करके लगाना चाहिए। इसके बाद कपड़े की पट्टी को फैलाकर समान रूप से लपेटना चाहिए। ताकि हवा भरने पर कोई हिस्सा फूल कर बाहर न को निकले।

कोहनी के मोड़ पर प्रचंड धमनी (ब्रेकिकल आर्टरी) को दबा-दबा कर ढूंढा जाता है और तब उसके ऊपर बीचों-बीच स्टेथोस्कोप को हल्के से लगाया जाता है जो कफ के साथ

न लगे। कफ में गलभग 200 एम० एम० एच० जी० हवा भरी जाती है और इसके बाद इसमें से धीरे-धीरे हवा निकाली जाती है। हल्की क्रमिक ध्वनियां सुनाई पड़ने पर जिस स्तर पर पारे का कालम टिका होता है वह सिस्टालिक प्रेशर दर्शाता है। जब और हवा निकाली जायेगी तो ध्वनियां तेज सुनाई पड़ेगी। जिस स्तर पर ये साफ और अच्छी सुनाई पड़ने वाली ध्वनियां हल्की दबी हुई सी लुप्त प्राय हो जाय, वह साइस्टालिक प्रेशर है। ब्लड प्रेशर काफी थोड़ी अवधि में ही से ले लेना चाहिए क्योंकि कफल के लम्बे समय का दबाव रोगी के लिए क्षोभ कर होता है और इससे रीडिंग गलत हो जाती है। यदि दोबारा पड़ताल करनी जरूरी हो तो कफ में से पूरी हवा निकाल कर कुछ मिनट के बाद ही ऐसा किया जाय। (कभी-कभी कफ में से हवा निकालने पर एक निश्चित स्तर पर ध्वनियां सुनाई पड़ती हैं, दाब गिरने पर वे गायब हो जाती हैं और निम्नतर स्तर पर पुनः प्रकट हो जाती हैं। इस साइलेंटेगप' से रीडिंग में गलती हो सकती है)।

8. परीक्षक की उपस्थिति में किये गये मूत्र की परीक्षा की जानी चाहिए और परिणाम रिकार्ड किया जाना चाहिए। जब मैडिकल बोर्ड को किसी उम्मीदवार के मूत्र में रसायनिक जांच द्वारा शक्कर का पता चले तो बोर्ड इस के दूसरे सभी पहलुओं की परीक्षा करेगा और मधुमेह (डायाबीटीज) के घातक चिन्हों और लक्षणों को भी विशेषरूप से नोट करेगा। यदि बोर्ड उम्मीदवार को ग्लूकोज मेह (ग्लाइकोयूरिया) के सिवाए, अपेक्षित मैडिकल फिटनेस के स्टैंडर्ड के अनुरूप पाए तो वह उम्मीदवार को इस शर्त के साथ फिट घोषित कर सकता है कि ग्लूकोज मेह अमधुमेही (नान-डायबेटिक) हो और बोर्ड केस को मैडिकल के किसी ऐसे निर्दिष्ट विशेषज्ञ के पास भेजेगा जिसके पास अस्पताल और प्रयोगशाला की सुविधाएं हों। मैडिकल विशेषज्ञ स्टैंडर्ड ब्लड शुगर टालरेंस टैस्ट समेत जो भी निकले या लेबारेटरी परीक्षाएं जरूरी समझेगा करेगा और अपनी रिपोर्ट मैडिकल बोर्ड को भेज देगा जिस पर मैडिकल बोर्ड की फिट या अनफिट की अंतिम राय आधारित होगी। दूसरे अवसर पर उम्मीदवार के लिए बोर्ड के सामने स्वयं उपस्थित होना जरूरी नहीं होगा। औषधि के प्रभाव को समाप्त करने के लिए यह जरूरी हो सकता है कि उम्मीदवार को कई दिन अस्पताल में पूरी देख-रेख में रखा जाए।

9. जो स्त्री उम्मीदवार जांचों के फलस्वरूप 12 सप्ताह या उससे अधिक अवधि की गर्भवती पाई जाए उसे तब तक के लिए अस्थायी रूप से अयोग्य घोषित कर दिया जाए जब तक उसकी गर्भावस्था समाप्त न हो जाए। गर्भावस्था के समाप्त होने के 6 सप्ताह बाद यदि वह पंजीकृत चिकित्सक के स्वस्थता प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर दे तो अयोग्य प्रमाण-पत्र के लिए उसकी फिर से जांच की जाए।

10. निम्नलिखित अतिरिक्त बातों का प्रेक्षण करना चाहिये,

(क) उम्मीदवार को दोनों कानों से अच्छा सुनाई पड़ता है या नहीं और कान की बीमारी का कोई चिन्ह है या नहीं। यदि कोई कान की खराबी हो तो इसकी परीक्षा कान विशेषज्ञ द्वारा की जानी चाहिये। यदि सुनने की खराबी का इलाज शल्य क्रिया (आपरेशन) या हियरिंग एड के इस्तेमाल से हो सके तो उम्मीदवार को इस आधार पर अयोग्य घोषित नहीं किया जा सकता बशर्ते कि उसके कान की बीमारी बढ़ने वाली न हो। चिकित्सा परीक्षा प्राधिकारी के मार्ग-दर्शन के लिये इस संबंध में निम्नलिखित मार्गदर्शक जानकारी दी जाती है :—

(1) एक कान में प्रकट अथवा पूर्ण बहरापन दूसरा कान सामान्य होना।	यदि उच्च फ्रीक्वेंसी में बहरापन 30 डेसीबेल तक हो तो गैर-तकनीकी काम के लिये योग्य।
(2) दोनों कानों में बहरेपन का प्रत्यक्ष बोध, जिसमें श्रवण यंत्र (हियरिंग एड) द्वारा कुछ सुधार संभव हो।	यदि 1000 से 4000 तक की स्पीच फ्रिक्वेंसी में बहरापन 30 डेसीबेल तक हो तो तकनीकी तथा गैर तकनीकी दोनों प्रकार के काम के लिये योग्य।
(3) सैन्ट्रल अथवा मार्जिनल टाइप के टिम्पेनिक मेम्बरेन में छिद्र।	(i) एक कान सामान्य हो दूसरे कान में टिम्पेनिक मेम्बरेन छिद्र विद्यमान हो तो अस्थायी रूप में अयोग्य। कान की शल्य चिकित्सा की स्थिति सुधरने से दोनों कानों में मार्जिनता या अन्य छिद्र वाले उम्मीदवार को अस्थायी रूप में अयोग्य घोषित करके उस के नीचे दिये गये नियम 4 (ii) के अधीन विचार किया जा सकता है। (ii) दोनों कानों में मार्जिनल या एटिन छिद्र होने पर अयोग्य। (iii) दोनों कानों में सैन्ट्रल छिद्र होने पर अस्थायी रूप में अयोग्य।
(4) एक ओर से दोनों ओर से मस्टायड केविटी सवनार्मल श्रवण वाले कान।	(i) किसी एक कान से सामान्य रूप से सुनाई देता हो, दूसरे कान में मस्टायड केविटी होने पर तकनीकी तथा गैर तकनीकी दोनों प्रकार के कामों के लिये योग्य। (ii) दोनों ओर से मस्टायड केविटी तकनीकी काम के लिये अयोग्य, यदि किसी भी काम की श्रवणता श्रवण यंत्र लगाकर अथवा बिना लगाए सुधर कर 30 डेसीबेल हो जाने पर गैर तकनीकी कामों के लिये योग्य।
(5) बहते रहने वाला कान-आपरेशन किया गया। बिना आपरेशन वाला।	तकनीकी तथा गैर तकनीकी दोनों प्रकार कानों के लिये अस्थायी रूप में अयोग्य।

(6) नासा—पट की हड्डी संबंधी विसमताओं (बोनी डिफ्-मिटीज) सहित अथवा उसमें रहित नाक की जीर्ण प्रदाहक (एलर्जिक दशा)	(i) प्रत्येक मामले की परिस्थितियों के अनुसार निर्णय लिया जाएगा । (ii) यदि लक्षणों सहित नासा पट अपसरण विद्यमान होने पर अस्थायी रूप में अयोग्य ।
(7) टांसिल्स और/अथवा स्वरयंत्र (लैन्गिस) की जीर्ण प्रदाहक दशा	(i) टांसिल्स और/अथवा स्वरयंत्र की जीर्ण प्रदाहक दशा-योग्य (ii) यदि आवाज में अत्यधिक कर्कशता विद्यमान हो तो अस्थायी रूप में अयोग्य ।
(8) कान, नाक, गले (ई० एन० टी०) के हल्के अथवा अपने स्थान पर दुदर्म्य ट्यूमर	(i) हल्का ट्यूमर—अस्थायी रूप में अयोग्य (ii) दुर्दम्य ट्यूमर—अयोग्य
(9) आस्टोक्लिशसिस	श्रवण-यंत्र की सहायता से या आपरेशन के बाद श्रवणता 30 डेसीबेल के अन्दर होने पर योग्य ।
(10) कान, नाक अथवा गले के जन्मजात दोष	(i) यदि कामकाज में बाधक न हो तो योग्य (ii) भारी मात्रा में हकलाहट हो तो अयोग्य
(11) नेजल पॉली	अस्थायी रूप में अयोग्य

(ख) कि वह बिना किसी बाधा के बोल सकता है ।

(ग) उसके दांत अच्छी हाल में हैं या नहीं, और अच्छी तरह चबाने के लिये जरूरी होने पर नकली दांत लगे हैं या नहीं । (अच्छी तरह भरे हुए दांतों को ठीक समझा जायेगा) ।

(घ) उसकी छाती की बनावट अच्छी है या नहीं और छाती काफी फैलती है या नहीं तथा उसका दिल और फेफड़े ठीक हैं या नहीं ।

(ङ) उसे पेट की कोई बीमारी है या नहीं ।

(च) उसे रपचर (हार्निया या फटन) है या नहीं ।

(छ) उसे हाइड्रोसील, बढ़ी हुई वेरिकोसील वेरिकोज शिरा (वेन) या बवासीर है या नहीं ।

(ज) उसके अंगों, हाथों और पैरों की बनावट और विकास अच्छा है या नहीं और सभी पंथियां भली भांति स्वतंत्र रूप से हिलती हैं या नहीं ।

(झ) उसे कोई चिरस्थायी त्वचा की बीमारी है या नहीं ।

(ञ) उसे कोई जन्मजात कुरचना या दोष है या नहीं ।

(ट) उसमें किसी उग्र या जीर्ण बीमारी के निशान हैं या नहीं जिनसे कमजोर गठन का पता लगे ।

(ठ) कारगर टीके के निशान हैं या नहीं ।

(ढ) उसे कोई संचारी (कम्यूनिकेशन) रोग है या नहीं ।

11. दिल और फेफड़ों को किसी ऐसी विलक्षणता का पता लगाने के लिए जो साधारण शारीरिक परीक्षा से ज्ञात न हो सभी मामलों (केसेज) में नेमी रूप से छाती की पटेक्षण (स्क्रीनिंग) की जानी चाहिए, जहां आवश्यक समझा जाय, एक छाया चित्र (स्काय ग्राम) लिया जाना चाहिए ।

जब कोई दोष मिले तो इसे प्रमाण-पत्र में अवश्य ही नोट किया जाये । मेडिकल परीक्षक को अपनी राय लिख देनी चाहिए कि उम्मीदवार से अपेक्षित दक्षतापूर्ण ड्यूटी में इससे बाधा पड़ने की संभावना है या नहीं ।

12. इस परीक्षा के उम्मीदवारों को अपील की शुल्क 50 रुपये भारत सरकार के इस संबंध में निर्धारित ढंग से जमा करना होता है । यह फीस केवल उन उम्मीदवारों को वापस मिलेगी जो अपीलय स्वास्थ्य-परीक्षा बोर्ड द्वारा अरोग्य घोषित किए जाएंगे । शेष दूसरों के मामलों में यह जब्त कर ली जायेगी । यदि उम्मीदवार चाहे तो अपने आरोग्य होने के दावे के समर्थन में स्वास्थ्य परीक्षा बोर्ड द्वारा भेजे गए निर्णय के 21 दिन के अन्दर अपील पेश करनी चाहिए अन्यथा दूसरी स्वास्थ्य परीक्षा केवल नई दिल्ली में ही होगी और उसका खर्च उम्मीदवारों को ही देना पड़ेगा । दूसरी स्वास्थ्य परीक्षा के संबंध में की जाने वाली यात्राओं के लिए कोई यात्राभत्ता या दैनिक भत्ता नहीं दिया जाएगा । अपीलों के निर्धारित शुल्क के साथ प्राप्त होने पर अपीलीय स्वास्थ्य परीक्षा बोर्ड द्वारा की जाने वाली स्वास्थ्य परीक्षा के प्रबंध के लिए मंत्रिमण्डल सचिवालय (कार्मिक विभाग) द्वारा आवश्यक कार्यवाही की जाएगी ।

मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट

मैडिकल परीक्षक के मार्गदर्शक के लिए निम्नलिखित सूचना दी जाती है :—

शारीरिक योग्यता (फिटनेस) के लिए अपनाए जाने वाले स्टैंडर्ड में संबंधित उम्मीदवार की आयु और सेवाकाल (यदि हो) के लिए उचित गुंजाइश रखनी चाहिए ।

किसी ऐसे व्यक्ति को पब्लिक सर्विस में भर्ती के लिए योग्य नहीं समझा जायेगा जिसके बारे में यथा स्थिति सरकार या नियुक्ति प्राधिकारी (अपाइंटिंग अथारिटी) को, यह तसल्ली नहीं होगी कि उसे ऐसी कोई बीमारी या शारीरिक दुर्बलता (वाडिली इनफर्मिटी) नहीं जिसे वह उस सेवा के लिये अयोग्य हो या उसके अयोग्य होने की संभावना हो ।

यह बात समझ लेनी चाहिए कि योग्यता का प्रश्न भविष्य से भी उतना ही संबद्ध है जितना कि वर्तमान से है और मैडिकल परीक्षा का एक मुख्य उद्देश्य निरंतर कारगर सेवा प्राप्त करना और स्थायी नियुक्ति के उम्मीदवारों के मामले में अकाल मृत्यु होने पर समय पूर्व पेंशन या अदायगीयों को रोकना है । साथ ही यह भी नोट किया जाये कि यहां प्रश्न केवल निरंतर कारगर सेवा की संभावना का है और उम्मीदवार को अस्वीकृत करने की सलाह उस हालत में ही दी जानी चाहिए जब कि उसमें कोई ऐसा दोष हो जो केवल बहुत कम स्थितियों में निरन्तर कारगर सेवा में बाधक पाया गया हो ।

बोर्ड में साधारणतया तीन सदस्य होंगे (i) एक चिकित्सक (ii) एक शल्य चिकित्सक और (iii) एक नैत्र चिकित्सक ।

ये सभी यथा संभव साध्य समान स्तर के होने चाहिए । महिला उम्मीदवार की परीक्षा के लिए किसी महिला चिकित्सक (लेडी डाक्टर) को स्वास्थ्य परीक्षा बोर्ड के सदस्य के रूप में सहयोजित किया जायेगा ।

भारतीय अर्थ सेवा (इंडियन एकानोमिक सर्विस) भारतीय सांख्यिकीय सेवा (इंडियन स्टेटिस्टिकल सर्विस) में नियुक्ति किये गये उम्मीदवार को भारत में और भारत के बाहर क्षेत्र सेवा (फील्ड सर्विस) करनी होगी । इस प्रकार के किसी उम्मीदवार के बारे में मैडिकल बोर्ड को इस बारे में अपनी राय विशेष रूप से रिकार्ड करनी चाहिए कि उम्मीदवार क्षेत्र सेवा (फील्ड सर्विस) के लिए योग्य है या नहीं ।

डाक्टरी बोर्ड की रिपोर्ट को गोपनीय रखना चाहिए ।

ऐसे मामलों में जब कि कोई उम्मीदवार सरकार सेवा में नियुक्ति के लिए अयोग्य करार दिया जाता है तो मोटे तौर पर उसके अस्वीकार किये जाने के आधार उम्मीदवार को बताये जा सकते हैं किन्तु डाक्टरी बोर्ड ने जो खराबी बताई हो उनका विस्तृत ब्यौरा नहीं दिया जा सकता ।

ऐसे मामलों में जहाँ डाक्टरी बोर्ड का यह विचार हो कि सरकारी सेवा के लिए उम्मीदवार को अयोग्य बनाने वाली छोटी मोटी खराबी चिकित्सा (औषध या शल्य) द्वारा दूर हो सकती है वहां डाक्टरी बोर्ड द्वारा इस आशय का कथन रिकार्ड किया जाना चाहिए । नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा इस बारे में उम्मीदवार को बोर्ड की राय सूचित किये जाने में कोई आपत्ति नहीं है और जब वह खराबी दूर हो जाये तो एक दूसरे डाक्टरी बोर्ड के सामने उस व्यक्ति को उपस्थित होने के लिए कहने में संबंधित पदाधिकारी स्वतंत्र हो ।

यदि कोई उम्मीदवार अस्थायी रूप से अयोग्य करार दिया जाय तो दुबारा परीक्षा की अवधि साधारणतया कम से कम छः महीने से कम नही होनी चाहिए । निश्चित अवधि के बाद जब दुबारा परीक्षा होती है ऐसे उम्मीदवार को और आगे की अवधि के लिए अस्थायी तौर पर अयोग्य घोषित न करने की नियुक्ति के लिए उसकी योग्यता के संबंध में अथवा वे इस नियुक्ति के लिये अयोग्य है ऐसा निर्णय अंतिम रूप से दिया जाना चाहिए ।

(क) उम्मीदवार का कथन और घोषणा

अपनी मैडिकल परीक्षा से पूर्व उम्मीदवार को निम्नलिखित अपेक्षित स्टेटमेंट देना चाहिए और उसके साथ लगी हुई घोषणा (डिक्लेरेशन) पर हस्ताक्षर करने चाहिए । नीचे दिये गये नोट में उल्लिखित चेतावनी की ओर उम्मीदवार को विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए ।

1 अपना पूरा नाम लिखें.....
(साफ अक्षरों में)

2 अपनी आयु और जन्म स्थान बताएं.....

2(क) क्या आप गोरखा, गढ़वाली, असमी, नागालैंड आदिम जाति आदि से संबंधित जिसका रो स कद दूसरों से छोटा होता है । 'हां' या 'नहीं' में उत्तर दीजिए और यदि उत्तर हां में है तो उस जाति का नाम बताइये ।

3(क) क्या आपको कभी चेचक, रुक-रुक कर होने वाला या कोई दूसरा बुखार, ग्रंथियां (ग्लैंड्स) का बढ़ना या इनमें पीप पड़ना, थूक में खून आना, दमा, दिल की बीमारी, फेफड़े की बीमारी, मुर्छा के दौरे, रुपेटिज्म, एपैंडिसाइटिस हुआ है ?

अथवा

(ख) दूसरी कोई ऐसी बीमारी या दुर्घटना, जिसके कारण शय्या पर लेटे रहना पड़ता हो और जिसका मैडिकल या सर्जिकल इलाज किया गया हो, हुई है ।

4. आप को चेचक आदि का अंतिम टीका कब लगा था ?

5. क्या आपको अधिक कार्य या किसी दूसरी कारण से किसी किस्म की अधीरता (नर्वसनेस) हुई है?

6. अपने परिवार के सम्बन्ध में निम्नलिखित ब्यौरा है ।

यदि पिता जीवित हो तो उसकी आयु और स्वास्थ्य की अवस्था	यदि पिता की मृत्यु हो चुकी हो तो मृत्यु के समय पिता की आयु और मृत्यु का कारण
यदि माता जीवित हो तो उसकी आयु और स्वास्थ्य की अवस्था	यदि माता की मृत्यु हो चुकी हो तो मृत्यु के समय उसकी आयु और मृत्यु का कारण
आपके कितने भाई जीवित हैं, उनकी आयु और स्वास्थ्य की अवस्था	आपके कितने भाइयों की मृत्यु हो चुकी है, मृत्यु के समय उनकी आयु और मृत्यु का कारण
आपकी कितनी बहनें जीवित हैं उनकी आयु और स्वास्थ्य की अवस्था	आपकी कितनी बहनों की मृत्यु हो चुकी है, मृत्यु के समय उनकी उम्र तथा मृत्यु का कारण

7. क्या इसके पहले किसी मैडिकल बोर्ड ने आपकी परीक्षा की है ?.....

8. यदि ऊपर के प्रश्न का उत्तर हां हो तो बताइये किस सेवा/सेवाओं के लिए आपकी परीक्षा की गई थी ?.....

9. परीक्षा लेने वाला प्राधिकारी कौन था ?.....

10. कब और कहां मैडिकल बोर्ड हुआ ?.....

11. मैडिकल बोर्ड की परीक्षा का परिणाम यदि आपको बताया गया हो अथवा आपको मालूम हो.....

मैं घोषित करता हूं कि जहां तक मेरा विश्वास है, ऊपर दिये गये सभी जवाब सही और ठीक हैं ।

उम्मीदवार के हस्ताक्षर .....

मेरे सामने हस्ताक्षर किये ।

बोर्ड के चेयरमैन के हस्ताक्षर.....

नोट :—उपर्युक्त कथन की यथार्थता के लिए उम्मीदवार जिम्मेदार होगा । जान बूझ कर किसी सूचना को छुपाने से वह नियुक्ति खो बैठने की जोखिम लेगा और यदि वह नियुक्त हो भी जाये तो वार्धिक्य निवृत्ति भत्ता (सुपरऐन्युएशन अलाउंस) या उपदान (ग्रेचुटी) के सभी दावों से हाथ धो बैठेगा ।

(ख) .....की शारीरिक परीक्षा की ।

मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट

सामान्य विकास अच्छा भाधारण निम्न

घोषणा:—पतला..... औसत..... मोटा.....

कद (जूते उतार कर)..... वजन.....

अन्युत्तम वजन.....कब था?.....

वजन में कोई हाल ही में हुआ परिवर्तन.....

तापमान.....

2. छाती का घेर—

(i) पूरा सांस खींचने पर.....

(ii) पूरा सांस निकालने पर.....

2. त्वचा—कई जाहिरा बीमारी.....

3. नेत्र

(1) कोई बीमारी.....

(2) रतौंधी.....

(3) कलर विजन का दोष.....

(4) दृष्टि क्षेत्र (फील्ड आफ विजन).....

(5) दृष्टि की पकड़ (विजुअल एक्विटी).....

(6) फंडस परीक्षा.....

दृष्टि की पकड़	चश्मे के बिना	चश्मे से	चश्मे की पावर गोल	सिलि०	अक्ष
दूर की नजर	द० ने०				
	ब० ने०				
पास की नजर	द० ने०				
	बा० ने०				

4. कान निरीक्षण.....सुनना.....

दायां कान..... बायां कान.....

5. ग्रंथियां..... थाइराइड.....

6. दांतों की हालत.....

7. श्वसन तंत्र (रेस्पिरेटरि सिस्टम) क्या शारीरिक परीक्षा करने पर सांस के अंगों में किसी विलक्षणता का पूरा ब्यौरा है ।

8. हृदय : **कोई आंगिक क्षति (वागनिक लोजन)**
गति (रेट) :
खड़े होने पर :
25 बार कुदाए जाने के बाद.....

कुदाये जाने के 2 मिनट बाद.....

(ख) ब्लड प्रेशर....सिस्टालिक.....डियस्थालिक

9. उदर (पेट) : घेर.....दाब वेदना (टेंडरनेस)
हार्नियां.....

(क) दबा कर मालूम पड़ना, जिगर....तिल्ली.....
गुर्दे.....दयूमर.....

(ख) बवासीर के मस्से.....फिस्तुला.....

10. **तांत्रि तंत्र** : (नर्वस सिस्टम) तंत्रिक या मानसिक अशक्तता का संकेत—

11. चाल तंत्र (लोकोमोटर सिस्टम)
कोई विलक्षणता.....

12. जनन मूत्र तंत्र (जेनिटो यूरिनरी सिस्टम) हाइड्रोसील, वेरिकोसील आदि का कोई संकेत
मूत्र परीक्षा :—

(क) कैसा दिखाई पड़ता है

(ख) रूपेसिफक ग्रेविटी (अपेक्षित गुरुत्व)

(ग) इल्ब्युनन

(घ) शक्कर

(ङ) कास्ट

(च) सैल्स

13. छाती का पटेशक्षा (स्क्रीनिंग) एक्सरे परीक्षा की रिपोर्ट

14. क्या उम्मीदवार के स्वास्थ्य में कोई ऐसी बात है जिससे वह उस सेवा को दक्षतापूर्वक निभाने के लिए अयोग्य हो सकता है जिसके लिये यह उम्मीदवार है ?

नोट :—यदि उम्मीदवार कोई महिला है और यदि यह 12 सप्ताह या उससे अधिक समय से गर्भवती है तो, उसे विनियमावली के विनियम के अनुसार अस्थायी रूप से आयोग्य घोषित कर दिया जाए ।

15. (1) क्या वह भारतीय अर्थ सेवा, भारतीय सांख्यिकीय सेवा में दक्षतापूर्वक और निरंतर कार्य करने के लिए सब तरह से योग्य पाया गया है ।

(2) क्या उम्मीदवार क्षेत्र सेवा (फील्ड सर्विस) के लिए योग्य है ।

नोट :—बोर्ड को अपना जांच परिणाम निम्नलिखित तीन वर्गों में से किसी एक वर्ग में रिकार्ड करना चाहिए ।

(1) योग्य (फिट)

(2) अयोग्य (अनफिट), जिसका कारण.....

(3) अस्थायी रूप से अयोग्य, जिसका कारण.....

स्थान..... अध्यक्ष .....

तारीख..... सदस्य.....

विदेश मंत्रालय

नई दिल्ली-110011, दिनांक 3 जुलाई 1973

संकल्प

सं० एम-118-1/5/73—भारत सरकार ने, हज यात्रा से सम्बद्ध मामलों पर सरकार को सलाह देने के उद्देश्य से वर्ष 1973-74 के लिए केन्द्रीय हज सलाहकार बोर्ड का पुनर्गठन किया है । निम्नलिखित व्यक्ति इसके सदस्य होंगे :—

1. श्री एस० ए० मेहदी	अध्यक्ष
2. मौलाना मोहम्मद मियां फ़ारुकी	सदस्य
3. मौलाना असद मदनी, संसद सदस्य	सदस्य
4. श्री अहमद बख्शी सिंधी	सदस्य
5. श्री सैयद अहमद आगा, संसद सदस्य	सदस्य
6. श्री सैयद अहमद, संसद सदस्य	सदस्य
7. श्री लुत्फ़ल हक, संसद सदस्य	सदस्य
8. मौलाना मोहम्मद इस्माइल	सदस्य
9. श्री दाउद अली मिर्ज़ा	सदस्य
10. मौलाना नुरुल्लाह	सदस्य
11. श्री पी० एम० सईद, संसद सदस्य	सदस्य
12. श्रीमती (डा०) नजमा अकबर अली हेप्टुल्ला	सदस्य
13. श्री जैन जी० रंगूनवाला	सदस्य
14. श्री अब्दुल जलील चौधरी एम०एल०ए०	सदस्य
15. श्री अज़ीम तैयबजी	सदस्य
16. श्री खुर्शीद अहमद	सदस्य
17. श्री पी० के० मोईदीनकुट्टी	सदस्य
18. श्री सईद-उल हसन, एम०एल०सी०	सदस्य
19. श्री मोहम्मद अली	सदस्य
20. श्री मुस्तफा गुलामभाई फ़की	सदस्य
21. श्री ख़ालिद अनवर अन्सारी	सदस्य
22. श्री मुहम्मद इस्माइल	सदस्य

2. श्री एस० ए० मेहदी, इस बोर्ड के अध्यक्ष होंगे ।

3. विदेश मंत्रालय में हज कार्यों के कार्यभारी, निदेशक, इस बोर्ड के पदेन सचिव और संयोजक होंगे ।

4. बोर्ड का कार्य केवल सलाह देना होगा । बोर्ड की बैठकें सचिव द्वारा, सदस्यों के अनुरोध पर सरकार द्वारा निर्धारित समय पर बुलाई जाएंगी । सामान्यतः सदस्यों को बैठक के लिए दस दिन का नोटिस दिया जाएगा । बैठकों की कार्यवाही गोपनीय होगी और सरकार को, जैसा वह उचित समझे कार्यवाई करने के लिए पेश की जाएगी । बोर्ड की बैठकों में किसी पत्र-प्रतिनिधि को उपस्थित नहीं होने दिया जाएगा ।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि संकल्प की एक-एक प्रति भारत सरकार के सभी मंत्रालयों, प्रधान मंत्री सचिवालय, मंत्रिमंडल सचिवालय, संसदीय कार्य विभाग, सभी राज्य सरकारों और केन्द्र प्रशासित क्षेत्र, सभी राज्य हज समितियां और संबद्ध जहाजरानी कम्पनी को सूचनार्थ प्रेषित की जाए ।

आदेश दिया जाता है कि संकल्प भारत के राजपत्र में प्रकाशित कर दिया जाए ।

साद एम० हाशमी, निदेशक
समन्वय और हज कार्य

इस्पात और खान मंत्रालय

(खान विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 28 जून 1973

संकल्प

सं० डी-11011/5/70-खान-2—भारत सरकार द्वारा लिए गए नीति विनिश्चयन के अनुसरण में हवाई खनिज सर्वेक्षणों और भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के समन्वेषण स्कन्ध का मुख्यालय 30 जून, 1973 तक नई दिल्ली/फरीदाबाद से बंगलौर को स्थानान्तरित किया जाएगा । 1 जुलाई, 1973 से 50, वेनिविलास रोड, बासावानागुडी, बंगलौर-4 में कार्यालय कार्य करने लगेगा ।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति से समस्त राज्य सरकारों, संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासकों, भारत सरकार के सभी मंत्रालयों, राष्ट्रपति सचिवालय, मंत्रिमंडल सचिवालय, प्रधान मंत्री सचिवालय, योजना आयोग, भारत के नियंत्रक और महा लेखा परीक्षक, महालेखाकार, वाणिज्य, निर्माण और विविध, नई दिल्ली, लोक सभा/राज्य सभा सचिवालय, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण और दूतावास और विदेशों में भारत के उच्चायुक्तों को संसूचित किया जाए ।

यह भी आदेश दिया जाता है कि यह संकल्प सर्व साधारण की जानकारी के लिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए ।

वीरेन्द्र गोपाल निगम, उप-सचिव ।

कृषि मंत्रालय

(कृषि विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 27 जून 1973

प्रस्ताव

विषय:—वन अनुसंधान संस्थान के लिए एक अनुसंधान सलाहकार बोर्ड का गठन ।

सं० 17-4/71-एफ०—वन अनुसंधान संस्थान एवं महाविद्यालय की कोर्ट कुछ समय से वन अनुसंधान संस्थान एवं महा-

विद्यालय की अनुसंधान योजनाओं/कार्यक्रमों की समीक्षा करने के प्रबन्धों के प्रश्न पर विचार कर रही थी । वन अनुसंधान संस्थान विषयक अनुसंधान सलाहकार बोर्ड की कार्यप्रणाली की समीक्षा करने तथा देश में ऐसे ही प्रयोजन के लिये वन समतुल्य संस्थानों के गठन पर विचार करने के पश्चात् वन अनुसंधान संस्थान की कोर्ट ने 24 नवम्बर, 1972 को हुई अपनी 8वीं बैठक में अनुसंधान विषयक सलाहकार बोर्ड को तोड़ने की सिफारिश की थी । अतः अनुसंधान विषयक सलाहकार बोर्ड के गठन के सम्बन्ध में खाद्य तथा कृषि मंत्रालय के प्रस्ताव संख्या 14-1/62-एफ० दिनांक 9 जुलाई, 1963 को रद्द किया जाता है ।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस प्रस्ताव की एक-एक प्रति समस्त राज्य सरकारों, लोक सभा सचिवालय/राज्य सभा सचिवालय/प्रधान मंत्री सचिवालय/संसद कार्य विभाग, विधि मंत्रालय/वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद्/औद्योगिक विकास मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय/रेल मंत्रालय/भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद्/केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग को भेज दी जाए ।

आदेश—यह भी आदेश दिया जाता है कि जन साधारण की जानकारी के लिये इस प्रस्ताव को भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए ।

के० एल० लाहिड़ी,
महा वन निरीक्षक तथा पदेन, अपर सचिव

नौवहन और परिवहन मंत्रालय

(परिवहन पक्ष)

नई दिल्ली, दिनांक 5 जुलाई 1973

संकल्प

सं० 55-एम० ए० (1)/71—अपने संकल्प सं० 55-एम० ए० (16)/57-1, दिनांक 31 जुलाई, 1958 और सं० 55-एम०ए० (4)/67, दिनांक 6 जुलाई, 1969 के साथ पठित भारत सरकार के परिवहन और संचार मंत्रालय परिवहन विभाग के संकल्प सं० 55-एम० ए० (3)/54-1, दिनांक 27 मार्च, 1958 के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार नागपट्टीनम पत्तन में ऐक यात्री कल्याण समिति में सम्मिलित निम्नलिखित सदस्यों की इस संकल्प की तारीख से दो वर्ष की अवधि के लिये नियुक्ति करती है:—

1. प्रधान अधिकारी, जल परिवहन विभाग, मद्रास ।	अध्यक्ष
2. पत्तन अधिकारी, नागपट्टीनम,	सदस्य
3. उप-संग्राहक अथवा राजस्व डिवीजन अधिकारी, नागपट्टीनम	सदस्य
4. उप-अधीक्षक पुलिस, नागपट्टीनम ।	सदस्य
5. अधीक्षक, केन्द्रीय उत्पादन शुल्क, नागपट्टीनम	सदस्य
6. उत्प्रवासी संरक्षक, नागपट्टीनम ।	सदस्य
7. पत्तन स्वास्थ्य अधिकारी, नागपट्टीनम ।	सदस्य
8. डा० एन० श्रीनिवास, बी० एम० सी०, एम० बी० बी० एस०, नारायणन क्लिनिक तथा नर्सिंग होम, नीला साउथ स्ट्रीट, नागपट्टीनम ।	गैर-सरकारी सदस्य
9. श्रीमती जे० पेटर, बी०ए०एल०टी०, अध्यापिका, म्यूनिसिपल हाई स्कूल, नागपट्टीनम ।	गैर-सरकारी सदस्य
10. ए० राजमणिकम्, बी० ए० बी० एल०, एन० एल० ए०, नागपट्टीनम चुनाव क्षेत्र, तनयक्कारा स्ट्रीट, नागपट्टीनम ।	—यथोक्त—
11. श्री वी० अप्पाकुट्टी, नमक उत्पादक, वेदारणयम, तनजोर जिला, तमिलनाडु ।	—यथोक्त—

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति राष्ट्रपति के निजी तथा सैनिक सचिवों, प्रधान मंत्री सचिवालय, लोक सभा सचिवालय, समिति शाखा के लिये 5 प्रतियों सहित 10 प्रतियों के साथ, मंत्रीमंडल, योजना आयोग, भारत सरकार के सभी मंत्रालयों, सभी राज्य सरकारों अध्यक्ष, कलकत्ता पत्तन, आयुक्त, कलकत्ता, अध्यक्ष, बम्बई पत्तन, न्यास, बम्बई, अध्यक्ष, मद्रास पत्तन न्यास, मद्रास, दि इण्डियन नेशनल स्टीमशिप ओवर्स एसोसिएशन, सोधिया हाउस, वैल्लार्ड स्टेट, बम्बई, नौवहन महानिदेशालय, जहाज भवन, फोर्ट स्ट्रीट बम्बई, भारत में शिपिंग कम्पनियों, नेशनल हारबर बोर्ड और नेशनल शिपिंग बोर्ड के सदस्यों में वितरण के लिये 100 अतिरिक्त प्रतियां प्रिंसिपल अधिकारीजल परिवहन विभाग, बम्बई, कलकत्ता और मद्रास, अध्यक्ष तथा सदस्य, ऐक यात्री कल्याण समिति, नागपट्टीनम को भेजी जाये ।

यह भी आदेश दिया जाता है कि सामान्य सूचना के लिये यह संकल्प, भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए ।

वी० वी० सुब्रह्मण्यन, उप-सचिव

CABINET SECRETARIAT

(Department of Personnel and Administrative Reforms)

RULES

New Delhi, the 28th July 1973

No. 10/13/73-*CSII.*—The rules for a limited departmental competitive examination for inclusion in the Select List for the Upper Division Grade of the Central Secretariat Clerical Service to be held by the Institute of Secretariat Training & Management in November, 1973 are published for general information.

2. The number of persons to be selected for inclusion in the select list will be specified in the Notice issued by the Institute. Reservations shall be made for candidates belonging to the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes in respect of vacancies as may be fixed by the Government.

Scheduled Castes/Tribes mean any of the Castes/Tribes mentioned in the Scheduled Castes/Tribes Lists (Modification) Order, 1956 read with the Bombay Reorganisation Act, 1960, the Punjab Re-organisation Act, 1966, the Scheduled Castes and Scheduled Tribes Order (Amendment) Act, 1956, the Constitution, (Jammu and Kashmir) Scheduled Castes Order, 1956, the Constitution (Andaman and Nicobar Islands) Scheduled Tribes Order, 1959 the Constitution (Dadra and Nagar Haveli) Scheduled Castes Order, 1962, the Constitution (Dadra and Nagar Haveli) Scheduled Tribes Order, 1962, the Constitution (Pondicherry) Scheduled Castes Order, 1964, the Constitution (Scheduled Tribes) (Uttar Pradesh) Order, 1967, the Constitution (Goa, Daman and Diu) Scheduled Castes Order, 1968, the Constitution (Goa, Daman and Diu) Scheduled Tribes Order, 1968, and the Constitution (Nagaland) Scheduled Tribes Order, 1968, and the Constitution (Nagaland) Scheduled Tribes Order, 1970.

3. The examination will be conducted by the Institute of Secretariat Training & Management in the manner prescribed in the Appendix to these Rules.

The dates on which and the places at which the examination will be held shall be fixed by the Institute.

4. Any permanent or regularly appointed temporary officer of the Lower Division Grade of the Central Secretariat Clerical Service, who on the 1st January, 1973 satisfies the following conditions, shall be eligible to appear at the examination :—

(1) *Length of Service.*—He should have rendered a continuous service of not less than 5 years in the Lower Division Grade of the Central Secretariat Clerical Service.

Provided that a candidate who has rendered a continuous service of five years in the Lower Division Grade of the Central Secretariat Clerical Service on the 1st January, 1973 but has rendered a continuous service of five years in the Lower Division Grade of the Service on the 1st July,1973, will be eligible for admission to this examination as a special case. This relaxation would be admissible for the examination to be held in 1973 only.

NOTE 1.—The limit of five years of approved and continuous service will also apply if the total reckonable service of a candidate is partly as a Lower Division Clerk and partly as Upper Division Clerk in the Central Secretariat Clerical Service.

NOTE 2.—Any permanent or regularly appointed temporary Lower Division Clerk of the Central Secretariat Clerical Service who joined the Armed Forces during the period of operation of the proclamation of Emergency issued on 26th October, 1962 namely, 26th October, 1962 to 9th January, 1968 would on reversion from the Armed Forces be allowed to count the period of his service (including the period of training if any) in the Armed Forces towards the prescribed minimum service.

NOTE 3.—Lower Division Clerks who are on deputation to ex cadre posts with the approval of the competent authority will be eligible to be admitted to the examination, if otherwise eligible. This, however, does not apply to Lower Division Clerk, who has been appointed to an ex-cadre post or to another Service on 'transfer' and does not have a lien in the Lower Division Grade of the Central Secretariat Clerical Service.

(2) *Age.*—(a) He should not be more than 45 years of age on 1-1-1973 *i.e.* he must not have been born earlier than 2nd January, 1928.

(b) The age limit prescribed above will be relaxable in the case of a permanent or regularly appointed temporary officer of the Lower Division Grade of the Central Secretariat Clerical Service who joined the Armed Forces during the period of operation of the Proclamation of Emrgency issued on 26th October, 1962, namely 26th October, 1962 to 9th January, 1968, and who has reverted therefrom to the extent of the period of his service (including the period of training, if any) in the Armed Forces.

(c) The age limit prescribed above will be further relaxable.

(i) upto a maximum of five years if a candidate belongs to a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe;

(ii) upto a maximum of three years if a candidate is a *bona fide* displaced person from Bangladesh (formerly known as East Pakistan) and has migrated to India on or after 1st January, 1964 but before 25th March, 1971.

(iii) upto a maximum of eight years if a candidate belongs to a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe and is also a *bona fide* displaced person from Bangladesh (formerly known as East Pakistan) and has migrated to India on or after 1st January, 1964, but before 25th March, 1971.

(iv) upto a maximum of five years if a candidate is a resident of the Union Territory of Pondicherry and has received education through the medium of French at some stage.

(v)) upto a maximum of three years if a candidate is a *bona fide* repatriate of Indian origin from Sri Lanka (formerly known as Ceylon) and has migrated to India on or after 1st November, 1964, under the Indo-Ceylon Agreement of October, 1964;

(vi) upto a maximum of eight years if a candidate belongs to a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe and is also a *bona fide* repatriate of Indian origin from Sri Lanka (formerly known as Ceylon) and has migrated to India on or after 1st November, 1964, under the Indo-Ceylon Agreement of October, 1964;

(vii) up to a maximum of three years if a candidate is of Indian origin and has migrated from Kenya, Uganda and the United Republic of Tanzania (formerly Tanganyika and Zanzibar);

(viii) upto a maximum of three years if a candidate is a *bona fide* repatriate of Indian origin from Burma and has migrated to India on or after 1st June, 1963;

(ix) up to a maximum of eight years if a candidate belongs to a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe and is also a *bona fide* repatriate of Indian Origin from Burma and has migrated to India on or after 1st June, 1963 :

(x) upto a maximum of three years in the case of Defence Service personnel disabled in operations during hostilities with any foreign area and released as a consequence thereof;

(xi) upto a maximum of eight years in the case of Defence Services personnel, disabled in operations during hostilities with any foreign country or in a disturbed area and released as consequence thereof, who belong to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes.

SAVE AS PROVIDED ABOVE THE AGE LIMIT PRESCRIBED CAN IN NO CASE BE RELAXED.

(3) *Typewriting test.*—Unless exempted from passing the Monthly/Quarterly Typewriting Test held by Union Public Service Commission/ Secretariat Training School/Institute of Secretariat Training & Management for the purpose of confirmation, in the Lower Division Grade he should have passed this test on or before the date of notification of this examination.

5. The decision of the Institute as to the eligibility or otherwise of a candidate for admission to the examination shall be final.

6. No candidate will be admitted to the examination unless he holds a certificate of admission from the Institute.

7. A candidate who is, or has been declared by the Institute guilty of impersonation or of submitting fabricated document or documents which have been tampered with or of making statements which are incorrect or false or of suppressing material information or otherwise resorting to any other irregular or improper means for obtaining admission to the examination, or of using or attempting to use unfair means in the examination hall or of misbehaviour in the examination hall, may in addition to rendering himself liable to criminal prosecution—

(a) debarred permanently or for a specified period by the Institute from admission to any examination or appearance at any interview held by the Institute for selection of candidates; and

(b) be liable to disciplinary action under the appropriate rules.

8. Any atempt on the part of a candidate to obtain support for his candidature by any means may be held by the Institute to be a conduct which would disqualify him for admission to the examination.

9. Candidates must pay the fee prescribed in para 5(i) of the Institute's Notice.

10. After the examination, the candidates will be arranged by the Institute in the order of merit as disclosed by the aggregate marks finally awarded to each candidate and in that order so many candidates as are found by the Institute to be qualified by the examination shall be recommended for inclusion in the Select List for the Upper Division Grade up to the required number.

Provided that the candidates belonging to any of the Scheduled Castes or Scheduled Tribes, may, to the extent the number of vacancies reserved for the Scheduled Castes and Scheduled Tribes cannot be filled on the basis of the general standard, be recommended by the Institute by a relaxed standard to make up the deficiency in the reserved quota, subject to the fitness of these candidates, for inclusion in the Select List for the Upper Division Grade, irrespective of their ranks in the order at the examination.

NOTE.—Candidate should clearly understand that this competitive examination and not a qualifying examination. The number of persons to be included in the Select List for the Upper Division Grade on the results of the examination is entirely within the competence of Government to decide. No candidate will, therefore, have any claim for inclusion in the Select List on the basis of his performance in this examination, as a matter of right.

11. The form and manner of communication of the result of the examination to individual candidates shall be decided by the Institute in its discretion and the Institute will not enter into correspondence with them regarding the result.

12. Success in the examination confers no right to selection unless Government are satisfied, after such enquiry as may be considered necessary, that the candidate is eligible and suitable in all respects for selection.

13. A candidate who after applying for admission to the examination or after appearing at it, resigns his appointment in the Central Secretariat Clerical Service, or otherwise quits the Service or severe his connection with it, or whose services are terminated by his Department or who is appointed to an ex-cadre post or to another service on 'transfer' and does not have a lien in the Lower Division Grade will not be eligible for appointment on the results of this examination.

This, however, does not apply to a Lower Division Clerk who has been appointed on deputation to an ex-cadre post with the approval of the competent authority.

M. K. VASUDEVAN
Under Secretary.

APPENDIX

The examination shall be conducted according to the following plan:—

Part I—Written examination carrying a maximum of 300 marks in the subjects as shown in para 2 below.

Part II—Evaluation of record of service of such of the candidates as may be decided by the Institute in their discretion carrying a maximum of 100 marks.

2. The subjects of the written examination in Part I, the maximum marks allotted to each paper and the time allowed will be as follows :

3. The syllabus for the examination will be as shown in the attached schedule.

4. Candidates are allowed the option to answer the papers in English or in Hindi (Devanagari) subject to the condition that at least one of the papers viz., (i) Essay and Precis Writing or (ii) Noting and Drafting and Office Procedure, or (iii) General Knowledge must be answered in English.

NOTE 1.—The option will be for a complete paper and not for different questions in the same paper.

NOTE 2.—Candidates desirous of exercising the option to answer the aforesaid papers in Hindi (Devanagari) or English should indicate their intention to do so clearly in column 6 of the application form; otherwise, it would be presumed that they would answer the papers in English.

NOTE 3.—The option once exercised shall be treated as final and no request for alteration in Column 6 of the application form shall be entertained.

NOTE 4.—Question papers will be supplied both in Hindi and English.

5. Candidates must write the papers in their own hand. In no circumstances will they be allowed the help of a scribe to write the answers for them.

6. The Institute have discretion to fix qualifying marks in any or all of the subjects at the examination.

7. Marks will not be allotted for more superficial knowledge.

8. Deduction up to 5 per cent of the maximum marks in the written subjects will be made for illegible handwriting.

9. Credit will be given for orderly, effective and exact expression, combined with due economy of words in all subjects of the examination.

SCHEDULE

Syllabus of the Examination

1. Essay and Precis Writing :

(a) *Essay.*—An essay to be written on one of the several specified subjects.

(b) *Precis Writing.*—Passages will usually be set for summary or precis.

2. *Noting & Drafting and Office Procedure.*—The paper on Noting & Drafting and Office Procedure will be designed to test the candidate's knowledge of Office Procedure in the Secretariat and Attached Offices and generally their ability to write and understand notes and drafts. Candidates are required to study the Manual of Office Procedure—Notes on Office Procedure issued by the Institute of Secretariat Training & Management—and the Rules of Procedure and conduct of business in the Lok Sabha and the Rajya Sabha for this purpose.

3. *General Knowledge.*—The paper on General Knowledge be intended *inter alia* to test the candidate's knowledge of Indian Geography as well as the country's administration, as also intelligent awarness of current affairs, both national and international which an educated person may expected to have. Candidate's answers are expected to show their intelligent understanding of the questions and not detailed knowledge of any text books, reports etc.

No. 32/11/73-*Estt.*(*E*).—The rules for a competitive examination to be held by the Union Public Service Commission in 1974 for selection of Released Emergency Commissioned Officers/Short Service Commissioned Officers who were commissioned in the Armed Forces on or after 1st November, 1962 but before 10th January, 1968, or who had joined any pre-commission training before the latter date but were commissioned on or after that, for the purpose of filling vacancies reserved for them in Grade IV of the following Services are published for general information in pursuance of the provisions contained in rule 5 of the Released Emergency Commissioned Officers and Short Service Commissioned Officers (Reservation of vacancies) Rules, 1971. The aforesaid provisions shall cease to be in force on and from the 29th January, 1974 unless extended by Government :—

(i) The Indian Economic Service, and

(ii) The Indian Statistical Service.

2. The number of vacancies to be filled on the results of the examination will be specified in the Notice issued by the Commission.

Reservations will be made for candidates belonging to the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes in respect of vacancies as may be fixed by the Government.

Scheduled Castes/Tribes mean any of the Castes/Tribes mentioned in the Constitution (Scheduled Castes) Order, 1950, the Constitution (Scheduled Castes) (Part C States) Order, 1951, the Constitution (Scheduled Tribes) Order, 1950, and the Constitution (Scheduled Tribes) (Part C States) Order 1951, as amended by the Scheduled Castes and Scheduled Tribes Lists (Modification) Order 1956 read with the Bombay Reorganisation Act, 1960 and the Punjab Reorganisation Act, 1966, the Constitution (Jammu and Kashmir) Scheduled Castes Order 1956, the Constitution (Andaman and Nicobar Islands) Scheduled Tribes Order 1959, the Constitution (Dadra and Nagar Haveli) Scheduled Castes Order, 1962, the Constitution (Dadra and Nagar Haveli) Scheduled Tribes Order, 1962, the Constitution (Pondicherry) Scheduled Castes Order, 1964, the Constitution (Scheduled Tribes) (Uttar Pradesh) Order, 1967, the Constitution (Goa, Daman and Diu) Scheduled Castes Order, 1968, the Constitution (Goa, Daman and Diu) Scheduled Tribes Order, 1968, and the Constitution (Nagaland) Scheduled Tribes Order, 1970.

3. The examination will be conducted by the Union Public Service Commission in the manner prescribed in Appendix II to these Rules.

The dates on which and the places at which the examination will be held shall be fixed by the Commission.

4. Subject to the provisions of these Rules the following categories of Emergency Commissioned and Short Service Commissioned Officers who were Commissioned in the Armed Forces on or after 1st November, 1962 but before 10th January, 1968, or who had joined any pre-Commission training before the later date, but who were commissioned on or after that date will be eligible to appear at this examination,—

(i) officers who have been released during 1973 prior to the date of this Notification or are due to be released thereafter till the end of 1974.

(ii) Officers mentioned in rule 9 to the extent and in accordance with the provisions of that rule.

NOTE 1.—For the purpose of these Rules, 'release' means :

(i) release as per the scheduled year of release;

(ii) invalidment owing to a disability attributable to or aggravated by military service.

from the Armed Forces after a spell of service, and *not* during or at the end of training, or during or at the end of Short Service Commission granted to cover the period of such training prior to being taken in actual service, nor does

it cover cases of officers released on account of misconduct, or inefficiency or at their own request.

NOTE 2.—The expression "scheduled year of release" means :—

(i) in so far as it relates to the Emergency Commissioned Officers the year in which they are due for release in accordance with phased programme approved by the Government of India in the Ministry of Defence; and

(ii) in so far as it relates to the Short Service Commissioned Officers, the year in which their normal tenure as Short Service Commissioned Officers is to expire.

NOTE 3.—The candidature of a person shall be cancelled, if after submitting his application, he is granted permanent Commission in the Armed Forces, or he resigns from the Armed Forces, or he is released therefrom on account of misconduct or inefficiency or at his own request.

NOTE 4.—Engineers and Doctors employed under the Central Government or State Governments or Government owned industrial undertakings who are required to serve in the Armed Forces for a minimum prescribed period under the Compulsory Liability Scheme and who are granted Short Service Commission under the relevant rules during the period of such service will not be eligible for admission to this examination.

NOTE 5.—Officers belonging to the volunteer Reserve Forces of the Armed Forces and called upon for temporary service will not be eligible for admission to this examination.

5. A candidate must be either—

(a) a citizen of India, or

(b) a subject of Sikkim, or

(c) a subject of Nepal, or

(d) a subject of Bhutan, or

(e) a Tibetan refugee who came over to India, before the 1st January, 1962, with the intention of permanently settling in India, or

(f) a person of Indian origin who has migrated from Pakistan, Burma, Sri Lanka (formerly known as Ceylon) and the East African countries of Kenya, Uganda and the United Republic of Tanzania (formerly Tanganyika and Zanzibar) with the intention of permanently settling in India.

Provided that a candidate belonging to categories (c), (d), (e) and (f) above shall be a person in whose favour a certificate or eligibility has been issued by the Government of India.

A candidate in whose case a certificate of eligibility is necessary may be admitted to the examination and he may also provisionally be appointed subject to the necessary certificate being given to him by the Government.

6. (a) A candidate must *not* have attained the age of 26 years on the 1st January of the year in which he joined the pre-Commission training in the Armed Forces or got the Commission (where there was only post Commission training).

(b) The age limit prescribed above will be relaxable :—

(i) up to a maximum of five years if a candidate belongs to a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe;

(ii) up to a maximum of three years if a candidate is a *bona fide* displaced person from erstwhile East Pakistan and had migrated to India on or after 1st January 1964 but before 25th March, 1971;

(iii) up to maximum of eight years if a candidate belongs to a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe and is also a *bona fide* displaced person from erstwhile East Pakistan and had migrated to India on or after 1st January, 1964 but before 25th March, 1971;

(iv) up to a maximum of three years if a candidate is a *bona fide* repatriate of Indian origin from Sri Lanka (formerly known as Ceylon) and has migrated to India on or after 1st November, 1964, under the Indo-Ceylon Agreement of October, 1964;

(v) up to a maximum of eight years if a candidate belongs to a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe and is also a *bona fide* repatriate of Indian origin from Sri Lanka (formerly known as Ceylon) and has migrated to India on or after 1st November, 1964 under the Indo-Ceylon Agreement of October, 1964;

(vi) up to a maximum of three years if a candidate is a resident of the Union Territory of Goa, Daman and Diu;

(vii) up to a maximum of three years if a candidate is of Indian origin and has migrated from Kenya, Uganda or the United Republic of Tanzania (formerly Tanganyika and Zanzibar);

(viii) up to a maximum of three years if a candidate is a *bona fide*, repatriate of Indian origin from Burma and has migrated to India on or after 1st June, 1963.

(ix) up to a maximum of eight years if a candidate belongs to a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe and is also a *bona fide* repatriate of Indian origin from Burma and has migrated to India on or after 1st June, 1963;

(x) up to a maximum of three years in the case of defence services personnel disabled in operations during hostilities with any foreign country or in a disturbed area and released as a consequence thereof;

(xi) up to a maximum of eight years in the case of defence services personnel disabled in operations during hostilities with any foreign country or in a disturbed area and released as a consequence thereof; who belongs to the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes;

(xii) up to a maximum of three years if a candidate who joined the Pre-Commission training in the Armed Forces or got the Commission (where there was only post-Commission training); in 1963, is a *bona-fide* displaced person from Pakistan;

(xiii) up to a maximum of eight years if a candidate who joined the pre-Commission training in the Armed Forces or got the Commission (where there was only post-Commission training) in 1963, belongs to a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe and is also a *bona fide* displaced person from Pakistan.

(xiv) up to maximum of four years if a candidate, who joined the pre-Commission training in the Armed Forces or got the Commission (where there was only post-Commission training), in 1963 or 1964 or 1965, is a resident of the Andaman and Nicobar Islands;

(xv) up to a maximum of three years if a candidate, who joined the pre-Commission training in the Armed Forces or got the Commission (where there was only post-Commission training), in 1963 or 1964 or 1965, is an Indian citizen and is a repatriate from Sri Lanka (formerly known as Ceylon).

(xvi) up to a maximum of three years if a candidate is a resident of the Union Territory of Pondicherry and has received education through the medium of French at some stage.

SAVE AS PROVIDED ABOVE THE AGE LIMITS PRESCRIBED CAN IN NO CASE BE RELAXED.

7. No candidate shall be permitted to compete more than two times at the examination. The restriction being effective from the examination held in 1971.

8. A candidate must take the examination held in the year of his release and in the year following the year of his release, as his first and second chances respectively.

9. Notwithstanding anything contained in Rule 8—

(i) a candidate invalided owing to a disability attributable to or aggravated by military service during 1973 after the closing date prescribed for receipt of applications for the 1973 examination, may take the examination to be held in 1974 as his first chance.

(ii) a candidate invalided owing to a disability attributable to or aggravated by military service during 1972 after the closing date prescribed for receipt of applications for the 1972, examination may take the examination to be held in 1974, as his second chance.

(iii) a candidate due for release during 1972, who was admitted to the examination held in 1972, may take the examination to be held in 1974 as his second chance, provided he was not allowed to appear in the examination held in 1972 due to exigencies of military service.

(iv) a candidate invalided owing to a disability attributable to or aggravated by military service, during 1971 after the closing date prescribed for receipt of applications for the 1971 examination who was admitted to the examination held in 1972 but did not appear at that examination may take the examination to be held in 1974 as his second chance provided—he was not released on or before 20th September, 1971.

(v) an Emergency Commissioned/Short Service Commissioned Officer who joined the pre-Commission training in the Armed Forces before 10-1-1968 but was commissioned on or after 10-1-1968 may take the examination to be held in 1974, subject to the conditions indicated below—

(a) as his second chance if released during 1972;

(b) as his second chance, if invalided owing to a disability attributable to or aggravated by military service during 1971 after the closing date prescribed for receipt of application for the 1971 examination.

NOTE 1.—The provision contained in (i) above will not apply to candidates who were due for release in 1973.

NOTE 2.—The provision contained in (iv) and (v) (b) above will not apply to candidates who were due for release in 1971.

NOTE 3.—The provision contained in (ii) above, will not apply to candidates who were due for release in 1972.

N.B. Candidates who in terms of the provisions of this rule, are eligible to take their second chance in 1975, may avail of the same, if the provisions of the Rules referred to in rule 1 of these Rules are extended by Government beyond the 28th January, 1974.

10. (a) A candidate for the Indian Economic Service must have obtained a degree with Economics or Statistics as a subject from any of the Universities enumerated in Appendix I.

(b) A candidate for the Indian Statistical Service must have obtained a degree with Statistics or Mathematics or Economics as a subject from any of the Universities enumerated in Appendix I or possess any of the qualifications mentioned in Appendix I-A.

NOTE I.—A candidate who has appeared at an examination the passing of which would render him eligible to appear at this examination but has not been informed of the result may apply for admission to the examination. A candidate who intends to appear at such a qualifying examination may also apply provided the qualifying examination is completed before the commencement of this examination. Such candidates will be admitted to the examination, if otherwise eligible, but the admission would be deemed to be provisional and subject to cancellation if they do not produce proof of having passed the examination, as soon as possible, and in any case not later than two months after the commencement of this examination.

NOTE II.—In exceptional cases the Union Public Service Commission may treat a candidate, who has not any of the foregoing qualifications, as a qualified candidate provided that he has passed examinations conducted by other institutions, the standard of which in the opinion of the Commission, justifies his admission to the examination.

NOTE III.—A candidate who is otherwise qualified but who has taken a degree from a foreign university which is not included in Appendix I, may also apply to the Commission and may be admitted to the examination at the discretion of the Commission.

11. A candidate serving in the Armed Forces must submit his application for this examination to the Officer Commanding his unit who will forward it to the Union Public Service Commission. *A candidate who is himself the Officer Commanding his Unit must submit his application through his next superior officer.*

All other candidates in Government Service whether in a permanent or temporary capacity or as a work-charged employee, other than a casual or daily-rated employee must obtain prior permission of the Head of the Department to appear for the Examination.

12. The decision of the Commission as to the eligibility or otherwise of a candidate for admission to the examination shall be final.

13. No candidate will be admitted to the examination unless he holds a certificate of admission from the Commission.

14. Any attempt on the part of a candidate to obtain support for his candidature by any means may disqualify him for admission.

15. A candidate who is or has been declared by the Commission guilty of impersonation or of submitting fabricated documents or documents which have been tampered with or of making statements which are incorrect or false or of suppressing material information or otherwise resorting to any other irregular or improper means for obtaining admission to the examination, or of using or attempting to use unfair means in the examination hall or of misbehaviour in the examination hall, may, in addition to rendering himself liable to criminal prosecution,—

(a) be debarred permanently or for a specified period :—

(i) by the Commission, from admission to any examination or appearance at any interview held by the Commission for selection of candidates, and

(ii) by the Central Government from employment under them;

(b) be liable to disciplinary action under the appropriate rules, if he is already in Service under Government.

16. Candidates who obtain such minimum qualifying marks in the written examination as may be fixed by the Commission in their discretion shall be summoned by them for the *viva voce*.

17. After the examination, the candidates will be arranged by the Commission in the order of merit as disclosed by the aggregate marks, finally awarded to each candidate and in that order so many candidates as are found by the Commission to be qualified by the examination shall be recommended for appointment.

Provided that candidates belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes may, to the extent the number of vacancies reserved for the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes cannot be filled on the basis of the general standard, be recommended by the Commission by a relaxed standard to make up the deficiency in the reserved quota, subject to the fitness of these candidates for appointment to the Sevices, irrespective of their ranks in the order of merit at the examination.

18. (a) If on the result of the examination, a sufficient number of qualified candidates is not available to fill the vacancies reserved for released Emegency Commissioned/ Short Services Commissioned Officers, the unfilled vacancies

shall be filled in the manner prescribed by the Government in this behalf.

(b) If the number of qualified candidates is larger than the number of vacancies reserved for released Emergency Commissioned Officers/Short Service Commissioned Officers, the names of those who are not appointed shall be kept on the waiting list(s) for appointment against the quota of vacancies reserved for them in the succeeding year(s). Provided reservations in favour of released Emergency Commissioned/Short Service Commissioned Officers are continued beyond 28-1-1974 by the Government of India.

19. The form and manner of communication of the result of the examination to individual candidates shall be decided by the Commission in their discretion and the Commission will not enter into correspondence with them regarding the result.

20. In the case of candidates competing for both the Services, due consideration will be given to the order of preference expressed by a candidate at the time of his application.

21. Success in the examination confers no right to appointment, unless Government are satisfied after such enquiry as may be considered necessary, that the candidate is suitable in all respects for appointment to the Service.

22. A candidate must be in good mental and bodily health and free from any physical defect likely to interfere with the discharge of his duties as an officer of the Service. A candidate who after such physical examination as Government or the appointing authority, as the case may be, may prescribe is found not to satisfy these requirements, will not be appointed. Any candidate called for the *viva voce* by the Commission may be required to undergo physical examination.

NOTE.—In order to prevent disappointment candidates are advised to have themselves examined by a Government Medical Officer of the standing of a Civil Surgeon, before applying for admission to the examination. Particulars of the nature of the medical test to which candidates will be subjected before appointment and of the standards required are given in Appendix IV to these Rules. For the disabled ex-Defence Services personnel the standards will be relaxed consistent with the requirement of the Service(s).

23. No person

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person.

shall be eligible for appointment to service.

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

24. Brief particulars relating to the Services to which recruitment is being made through this examination are given in Appendix III.

B. L. MATHURIA,
Under Secretary

APPENDIX I

List of Universities approved by the Government of India

(*vide* Rule 10)

INDIAN UNIVERSITIES

Any University incorporated by an Act of the Central or State Legislature in India or other educational institutions established by an Act of Parliament or declared to be deemed as Universities under Section 3 of the University Grants Commission Act, 1956.

UNIVERSITIES IN BURMA

The University of Rangoon.

The University of Mandalay.

ENGLISH AND WELSH UNIVERSITIES

The Universities of Birmingham, Bristol, Cambridge, Durham, Leeds, Liverpool, London, Manchester, Oxford, Reading, Sheffield and Wales.

SCOTTISH UNIVERSITIES

The Universities of Aberdeen, Edinburgh, Glasgow and St. Andrews.

IRISH UNIVERSITIES

The University of Dublin (Trinity College).

The National University of Ireland.

The Queen's University, Belfast.

UNIVERSITIES IN PAKISTAN

The University of Punjab.

The University of Sind.

UNIVERSITIES IN BANGLADESH

The Dacca University.

The Rajshahi University.

UNIVERSITY IN NEPAL

The Tribhuvan University, Kathmandu.

APPENDIX I-A

List of qualifications recognised for admission to the examination for the Indian Statistical Service only [*vide* Rule 10(b)].

(i) Statisticians Diploma of the Indian Statistical Institute, Calcutta.

(ii) Professional Statisticians Certificate of the Institute of Agricultural Research Statistics, ICAR, New Delhi.

APPENDIX II

SECTION I

Plan of the Examination

The competitive examination comprises :

(a) Written examination in subjects as set out in Sub-Sections (A) and (B) respectively of Section II below carrying a maximum of 700 marks.

(b) *Viva Voce* for such of the candidates as may be called by the Commission carrying a maximum of 450 marks of which 50 marks shall be assigned to the Evaluation of the Record of Service in the Armed Forces.

SECTION II

Examination Subjects

(A) The Indian Economic Service

	Maximum Marks
(1) General English	150
(2) General Knowledge	150
(3) Economics I	200
(4) Economics II	200

(B) The Indian Statistical Service

	Maximum Marks
(1) General English	150
(2) General Knowledge	150
(3) Statistics I	200
(4) Statistics II	200

*In this subject, there will be separate papers on each of the following five branches, viz.. (i) Industrial Statistics (including Statistical Quality Control) (ii) Economic Statistics, (iii) Educational Statistics (including Psychometry) (iv) Genetical Statistics and (v) Demography and Vital Statistics, of which a candidate is required to choose any two. Each paper will carry a maximum of 100 marks.

NOTE—The standard and syllabi of the subjects mentioned in this Section are given in Part A of the Schedule of this Appendix.

SECTION III

General

1. ALL QUESTION PAPERS MUST BE ANSWERED IN ENGLISH.

2. There will be one paper of three hours duration in each of the subjects referred to in Section II above, except in the subject Statistics II. In Statistics II, there will be five papers, each of 1½ hours duration *vide* Note under this subject at item 6 of Part A of the Schedule to this Appendix.

3. Candidates must write the papers in their own hand. In no circumstances, will they be allowed the help of a scribe to write the answers for them.

4. The Commission have discretion to fix qualifying marks in any or all the subjects of the examination.

5. For the Indian Economic Service, the papers in the following subjects, *viz.*, General English and General Knowledge, of only such candidates will be examined and marked as attain such minimum standard as may be fixed by the Commission in their discretion at the written examination in the following subjects, *viz.*, Economics I and Economics II.

For the Indian Statistical Service, the papers in the following subjects, *viz.*, General English and General Knowledge, of only such candidates will be examined and marked as attain such minimum standard as may be fixed by the Commission in their discretion at the written examination in the following subjects, *viz.*, Statistics I and Statistics II.

6. If a candidate's handwriting is not easily legible, a deduction will be made on this account from the total marks otherwise accruing to him.

7. Marks will not be allotted for mere superficial knowledge.

8. Credit will be given for orderly, effective and exact expression combined with due economy of words in all subjects of the examination.

9. Candidates are expected to be familiar with metric system of weights and measures. In the question papers, wherever necessary questions involving the use of metric system of weights and measures may be set.

SCHEDULE

PART A

The standard of papers in English and General Knowledge will be such as may be expected of a graduate of an Indian University.

The standard of papers in the other subjects will be that of the Master's degree examination of an Indian University in the relevant disciplines. The candidates will be expected to illustrate theory by facts and to analyse problems with the held of theory. They will be expected to be particularly conversant with Indian problems in the field(s) of Economics/ Statistics.

1. General English.—

Candidates will be required to write an essay in English. Other questions will be designed to test their understanding of English and workmanlike use of words. Passages will usually be set for summary or precis.

2. General Knowledge.—

The paper will consist of two parts :

In the first part candidates will be required to answer questions designed to test their knowledge of current events and of such matters of every day observation and experience in their scientific aspects as may be expected of an educated person who has not made a special study of any scientific subject. Questions may also be set on History of India and Geography, of a nature which candidates should be able to answer without special study.

In the second part candidates will be required to answer questions designed to test their ability to deal with facts and figures and to make logical deductions therefrom, their capacity to perceive implications and their ability to distinguish between the important and the less important.

3. Economics I.—

Scope and methodology.

Equilibrium analysis.

Theory of consumer's demand, Indifference curve analysis, Revealed preference approach, Consumer's surplus.

Theory of production. Factors of production. Production functions. Laws of returns. Equilibrium of the firm and the industry.

Pricing under various forms of market organisation, Pricing in a socialist economy. Pricing in a mixed economy.

Public utilities : economic characteristics of public utilities; price determination in public utilities; regulation of public utilities.

Theory of distribution. Pricing of factors of production. Theories of rent, wages, interest and profit. Macrodistribution theory. Share of wages in national income. Profits and economic progress. Inequalities in income distribution.

Theory of employment and output—the classical and neoclassical approaches. Keynesian theory of employment. Post-Keynesian development.

Economic fluctuations. Theories of business cycle. Fiscal and monetary policies for control of business cycles.

Welfare economics : scope of welfare economics; classical and neo-classical approaches; New welfare economics and the compensation principles; optimum conditions; policy implications.

4. Economics II.—

Concept of economic growth and its measurement.

Social accounts; national income accounts, flow of funds; accounts; input-output accounting.

Social institutions and economic growth. Characteristics and problems of developing economics.

Population growth and economic development.

Theories of growth. Growth models.

Planning—Concept and methods. Planning under Capitalist and Socialist forms of economic organisation. Planning in a mixed economy. Perspective planning. Regional Planning Investment criteria and choice of techniques; Cost-benefit analysis. Planning models.

Planning in India. Evolution of Planning. Five Year Plans. Objectives and techniques. Problems of resource mobilization, administration and public co-operation. Role of monetary and fiscal policies; price policy, controls and market mechanism. Trade policy and Balance of payments. Role of public enterprises.

5. Statistics I.—

Different types of numerical approximations; finite differences, standard interpolation formulae and their accuracies; inverse interpolation. Numerical methods of differentiation and integration.

Definition of probability. Classical approach, axiomatic approach. Sample space. Laws of total and compound probability. Conditional probability. Independent events. Baye's

formula. Random variables : probability distributions; Mathematical expectation. Moment generating functions and characteristic functions. Inversion theorem. Tchebychev's inequality. Conditional distributions. Laws of large numbers and central limit theorems.

Standard distributions : Binomial Poisson Normal Rectangular Emponential. Negative binomial Hypergeometric Cauchy. Laplace, Beta and Gamma distributions. Bivariate and Multivariate normal distributions.

Large and small sample theory : Asymptotic sampling distributions and large sample tests. Standard sampling distributions such as t χ^2 F. and tests of significance based on them. Association and analysis of contingency tables.

Correlation coefficient and its distribution. Fisher's 'Z' transformation. Regression : linear and polynomial; multiple regression—partial and multiple correlation coefficients including their distributions in null cases. Intra class correlation. Curve fitting and orthogonal polynomials.

Analysis of variance. Theory of linear estimation. Two-way classification with interaction. Analysis of covariance. Basic principles of design of experiments. Layout and analysis of common designs such as randomised blocks. Latin square. Factorial experiments and confounding. Missing plot techniques.

Sampling techniques : Simple random; sampling with and without replacement. Stratified sampling. Ratio and regression estimates. Cluster sampling, multistage sampling and systematic sampling. Non-sampling errors.

Estimation : Basic concepts. Characteristics of a good estimate. Point and interval estimates. Maximum likelihood estimates and their properties.

Tests of hypotheses. Statistical hypotheses : Simple and composite. Concept of a statistical test. Two kinds of error. Power function. Likelihood ratio tests. Confidence interval estimation. Optimum confidence bounds.

Common non-parametric tests such as sign test, median test and run test. Wald's sequential probability ratio test for testing a simple hypothesis against a simple alternative, OC & ASN functions and their approximations.

6. Statistics II.—

NOTE :—In this subject, there will be separate papers on each of the following five branches, *viz.*, (i) Industrial Statistics, (including Statistical Quality Control), (ii) Economic Statistics, (iii) Educational Statistics, (including Psychometry) (iv) Genetical Statistics, and (v) Demography and Vital Statistics.

Candidates are required to choose *any two* of the above papers, which they must indicate in their applications. No change in the selection of papers once made will be allowed.

(i) *Industrial Statistics (Including Statistical Quality Control).*

Theoretical basis of quality control in industry. Tolerance limits. Different kinds of control charts—X, R charts, p and c charts, group control charts.

Acceptance sampling. Single, double, multiple and sequential sampling plans. OC and ASN functions. Sampling by attributes and by variables. Use of Dodge-Roming and other tables.

Design of industrial experimentation. Use of regression techniques and analysis of variance techniques in industry.

Applications of Operational research techniques including linear programming in industry.

(ii) *Economic Statistics*

Index numbers of prices and quantities, Different types of index numbers, *e.g.*, index numbers of whole-sale prices and cost of living index numbers. Theory of index numbers.

Income distribution. Pareto and other curves. Concentration curves and their uses.

National Income. Different sectors of national income. Methods of estimating national income Inter-sectoral flows. Problems of regional income estimates. Inter-industry table Applications of input-output analysis and linear programming.

Analysis and interpretation of economic time series. The four components of an economic time series. Multiplicative and additive models. Trend determination by curve fitting and by moving average method. Determination of constant and moving seasonal indices. Auto correlation, periodogram analysis, tests of randomness.

Theory of consumptions and demand, demand function, elasticities of demand, statistical analysis of demand with the help of time series and family budget data.

(iii) *Educational Statistics (Including Psychometry)*

Scaling of test items. Scores, standard scores, normal scores. T and C scales stanine scale, precentile scale.

Mental tests. Reliability and validity of tests. Different methods for computing reliability. Index of reliability. Procedures for determining validity. Validation of a test battery. Speed versus power tests.

Factor Analysis. Item analysis. Use of correlation methods in aptitude tests.

Measurement of learning and forgetting. Learning models. Attitude and opinion measurement. Measurements of group behaviour.

(iv) *Genetical Statistics*

Physical basis of heredity. Mendel's laws. Linkage. Analysis of segregation. detection and estimation of linkage.

Polygenic inheritance. Components of phenotypic variation. Estimation of heritability. Selection. Basis of selection. Progeny testing. Selection for combination of characters.

Population genetic. Gene frequency. Inbreeding. Random mating. Linkage disequilibrium.

Elements of human gentics Study of blood groups, disease traits and aberrations.

(v) *Demography and Vital Statistics*

The life table; its construction and properties; Makeham's and Compertz curves. Derivation of annual and central rates of mortality. National life tables. U.N. model life tables. Abridged life tables Stable population Stationary population.

Crude fertility rates, specific fertility rates, gross and net reproduction rates, family size; crude mortality rate, infant mortality rates; Mortality by cause of death; Standardised rates.

Internal and international migration; net migration; backward and forward survivorship ratio methods.

Demographic transition; Social and economic determinants of population.

Population projections. Mathematical and Component methods. Logistic curve fitting.

PART 'B'

Viva Voce : The candidates will be examined by a Board who will have before them a record of the career of each candidate, including service in the Armed Forces. The object of the *Viva Voce* is to assess the suitability of the candidate for the Service or Services for which he has applied, by a Board of competent and unbiased observers. The interview is intended to supplement the written examination for testing the general and specialised knowledge and abilities of the candidate. The candidate will also be asked questions on matters of general interest as also on his experience in the Armed Forces.

The technique of the *Viva Voce* is not that of a strict cross examination, but of a natural though directed and

purposive conversation, which is intended to reveal the candidate's grasp of problems and his mental qualities, *e.g.*, intellectual curiosity, critical powers of assimilation, balance of judgement and alertness of mind; the ability for social cohesion; integrity of character, initiative and capacity for leadership.

APPENDIX III

Brief particulars relating to the two Services to which recruitment is being made through this examination :

1. Candidates selected for appointment to either of the two Services will be appointed to Grade IV of the Service on probation for a period of two years which may be extended if necessary. During the period of probation, the candidates will be required to undergo such courses of training and instruction and to pass such examination and tests as the Government may determine.

2. If in the opinion of Government the work or conduct of the officer on probation is unsatisfactory or shows that he is unlikely to become efficient, Government may discharge him forthwith.

3. On the expiry of the period of probation or of any extension if the Government are opinion that a candidate is not fit for permanent appointment, Government may discharge him.

4. On completion of the period of probation to the satisfaction of Government, the candidate shall if considered fit for permanent appointment be confirmed in his appointment subject to the availability of substantive vacancies in permanent posts.

5. Prescribed scales of pay for both the Indian Statistical Service and the Indian Economic Service are as follows :

Grade I—Director Rs. 1300—60—1600—100—1800.

Grade II—Joint Director Rs. 1100—50—1400.

Grade III—Deputy Director Rs. 700—40—1100—50/2—1250.

Grade IV—Assistant director Rs. 400—400—450—30—600—35—670—EB—35—950.

6. Promotions to the higher grades of the Service will be made on the basis of merit with due regard to seniorityin accordance with the quota of vacancies set aside for promotion for each grade viz., 75% for Grade III, 50% for Grade II and 75% for Grade I.

An officer belonging to the Indian Statistical Service/ Indian Economic Service will be liable to serve anywhere in India or abroad under the Central Government and may be required to serve in any post on deputation for a specified period.

7. Conditions of service and leave and pension for officers of the two Services are the same as those described in the Fundamental Rules and Civil Service Regulations of Government of India respectively subject to such modifications as may be made by Government from time to time.

8. Conditions of Provident Fund are the same as laid down in the General Provident Fund (Central Services) Rules subject to such modifications as may be made by Government from time to time.

APPENDIX IV

REGULATIONS RELATING TO THE PHYSICAL EXAMINATION OF CANDIDATES

1. These regulations are published for the convenience of candidates and in order to enable them to ascertain the probability of their coming up to the required physical standard. The regulations are also intended to provide guidelines to the medical examiners and a candidate who does not satisfy the minimum requirement prescribed in the regulations, cannot be declared fit by the medical examiners. However, while holding that a candidate is not fit according to the norms laid down in these regulations it would be permissible for a Medical Board to recommend to the Government of India for reasons specifically recorded in writing that he may be admitted to service without disadvantage to Government.

2. It should, however, be clearly understood that the Government of India reserve to themselves, absolute discretion to reject or accept any candidate after considering the report of the Medical Board.

1. To be passed as fit for appointment a candidate must be in good mental and bodily health and free from any physical defect likely to interfere with the efficient performance of the duties of his appointment.

2. In the matter of the correlation of age, height and chest girth of candidates of Indian (including Anglo-Indian) race it is left to the Medical Board to use whatever correlation figures are considered most suitable as a guide in the examination of the candidates. If there be any disproportion with regard to height, weight and chest girth, the candidate should be hospitalised for investigation and X-ray of the chest taken before the candidate is declared fit or not fit by the Board.

3. The candidate's height will be measured as follows :—

He will remove his shoes and be placed against the standard with his feet together and the weight thrown on the heels and not on the toes or other side of the feet. He will stand erect without rigidity and with the heels, calves, buttocks and shoulder touching the standard, the chin will be depressed to bring the vertex of the head level under the horizontal bar and the height will be recorded in centimetres and parts of a centimetre to halves.

4. The candidate's chest will be measured as follows :—

He will be made to stand erect with his feet together, and to raise his arms over his head. The tape will be so adjusted round the chest that its upper edge touches the inferior angles of the shoulder blades behind and lies in the same horizontal plane when the tape is taken round the chest. The arms will then be lowered to hang loosely by the side and care will be taken that the shoulders are not thrown opwards or backwards so as to displace the tape. The candidate will then be directed ta take a deep inspiration several times and the maximum expansion of the chest will be carefully noted and the minimum and maximum will then be recorded in centimetres 84—89, 86—93 etc. In recording the measurements fractions of less than a centimetre should not be noted.

N.B.—The height and chest of the candidate should be measured twice before coming to a final decision.

5. The candidate will also be weighed and his weight recorded in kilograms; fractions of half of a kilogram should not be noted.....

6. (a) The candidate's eyesight will be tested in accordance with the following rules. The result of each test will be recorded.

(b) There shall be no limit for minimum naked eye vision but the naked eye vision of the candidates shall however, be recorded by the Medical Board or other medical authority in every case, as it will furnish the basic information in regard to the condition of the eye.

(c) The following standard are prescribed for distant and near vision with or without glasses.

	Distant vision		Near vision	
	Better eye (Corrected vision	Worse eye	Better eye (Corrected vision	Worse eye
	6/9	6/9 or 6/12	J·1	J·11
	6/9			

(d) In every case of myopia, fundus examination should be carried out and the results recorded. In the event of pathological condition being present which is likely to be progressive and affect the efficiency of the candidate, he should be declared unfit.

(e) *Fleld of vision.*—The field of vision shall be tested by the confrontation method. When such test gives unsatisfactory

or doubtful results the field of vision should be determined on the perimeter.

(f) *Night Blindness.*—Broadly there are two types of night blindness; (1) as a result of vit. A deficiency and (2) as a result of Organic Disease of Retina—a comon cause being Retinitis Rigmentosa. In (1) the fundus is normal, generally seen in younger age group and ill nourished persons and improves by large doses of Vit. A. In (2) the fundus is often involved and mere fundus examination will reveal the condition in majority of cases. The patient in this category is an adult, and may not suffer from malnutrition. Persons seeking employment for higher posts in the Government will fall in ths category. For both (1) and (2) dark adaptation test will reveal the condition. For (2) specially when fundus is not involved electro-Retinography is required to be done. Both these tests (dark adaptation and retinography) are time consuming and require specialized set up and equipment, and thus are not possible as a routine test in a medical check-up. Because of these technical consideration, it is for the Ministry/Department to indicate if these tests for night blindness are required to be done. This will depend upon the job requirement and nature of duties to be performed by the prospective Government employee.

(g) *Ocular conditions other than visual acuity.*—(i) Any organic disease or a progressive refractive error which is likely to result in lowering the visual acuity should be considered a disqualification.

(ii) *Squint.*—For technical services where the presence of binocular vision is essential, squint, even if the visual acuity in each eye is of the prescribed standard, should be considered a disqualification. For other services the presence of squint should not be considered as a disqualification if the visual acuity is of the prescribed standard.

(iii) *One eye* : If a person has one eye or if he has one eye which has normal vision and the other eye is ambylyopic or has subnormal vision, the usual effect is that the person lacks stereoscopic vision for perception of depth. Such vision is not necessary for many civil posts. The medical board may recommend as fit, such persons provided the normal eye has :

(i) 6/6 distant vision and J 1 near vision with or without glasses, provided the error in any meridian is not more than 4 dipteres for distant vision.

(ii) has full field of vision.

(iii) normal colour vision wherever required.

Provided the Board is satisfied that the candidate can perform all the functions for the particular job in question.

(h) *Contact Lenses.*—During the medical examination of a candidate, the use of contact lenses is not to be allowed. It is necessary that when conducting eye test, the illumination of the type letters for distant vision should have an illumination of 15 foot-candles.

7. *Blood Pressure*

The Board will use its discretion regarding Blood Pressure. A rough method of calculating normal maximum systolic presure as follows :—

(i) With young subjects 15—25 years of age the average is about 100 plus the age.

(ii) With subjects over 25 years of age the general rule of 110 plus half the age seems quite satisfactory.

N.B.—As a general rule any systolic pressure over 140 and diastolic over 90 should be regarded as suspicious and the candidate should be hospitalised by the Board before giving their final opinion regarding the candidate's fitness or otherwise. The hospitalisation report should indicate whether the rise in blood pressure is of a transient nature due to excitement etc., or whether it is due to any organic disease. In all such cases X-ray and electrocardiographic examinations of heart and blood urea clearance test should also be done as a routine. The final decision as to the fitness or otherwise of a candidate will, however, rest with the Medical Board only.

Method of taking Blood Pressure

The mercury manometer type of instrument should be used as a rule. The measurement should not be taken within fifteen minutes of any exercise or excitement. Provided the patient and particularly his arm is relaxed, he may be either lying or sitting. The arm is supported comfortably at the patient's side in a more or less horizontal position. The arm should be freed from cloths to the shoulder. The cult completely deflated should be applied with the middle of the rubber over the inner side of the arm, and its lower edge an inch or two above the bend of the elbow. The following turns of cloth bandage should spread evenly over the bag to avoid bulging during inflation.

The brachial artery is located by palpitation at the bend of the elbow and the stethoscope is then applied lightly and centrally over it below, but not in contact with the cuff. The cuff is inflated to about 200 mm. Hg. and then slowly deflated. The level at which the column stands when soft successive sounds are heard represents the Systolic Pressure. When more air is allowed to escape the sounds will be heard to increase in intensity. The level of the column at which the well-heard clear sounds change to soft muffled fading sounds represents the diastolic pressure. The measurements should be taken in a fairly brief period of time as prolonged pressure of the cuff is irritating to the patient and will vitiate the readings. Rechecking, if necessary, should be done only a few minutes after complete deflation of the cuff. (Sometimes as the cuff is deflated sounds are heard at a certain level; they may disappear as pressure falls and reappear at a still lower level This 'Silent gap' may cause error in reading).

8. The urine (passed in the presence of the examiner) should be examined and the result recorded. Where a Medical Board finds sugar present in a candidate's urine by the usual chemical tests the Board will proceed with the examination with all its other aspects and will also specially note any signs or symptoms suggestive of diabetes. If except for the glycosuria the Board finds the candidate conforms to the standard of medical fitness required they may pass the candidate "fit subject to the glycosuria being non-diabetic" and the Board will refer the case to a specified specialist in Medicine who has hospital and labortaory facilities at his disposal. The Medcal Specialist will carry out whatever examinations clinical and laboratory he considers necessary including a standard blood sugar tolerance test, and will submit his opinion to the Medical Board, upon which the Medical Board will base its final opinion "fit" or 'unfit'. The candidate will not be required to appeal in person before the Board on the second occasion. To exclude the effects of medication it may be necessary to retain a candidate for several days in hospital under strict supervision.

9. A woman candidate who as a result of tests is found to be pregnant of 12 weeks standing or over, should be declared temporarily unfit until the confinement is over. She should be re-examined for a fitness certificate six weeks after the date of confinement, subject to the production of a medical certificate of fitness from a registered medical practitioner.

10. The following additional points should be observed :—

(a) that the candidate's hearing in each ear is good and that there is no sign of disease of the ear. In case it is defective the candidate should be got examined by the ear specialist : provided that if the defect in hearing is remediable by operation or by use of a hearing aid, a candidate cannot be declared unfit on that account provided he/she has no progressive disease in the ear. The following are the guidelines for the medical examining authority in this regard :—

1. Marked or total deafness in one ear, other ear being normal.	Fit for non-technical jobs if the deafness is upto 30 decibel in higher frequency.
2. Perceptive deafness in both ears in which some improvement is possible by a hearing aid.	Fit in respect of both technical and non-technical jobs if the deafness is upto 30 Decibel in speech frequencies of 1000 to 4000
3. Perforation of tympanic membrane of Central or marginal type.	(*i*) One ear normal other ear perforation of tympanic membrane present—Temporarily unfit. Under improved condi tions of Ear Surgery a

	candidatee with marginal or other perforation in both ear should be given a chance by declaring him temporarily unfit and then he may be considered under 4 (ii) below.
	(*ii*) Marginal or attic perforation in both ears—Unfit.
	(*iii*) Central perforation both ears—Temporarily unfit.
4. Ears with mastoid cavity subnormal hearing on one side/on both sides.	(*i*) Either ear normal hearing other ear Mastoid cavity—Fit for both technical and non-technical jobs.
	(*ii*) Mastoid cavity of both sides. Unfit for technical job. Fit for nonnical jobs if hearing improves to 30 Decibels in either ear with or without hearing aid.
5. Persistently discharging caroperated/unoperated.	Temporarily Unfit for both technical and non-technical jobs.
6. Chronic inflamatory/allergic conditions of nosewith or without bony deformities or nasal septum.	(*i*) A decision will be taken as per circumstances of
	(*ii*) If deviated nasal Septum is present with symptoms—Temporarily unfit.
7. Chronic inflamatory conditions of tonsils and/or Larynx.	(*i*) Chronic inflammatory conditions of tonsils and/or Larynx—Fit.
	(*ii*) Hoarseness of voice of severe degree if present then—Temporarily unfit.
8. Benign or locally malignant tumours of the E.N.T.	(*i*) Benign tumours—Temporarily unfit.
	(*ii*) Malignant Tumours — Unfit.
9. Otosclerosis.	If the hearing is within 30 Decibels after operation or with the help of hearing aid—Fit.
10. Congenital defects of ear, nose or throat.	(*i*) if not interfering with functions—Fit.
	(*ii*) Stuttering of severe degree—Unfit.
11. Nasal poly.	Temporarily Unfit.

(b) that his speech is without impediment;

(c) that his teeth, are in good order and that he is provided with dentures were necessary for effective mastication (well filled teeth will be considered as sound);

(d) that the chest is well formed and his chest expansion sufficient; and that his heart and lungs are sound;

(e) that there is no evidence of any abdominal disease;

(f) that he is not ruptured;

(g) that he does not suffer from hydrocele, a severe degree of varicocele, varicose veins or piles;

(h) that his limbs, hands and feet are well formed and developed and that there is free and perfect motion of all joints;

(i) that he does not suffer from any inveterate skin disease;

(j) that there is no congenital malformation or defect;

(k) that he does not bear traces of acute or chronic disease pointing to an impaired constitution;

(l) that he bears marks of efficient vaccination; and

(m) that he is free from communicable disease.

11. Screening of the chest should be done as a routine in all cases for detecting any abnormality of the heart and lungs which may not be apparent by ordinarily physical examination, where it is considered necessary, a skiagram should be taken.

When any defect is found it must be noted in the certificate and the medical examiner should state his opinion whether or not it is likely to interfere with the efficient performance of the duties which will be required of the candidate.

12. The candidates filing an appeal against the decision of the Medical Board have to deposit an appeal fee of Rs. 50 in such manner as may be prescribed by the Government of India in this behalf. This fee would be refunded if the candidate is declared fit by the Appellate Medical Board. The candidates may, if they like enclose medical certificate in support of their claim of being fit. Appeals should be submitted within 21 days of the date of the communication in which the decision of the Medical Board is communicated to the candidates, otherwise, requests for second medical examination by an Appellate Medical Board will not be entertained. The Medical Examination by the appellate Medical Boards would be arranged at New Delhi *only* and no travelling allowance or daily allowance will be admissible for the journeys performed in connection with the medical examination. Necessary action to arrange medical examination by Appellate Medical Boards would be taken by the Cabinet Sectt. (Department of Personnel) on receipt of appeals accompanied by the prescribed fee.

Medical Board's Report

The following intimation is made for the guidance of the Medical Examiner :—

The standard of physical fitness to be adopted should make due allowance for the age and length of service, if any, of the candidate concerned.

No person will be deemed qualified for admission to the Public Service who shall not satisfy Government, or the appointing authority, as the case may be that he has no disease, constitutional affection, or bodily infirmity unfitting him, or likely to unfit him for that service.

It should be understood that the questoin of fitness involves the future as well as the present and that one of the main objects of medical examination is to secure continuous effective service, and in the case of candidates for permanent appointment to prevent early pension or payments in case of premature death. It is at the same time to be noted that the question is one of the likelihood of continuous effective service and that rejection of a candidate need not be advised on account of the presence of a defect which in only a small proportion of cases is found to interfere with continuous effective service.

The Board should normally consist of three members, (i) a physician, (ii) a Surgeon; and (iii) an Opthalmologist, all of whom should as far as practicable, be of equal status. A lady doctor will be coopted as a member of the Medical Board whenever a woman candidate is to be examined.

Candidates appointed to the Indian Economic Service/Indian Statistical Service are liable for field service in or out of India. In case of such a candidate, the Medical Board should specially record their opinion as to his fitness or otherwise for field service.

The report of the Medical Board should be treated as confidential.

In cases where a candidate is declared unfit for appointment in the Government Service the grounds for rejection may be communicated to the candidate in broad terms without giving minute details regarding the defects pointed out by the Medical Board.

In cases where a Medical Board considers that a minor disability disqualifying a candidate for Government service can be cured by treatment (medical or surgical) a statement to that effect should be recorded by the Medical Board. There is no objection to a candidate being informed of the Board's opinion to this effect by the appointing authority and when a cure has been effected it will be open to the authority concerned to ask for another Medical Board.

In the case of candidates who are to be declared Temporarily Unfit the period specified for re-examination should not ordinarily exceed six months at the maximum. On re-examination after the specified period these candidates should not be declared temporarily unfit for a further period but a final decision in regard to their fitness for appointment or otherwise should be given.

(a) Candidate's statement and declaration

The candidate must make the statement required below prior to his Medical Examination and must sign the Declaration appended thereto. His attention is specially directed to the warning contained in the Note below :—

1. State your name in full (in block letters)

2. State your age and birth place .....

(*a*) Do you belong to races such as Gorkhas, Garwalis, Assamese, Nagaland Tribals, etc. whose average height is distinctly lower? Answer 'Yes' or 'No' and if the answer is 'Yes', state the name of the race. .....

(*a*) Have you ever had small pox, intermittent or any other fever, enlargement or suppuration of glands, spitting of blood asthma, heart disease, lung disease, fainting attacks, rheumatism, appendicitis ? .....

OR

(*b*) Any other disease or accident requiring confinment to bed and medical or surgical treatment ? .....

4. When were you last vaccinated ? .....

5. Have you suffered from any form of nervousness due to over-work or any other cause ? .....

.....

6. Furnish the following particulars concerning your family :—

Fathers' age if living and state of health	Fathers' age at death and cause of death	No. of brothers living, their ages and state of health	No. of brothers dead, their ages at and cause of death

Mothers' age if living and State of health	Mothers' age at death and cause of death	No. of sisters living their ages and state of health	No. of sisters dead, their ages at and cause of death

7. Have you been examined by a Medical Board before ? .....

8. If answer to the above is Yes, please state what Service/Services your were examined for ? .....

9. Who was the examining authority ?

10. When and where was the Medical Board held ?

11. Result of the Medical Board's examination, if communicated to you or if known .....

I declare that all the above answers are to the best of my belief true and correct.

Candidate's signature .....
Signed in my presence
Signature of the Chairman of the Board

NOTE:—The candidate will be held responsible for the accuracy of the above statement. By willfully suppressing any information he will incur the risk of losing the appointment 2nd, if appointed, of forfeiting all claims to Superannuation Allowance Gratuity.

Report of the Medical Board on (name of candidate)

Physical Examination

1. General development : Good.....Fair. Poor.....

Nutrition : Thin.....Average.....Obese.....

Height (Without shoes)..... Weight.....

Best Weight.....When ? .....any recent change in weight ?.....Temperature.....

Girth of Chest :

(1) (After full inspiration) .....

(2) (After full expiration) .....

2. Skin : Any obvious disease .....

3. Eyes :

(1) Any disease .....

(2) Night blindness .....

(3) Defect in colour vision.....

(4) Field of vision.....

(5) Visual acuity .....

(6) Fundus Examination .....

Acuity of vision	Naked eye	With glasses	Strength of glass Sph. Cyl.	axis
Distant vision	R.E. L.E.			
Near Vision	R.E. L.E.			

4. Ears : Inspection.....Hearing : Right Ear.....

Left Ear.....

5. Glands .....Thyroid .....

6. Condition of teeth.....

7. Respiratory System : Does physical examination reveal anything abnormal in the respiratory organs ?..... If yes, Explain fully.....

8. Circulatory System :

(*a*) Heart : Any organic lesions ?.....Rate Standing .....

After hopping 25 times.....

2 minutes after hopping.....

(*b*) Blood Pressure : Systolic.....Diastolic.....

9. Abdomen : Girth..... Tenderness ..... Hernia.....

(*a*) Palpable : Liver..... Splean..... Kidneys.....Tumours

(*b*) Haemorrhoids..... Fistula.....

10. Nervous System : Indication of nervous or mental disabilities .....

11. Loco-Motor System : Any abnormality.....

12. Genito Urinary System : Any evidence of Hydrocele; varicocele etc.

Urine Analysis

(*a*) Physical appearance.....

(*b*) Sp. Gr. .....

(*c*) Albumen

(*d*) Sugar

(*e*) Casts

(*f*) Cells

13. Report of Screening/X-Ray Examination of chest

14. Is there anything in the health of the candidate likely to render him unfit for efficient discharge of his duties in the service for which he is a candidate ?

NOTE :— In the case of a female candidate, if it is found that she is pregnant of 12 weeks standing or over, she should be declared temporarily unfit *vide* regulation 9 of the Regulations.

15. (*i*) Has he been found qualified in all respects for the efficient and continuous discharge of his duties in the Indian Economic Service and Indian Statistical Service ?

(*ii*) Is the candidate fit for FIELD SERVICE.....

NOTE :— The Board should record their findings under one of the following three categories :

(*i*) Fit .....

(*ii*) Unfit on account of.....

(*iii*) Temporarily unfit on account of.....

Place .....

Date .....

Chairman

Member

Member

MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS

New Delhi-110011, the 3rd July 1973

RESOLUTION

No. M.118-1/5/73.—The Government of India have reconstituted the Central Haj Advisory Board for the year 1973-74 to advice the Government of India on matters relating to the Haj pilgrimage. The following shall be its members :—

Chairman

1. Shri S. A. Mehdi

Members

2. Maulana Mohd. Mian Faruqi
3. Maulana Asad Madani, M.P.
4. Shri Ahmed Baksh Sindhi
5. Shri Syed Ahmed Aga, M.P.
6. Shri Syed Ahmed, M.P.
7. Shri Lutfal Haque, M.P.
8. Maulana Mohd. Ismail
9. Shri Daud Ali Mirza
10. Maulana Noorullah
11. Shri P .M. Sayeed, M.P.
12. Smt. (Dr.) Najma Akbarali Heptulla
13. Shri Zain G. Rangoonwala
14. Maulana Abdul Jaleel Chowdhuary, MLA
15. Shri Azim Tyabji
16. Shri Khurshid Ahmed
17. Shri P. K. Moideenkutty
18. Shri Saeed-Ul-Hassan. MLC
19. Shri Mohammed Ali
20. Shri Mustafa Ghulambhai Faki
21. Shri Khalid Anwar Ansari, MLA
22. Shri Mohd. Ismail

2. Shri S. A. Mehdi shall be the Chairman of the Board.

3. The Director, In-charge of the Haj Affairs in the Ministry of External Affairs, shall be the *Ex-officio* Secretary and Convenor of the Board.

4. The functions of the Board shall be purely advisory. Meetings of the Board will be summoned by the Secretary at such times as may be decided by the Government at the request of the Members. Ordinarily at least ten days' notice of a meeting will be given to the Members. The proceedings of the meeting will be confidential and will be submitted to the Government for such action as the Government may consider necessary. No press representatives will be allowed to attend the meeting of the Board.

ORDER

ORDERED that a copy of this Resolution be communicated to all the Ministries of the Government of India, the Prime Minister's Secretariat, the Cabinet Secretariat, Department of Parliamentary Affairs, all State Governments and Centrally Administered Areas, all State Haj Committees and the Shipping Company concerned, for information.

ORDERED also that the Resolution be published in the Gazette of India.

SAAD M. HASHMI, Director
(Coordination & Haj Affairs)

MINISTRY OF STEEL AND MINES
(Department of Mines)

New Delhi, the 28th June 1973

RESOLUTION

No. D-11011/5/70-M2.—In pursuance of a policy decision taken by the Government of India the Headquarters Office of the Airborne Mineral Surveys and Exploration wing of Geological Survey of India would be shifted from New Delhi/Faridabad to Bangalore by 30th June, 1973. This Office will start functioning at No. 50, Vanivilas Road, Basavanagudi, Bangalore-4 with effect from 1st July, 1973.

ORDER

ORDERED that a copy of this Resolution be communicated to all State Governments, Administrators of Union Territories, All Ministries of the Government of India, President Secretariat, Cabinet Secretariat, Prime Minister's Secretariat, Planning Commission, Comptroller and Auditor General of India, A.G.C.W.&M. New Delhi, Lok Sabha/Rajya Sabha Secretariats, Geological Survey of India, and Embassies and High Commissions for India in foreign countries.

ORDERED also that this Resolution be published in the Gazette of India for general information.

V. G. NIGAM, Dy. Secy

MINISTRY OF AGRICULTURE

(Department of Agriculture)

New Delhi, the 27th June 1973

RESOLUTION

SUB :—*Constitution of an Advisory Board of Research for the Forest Research Institute*

No. 17-4/71-*F*.—The question regarding the arrangements for reviewing of research schemes/programmes of the Forest Research Institute and Colleges, Dehra Dun was under consideration for some time past by the Court of Forest Research Institute & Colleges. After reviewing the working of the Advisory Board of Research for the Forest Research Institute and after considering the organisation in sister Institutes in the country for a similar purpose, the Court of Forest Research Institute in its Eighth meeting held on 24-11-72 recommended the dissolution of the Advisory Board of Research. Government of India have accepted this recommendation. As such, the Ministry of Food and Agriculture Resolution No. 14-1/62-F dated 9th July, 1963, constituting the Advisory Board of Research is hereby cancelled.

ORDER

ORDERED that a copy of this Resolution be communicated to all State Governments, Lok Sabha Sectt./Rajya Sabha Sectt./Prime Minister Sectt./Deptt. of Parliamentary Affairs, Ministry of Law/Dir. Genl. CSIR/Ministry of Industrial Development, Ministry of Defence/Ministry of Railway/ ICAR/Chief Engineer. CPWD.

ORDERED also that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

K. L. LAHIRI,
Inspector General of Forests and
Ex-Officio, Addl. Secy.

MINISTRY OF SHIPPING AND TRANSPORT

(Transport Wing)

New Delhi-1, *the 5th July* 1973

RESOLUTION

No. 55-*MA*(1)/71.—In pursuance of the Resolution of the Government of India in the Ministry of Transport and Communications, Department of Transport No. 55-MA(3)/54-I, dated the 27th March, 1958, read with their Resolution No. 55-MA(16)/57-I, dated the 31st July, 1958 and No. 55-MA (4)/67, dated the 6th January, 1969 the Central Government is pleased to appoint the following members to constitute the Deck Passenger Welfare Committee at the port of Nagapattinam for a period of two years from the date of this Resolution.

Chairman

1. The Principal Officer, Mercantile Marine Department, Madras.

Members

2. The Port Officer, Nagapattinam.
3. The Sub-Collector of Revenue, Divisional Officer, Nagapattinam.
4. The Deputy Superintendent of Police, Nagapattinam.
5. The Superintendent of Central Excise, Nagapattinam.
6. The Protector of Emigrants, Nagapattinam.
7. The Port Health Officer, Nagapattinam.

Non Official Members

8. Dr. N. Srinivasan. B.Sc., M.B.B.S., Narayanan Clinic & Nursing Home, Neela South St., Nagapattinam.
9. Smt. J. Peter, B.A.L.T., Teacher, Municipal High School, Nagapattinam.
10. Shri A. Rajamanickam, B.A.B.L., M.L.A., Nagapattinam Constituency, Narayakkara St., Nagapattinam.
11. Shri V. Appakutty, Salt Producer, Vedaranyam, Tanjore District, Tamil Nadu.

ORDER

ORDERED that a copy of this Resolution be communicated to the Private and Military Secretaries to the President, the Prime Minister's Secretariat, the Lok Sabha Secretariat (with 10 copies including 5 copies for committee Branch), the Cabinet Secretariat, the Planning Commission, all the Ministries of the Government of India, all State Governments; the Chairman, Commissioners for the Port of Calcutta, Calcutta; the Chairman, Bombay Port Trust, Bombay; the Chairman, Madras Port Trust, Madras; the Indian National Steamship Owners' Association, Scindia House, Ballard Estate, Bombay; the Director General of Shipping 'Jahaz Bhawan', Fort Street, Bombay (with 100 spare copies for distribution to the shipping companies in India; the Members of National Harbour Board and the Members of National Shipping Board), Principal Officers, Mercantile Marine Departments, Bombay, Calcutta and Madras; the Chairman and Members of the Deck Passenger Welfare Committee, Nagapattinam.

ORDERED also that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

V. V. SUBRAHMANYAM, Dy. Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, FARIDABAD
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1973